SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार
2026 की प्रतिवेदन संख्या 4
(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल)

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 4

(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xv
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
बजट प्रोफाइल	1.2	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	2
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.5	3
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	3-4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	4-5
अध्याय 2		
ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	2.1	7
संगठनात्मक संरचना	2.2	7
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	8
लेखापरीक्षा मानदंड	2.4	8
लेखापरीक्षा का दायरा और नमूनाकरण पद्धति	2.5	8-9
अभिस्वीकृति	2.6	9
जिला परिप्रेक्ष्य योजना	2.7	9-10
विकास योजना तैयार न करना	2.8	10
श्रम बजट	2.9	10-12
राज्य सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार न करना	2.10	12
रोजगार दिवस का आयोजन	2.11	12-13
वित्तपोषण का स्वरूप	2.12	13-15
मजदूरी के भुगतान में असामान्य विलंब	2.13	15-16
मनरेगा का कार्यान्वयन और रोजगार सृजन	2.14	16-19
अनुमानित और प्राप्त मानव दिवस	2.15	19-20
100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार	2.16	20-21
श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान	2.17	21-22

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
कार्यों के निष्पादन के लिए लक्ष्य की प्राप्ति	2.18	23-24
अपूर्ण कार्य और कार्यों पर निष्फल व्यय	2.19	24-31
ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना अभिसरण कार्य	2.20	32
कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान न करना	2.21	32
कार्यस्थल पर बिलों/वाउचरों का सत्यापन न किया जाना	2.22	32-33
राज्य रोजगार गारंटी परिषद	2.23	33
शिकायत निवारण प्रणाली की विद्यमानता	2.24	33-35
सतर्कता प्रकोष्ठ और राज्य/जिला गुणवत्ता मॉनीटरों का गठन न किया जाना	2.25	35
सामाजिक लेखापरीक्षा	2.26	35-38
अनिवार्य अभिलेख और उनका रखरखाव	2.27	38-39
निष्कर्ष	2.28	39
सिफारिशें	2.29	40
अध्याय 3		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली		
प्रस्तावना	3.1	41-42
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.2	42
लेखापरीक्षा मानदंड	3.3	42
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना और पद्धति	3.4	43
अपशिष्ट जल का प्रबंधन	3.5	43-64
निगरानी तंत्र	3.6	64-67
उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग	3.7	67-69
निष्कर्ष	3.8	69-70
सिफारिश	3.9	70
अध्याय 4		
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग		
₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन	4.1	71-72
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा **चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार**		
बैंक गारंटी की शर्तों में ढील देने के परिणामस्वरूप बायोगैस संयंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति न होना	4.2	72-73
अपूर्ण कार्य पर ₹ 6.37 करोड़ का भुगतान	4.3	74-76

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	**पृष्ठ**
स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा **माध्यमिक शिक्षा निदेशालय**		
एक ही वाउचर का दो बार उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख का संदिग्ध गबन	4.4	76-78
उच्चतर शिक्षा विभाग		
उपयोगकर्ता की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों की खरीद के कारण उपकरण/सेवाओं पर व्यर्थ व्यय	4.5	79-82
स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों और ई-कर्मा परियोजना के अपेक्षित परिणामों का सत्यापन किए बिना भुगतान जारी करना	4.6	83-86
उच्चतर शिक्षा विभाग **(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)**		
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों के अप्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	4.7	86-90
परिवहन विभाग		
रियायती उपयोगकर्ता फीस का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.8	90-91
विकास एवं पंचायत विभाग तथा **खजाना एवं लेखा विभाग (वित्त विभाग)**		
₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन	4.9	91-95

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	विभागों और स्वायत्त निकायों के विवरण	1.1	97
1.2	बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6	98
1.3	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2025 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है	1.7.2	99-100
1.4	31 मार्च 2025 तक लोक लेखा समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अंतिम कार्रवाई के लिए लंबित सिफारिशों की संख्या	1.7.3	101
1.5	31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की विभाग-वार लंबित सिफारिशें	1.7.3	102
2.1	ग्राम पंचायत द्वारा श्रम बजट की तैयारी को दर्शाने वाला विवरण	2.9	103-105
2.2	2019-24 की अवधि के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन को दर्शाने वाला विवरण	2.11	106
2.3	वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्रीय हिस्से और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले संगत हिस्से को जारी करने की वास्तविक तिथि का विवरण	2.12.1	107-108
2.4	दोनों कार्डों पर एक साथ कार्य करने वाले डबल जॉब कार्ड धारक का विवरण	2.14.1	109-110
2.5	वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए चयनित जिलों में अनुमानित मानव दिवसों और सृजित मानव दिवसों का विवरण	2.15	111
2.6	अनुमानित और सृजित मानव दिवसों का ब्लॉक-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.15	112
2.7	चयनित जिलों की उन ग्राम पंचायतों का विवरण जिनमें एक भी मानव दिवस का सृजन नहीं किया गया	2.16	113
2.8	श्रमिकों को मजदूरी के कम भुगतान/भुगतान न किए जाने को दर्शाने वाले विवरण	2.17.1	114-115
2.9	चयनित ब्लॉकों में कार्यों के निष्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का विवरण	2.18	116-117
2.10	मेवात जिले के अंतर्गत चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में चयनित 22 चालू कार्यों का विवरण	2.19.3	118
3.1	हरियाणा में शहर-वार जनसंख्या, उत्पादित सीवेज और स्थापित क्षमता को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	119-120
3.2	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमों का अनुपालन न करने वाले सीवेज उपचार संयंत्रों पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे की गणना	3.5 एवं 3.6.2	121-122

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.3	चयनित जिलों में अपशिष्ट जल उपचार का सीवेज उपचार संयंत्र-वार परिणाम	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 एवं 3.5.6	123-125
3.4	चयनित जिलों में लगाए गए और वसूल किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का विवरण	3.6.1	126
3.5	उपचार क्षमता के अभाव में अनुपचारित सीवेज के निकास हेतु पर्यावरणीय मुआवजे की गणना दर्शाने वाली विवरणी	3.6.2	127-128
4.1	(i) उन व्यक्तियों को किए गए भुगतान के विवरण जिनके नाम जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ)/मेवात के कर्मचारियों के समान थे जैसा कि चयनित महीनों के वाउचरों की समीक्षा के दौरान देखा गया (ii) तालिका (i) में पहचाने गए फर्जी व्यक्तियों को चयनित महीनों के अलावा अन्य अवधियों के दौरान किए गए भुगतान के विवरण (iii) 2015-2023 की अवधि के दौरान सत्यापित आदाता सूची और अयोग्य आदाता सूची से फर्जी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच के दौरान पाए गए फर्जी भुगतानों के विवरण	4.1	129
4.2	स्कूल प्रबंधन समिति के खाते से स्कूल की चारदिवारी के व्यय के साथ-साथ सिविल कार्यों के व्यय में उपयोग किए गए बिलों का विवरण	4.4	130
4.3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अनुमोदित परियोजनाओं के व्यय की स्थिति	4.7	131
4.4	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 'उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर)' परियोजना के तहत अपेक्षित अनुसंधान उपकरण	4.7 (ii)	132
4.5	नमूना-जांच किए गए हरियाणा रोडवेज डिपो द्वारा रियायती दरों का लाभ न उठाने के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त टोल	4.8	133

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2023-24 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2023-24 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और नौ अनुच्छेद शामिल हैं।

अध्याय 1: प्रस्तावना

2023-24 के दौरान ₹ 2,73,305 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 2,71,841 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़ से ₹ 1,33,172 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ से ₹ 1,13,196 करोड़ और पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत कम होकर ₹ 17,666 करोड़ से ₹ 15,921 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 1.3)

2023-24 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत विभागों की 999 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की 38 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 1.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर अभिलेखों/दस्तावेजों की नमूना-जांच के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थी; रोज़गार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित की गई, साथ ही पर्याप्त रोज़गार सृजित किए गए, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्राप्त हुई; अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों के अनुपालन में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव किया गया था; तथा अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान थी और सही तरीके से कार्य कर रही थी।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- सभी क्षेत्रों में आवश्यकताओं और कमियों की पहचान करने के लिए विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। चयनित ग्राम पंचायतें केवल खंड

विकास एवं पंचायत अधिकारी को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। श्रम बजट में कार्यों को शामिल करने/शामिल न करने का कार्य ग्राम पंचायतों की भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर किया गया था जो उक्त दिशानिर्देशों में परिकल्पित नीचे से ऊपर की ओर सहभागी योजना प्रक्रिया का पालन न करना दर्शाता है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि चयनित जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी 43 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लाभार्थी क्रमशः मजदूरी की पात्रता और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के बारे में जागरूक नहीं थे।

- राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब के मामले सामने आए। 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान एक से 552 दिनों के विलंब के साथ किया गया। पात्र परिवारों के पंजीकरण के संबंध में अपेक्षित अभिलेख जैसे आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर आदि, नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं पाए गए।
- हिसार को छोड़कर चयनित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की प्राप्ति में 2.05 लाख से 21.07 लाख के मध्य की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, 100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार केवल एक से तीन प्रतिशत थे, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार मिला।
- नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण और मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए चयनित 22 चालू कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से परिसंपत्तियों का सृजन न होने, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों के निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करने और कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमियों के मामले सामने आए हैं।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पना के अनुसार निगरानी और संचालन निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया कार्यबल बहुत निराशाजनक था, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत रिक्तियां थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई अभ्युक्तियों के निपटान के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, परिकल्पित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं था।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार श्रम बजट तैयार करने में नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को अपनाना सुनिश्चित करे और ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, कार्य मांग रजिस्टर/मजदूरी भुगतान रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि जैसे अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करे।*

- *राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित करे, ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।*
- *राज्य सरकार सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को गति प्रदान करना सुनिश्चित करे क्योंकि मनरेगा के एक मांग-आधारित कार्यक्रम होने के नाते, यह अपेक्षित है कि लाभार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।*
- *राज्य सरकार, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त कार्यबल की तैनाती करके, वैधानिक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रभावी तरीके से लाभ उठाकर, मनरेगा परिसंपत्तियों की पूर्णता के पश्चात मूल्यांकन को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करे।*

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली

'हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली' पर विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान चयनित आठ जिलों में सीवरेज प्रबंधन गतिविधियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या सीवरेज प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के अनुरूप थी, सीवरेज के लिए कार्यों का निष्पादन मितव्ययी और कुशल था तथा निगरानी तंत्र पर्याप्त था। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले सीवेज और उपचार क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चला है। चयनित आठ जिलों में 1,522.83 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ, जिसमें से जल निकायों में पुन: उपयोग या डिस्चार्ज से पहले केवल 51.03 प्रतिशत का ही डिस्चार्ज मानकों के अनुसार उपचार किया गया था। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और फरीदाबाद में उत्पन्न घरेलू सीवेज और उपचार क्षमता के बीच भारी अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त, संपर्क की समस्याओं के कारण पानीपत और सोनीपत जिलों में स्थापित उपचार क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। अपर्याप्त योजना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावित किया।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- फरीदाबाद शहर में 282 एमएलडी उत्पन्न घरेलू सीवेज की तुलना में 97.5 एमएलडी (34.57 प्रतिशत) स्थापित सीवेज उपचार क्षमता है, जबकि 92 एमएलडी सीवेज ही सीवेज उपचार संयंत्र तक पहुंच रहा था, जिससे 190 एमएलडी का अंतर था। पांच सीवेज उपचार संयंत्रों में से चार सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंड को पूरा कर रहे थे। यह पाया गया था कि यमुना नदी में अपने मुख्य नाले (बुढ़िया नाला) के माध्यम से फरीदाबाद जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 139 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानक के विरुद्ध) और औसत फिकल

कोलीफॉर्म स्तर 7,891 एमपीएन/100 मिलीलीटर (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानक के विरुद्ध) दर्ज (2024) किया गया था।

- नगर निगम, फरीदाबाद ने कनेक्टिंग सीवर लाइन के निर्माण के लिए समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने की कार्रवाई नहीं की, जिससे फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन/पूर्ण होने में पांच वर्ष से अधिक का विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, इसी उद्देश्य के लिए मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में निर्मित दो एमपीएस (₹ 79.49 करोड़) और दो सीवेज उपचार संयंत्रों (₹ 196.55 करोड़) की अवसंरचना भी 2021 और 2024 से व्यर्थ पड़ी हैं।
- फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर और दयालपुर में सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य जुलाई 2018 तक पूर्ण होना निर्धारित था, लेकिन अक्तूबर 2025 तक भी नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा सीवेज उपचार संयंत्र के लिए स्थान को अंतिम रूप से तय नहीं किए जाने के कारण इसे पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 16.35 करोड़ का व्यय होने के बावजूद सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
- गुरुग्राम में, मार्च 2024 तक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में 550 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 90 एमएलडी का उपचार/पुनः उपयोग कॉलोनाइजरों द्वारा किया गया था। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के पास 460 एमएलडी की आवश्यकता की तुलना में 415 एमएलडी (12 सीवेज उपचार संयंत्रों में) की स्थापित सीवेज उपचार क्षमता थी। इन सीवेज उपचार संयंत्रों पर प्राप्त होने वाला औसत दैनिक सीवेज केवल 397 एमएलडी था, जिससे 63 एमएलडी (14 प्रतिशत) का अंतर था। गुरुग्राम जिले के 16 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 12 सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज के मानकों को पूरा कर रहे थे।
- गुरुग्राम से निकलने वाला अपशिष्ट जल, इसके तीन मुख्य नालों के माध्यम से यमुना नदी में मिलता है, जिसमें औसत बीओडी का स्तर 88 से 106 मिलीग्राम/लीटर और फिकल कोलीफॉर्म का स्तर 1,816 से 3,310 एमपीएन/100 मिलीलीटर के बीच पाया गया, जो कि 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर के निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था।
- गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा मानेसर में 25 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण की निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ उसे पूर्ण करने में चार वर्ष की देरी के कारण नाहरपुर-कासन और मानेसर शहर के अनुपचारित अपशिष्ट जल को लंबे समय तक नालों/खुले मैदान में बहाया गया, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं पैदा हुई।
- मार्च 2020 में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जहाजगढ़ में 20 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य जुलाई 2025 तक प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि अपूर्ण सीवर अवसंरचना के कारण सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 5 एमएलडी सीवेज डिस्चार्ज ही पहुंच रहा था। गुरुग्राम

महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, गुरुग्राम के बीच समन्वय की कमी के कारण इस परियोजना को पूर्ण करने में देरी हुई।

- शहर के पार्कों में 21 माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के अनुबंध में नगर निगम, गुरुग्राम के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण परियोजना में अत्यधिक देरी हुई और बागवानी के लिए अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। ठेकेदार द्वारा मार्च 2021 की समय-सीमा चूक जाने के बावजूद, नगर निगम, गुरुग्राम ने तीन वर्ष से अधिक समय तक न तो अनुबंध को निरस्त किया और न ही कार्य को पुन: आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्ष बाद भी, 12 सीवेज उपचार संयंत्र अपूर्ण पड़े हैं, जबकि पूर्ण हो चुकी अवसंरचना में अक्तूबर 2025 तक चोरी और परिचालन संबंधी लापरवाही पाई गई।

- सोनीपत में 78.42 एमएलडी उत्पन्न घरेलू सीवेज के लिए 85.3 एमएलडी क्षमता के सात सीवेज उपचार संयंत्र हैं, जबकि इन सीवेज उपचार संयंत्रों तक पहुंचने वाला वास्तविक सीवेज केवल 60.50 एमएलडी था। सात सीवेज उपचार संयंत्रों में से छ: सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानकों को पूरा कर रहे थे, सोनीपत जिले से दो मुख्य नालों (अर्थात ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8) के माध्यम से यमुना नदी में होने वाले डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग (96 मिलीग्राम/लीटर एवं 18 मिलीग्राम/लीटर) और फिकल कोलीफॉर्म स्तर (3,233 एमपीएन/100 मिलीलीटर एवं 35,373 एमपीएन/100 मिलीलीटर) दर्ज किया गया, जो क्रमशः 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर के निर्धारित मानकों से बहुत अधिक था।

- काकरोई में 25 एमएलडी की स्थापित क्षमता वाला सीवेज उपचार संयंत्र, मास्टर सीवर लाइन बिछाने में कमियों और उसकी बहाली में देरी के कारण छ: वर्ष तक पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ड्रेन नंबर 6 में अनुपचारित सीवेज का बहाव लगातार जारी रहा।

- सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 के पुनर्गठन का कार्य, सीवेज निपटान बिंदुओं को जोड़ने और खुले नाले में ठोस अपशिष्ट के निपटान को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, छ: वर्ष तक कार्य चलने और ₹ 36.63 करोड़ का व्यय होने के बावजूद पूर्ण नहीं किया जा सका (अक्तूबर 2025)।

- पानीपत के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले 101.84 एमएलडी घरेलू सीवेज के उपचार के लिए 168.80 एमएलडी क्षमता के 10 सीवेज उपचार संयंत्र थे। इन सीवेज उपचार संयंत्रों तक पहुंचने वाला वास्तविक घरेलू सीवेज केवल 75 एमएलडी था, शेष 26.84 एमएलडी सीवेज को उपचार के लिए जोड़ा नहीं गया था। दस में से नौ सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंडों को पूरा कर रहे थे, ड्रेन नंबर 2 के माध्यम से यमुना नदी में गिरने वाले पानीपत जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 85 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानदंड के विरुद्ध) और औसत फिकल कोलीफॉर्म स्तर 4,000 एमपीएन/100एमएल (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानदंडों के विरुद्ध) दर्ज किया गया (2024)।

- नगर निगम, पानीपत ने 76 कॉलोनियों के सीवेज डिस्चार्ज के उपचार के लिए 25 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करवाया, जिसके लिए अमृत योजना के तहत ₹ 202.44 करोड़ की लागत से सीवरेज अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। ये सीवेज उपचार संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रहे थे क्योंकि अंतिम उपयोगकर्ता कनेक्शन न होने के कारण मई 2024 तक सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 2.1 एमएलडी डिस्चार्ज ही पहुंच रहा था।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अगस्त 2019 के निर्देशों में, उत्पन्न होने वाले सीवेज के 100 प्रतिशत उपचार का प्रावधान था, ऐसा न करने पर राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2020 से नियमों का पालन न करने वाले विभागों से मुआवजा वसूल करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में अनुपचारित घरेलू सीवेज की मात्रा 10.89 प्रतिशत से 67.38 प्रतिशत के मध्य थी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उल्लंघनों का संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण नियमों का पालन न करने वाले विभागों/एजेंसियों से ₹ 902.97 करोड़ का लागू पर्यावरणीय मुआवजा वसूल नहीं किया जा सका।
- राज्य उपचारित अपशिष्ट जल के उद्देश्यपूर्ण पुन: उपयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019-2024 के दौरान चयनित आठ जिलों में 650 वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए ₹ 264.76 करोड़ के पर्यावरणीय मुआवजे में से केवल 334 इकाइयों से ₹ 50.50 करोड़ ही एकत्र किए। गुरुग्राम (उत्तर), बल्लभगढ़ और सोनीपत में क्रमशः 92.52 प्रतिशत, 81.50 प्रतिशत और 78.83 प्रतिशत मुआवजा वसूली के लिए लंबित था।

सिफारिश

प्रभावी सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्राप्त करने के लिए, राज्य सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करे तथा भूमि/वन आदि के लिए समय पर स्वीकृति प्राप्त करे।

अध्याय 4: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, मेवात (नूंह) के कार्यालय में काल्पनिक कर्मचारियों की फर्जी यूनिक आईडी बनाकर और सातवें वेतन आयोग के बकाया वेतन व छुट्टी नकदीकरण के नाम पर उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करके ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन किया गया।

(अनुच्छेद 4.1)

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार/समिति ने बैंक गारंटी की शर्त में ढील दी, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम/हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया। परिणामस्वरूप, अपूर्ण बायोगैस संयंत्र पर किया गया ₹ 5.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा, क्योंकि एजेंसी ने 90 प्रतिशत से अधिक करार राशि प्राप्त करने के बाद फरवरी 2020 से परियोजना को छोड़ दिया था।

(अनुच्छेद 4.2)

अनिवार्य शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेजों की प्राप्ति के बिना ही साख-पत्र के माध्यम से ठेकेदार को भुगतान जारी करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 6.37 करोड़ की हानि हुई। यह चूक साख-पत्र के दोषपूर्ण निबंधनों और शर्तों के कारण हुई। भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। इसके अतिरिक्त, वसूली के प्रयास अप्रभावी रहे।

(अनुच्छेद 4.3)

उच्चतर शिक्षा विभाग निदेशालय ने सरकारी कॉलेजों के लिए वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के दौरान निर्धारित नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किया, इसके अतिरिक्त, उपकरणों/सेवाओं को स्थापित करने और उपयोग करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने पांच सरकारी कॉलेजों में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए ₹ 17.43 करोड़ की राशि मापन योग्य परिणामों और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध परिणामों का सत्यापन किए बिना ही जारी की। इसी प्रकार, ई-कर्मा परियोजना के तहत 4,649 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर खर्च किए गए ₹ 13.68 करोड़ व्यापक रूप से निष्फल रहे, क्योंकि उनमें से बहुत ही कम संख्या में अभ्यर्थी अपनी कमाई शुरू कर सके।

(अनुच्छेद 4.6)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त में से केवल ₹ 19.62 करोड़ का ही उपयोग कर सका, जिसके परिणामस्वरूप, शेष निधियों को राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अन्य संस्थानों को पुनः आवंटित कर दिया गया। इसके कारण न केवल विश्वविद्यालय को भविष्य में मिलने वाले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुदानों से वंचित होना पड़ा, बल्कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं भी अपूर्ण रह गई, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों को उन्नत सुविधाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 4.7)

परिवहन विभाग के हरियाणा रोडवेज के छः डिपो ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए लागू रियायती उपयोगकर्ता फीस की दरों का लाभ नहीं उठाया, जो पंजीकृत जिलों की सीमाओं के भीतर स्थित थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता फीस पर ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय में फर्जी स्वीकृति पत्र तथा आधिकारिक लॉगिन सूचना के दुरुपयोग के माध्यम से अनधिकृत बजट आवंटन और निकासी द्वारा ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन पाया गया। कार्य आदेश या सहायक दस्तावेजों के बिना ही भुगतान कर दिए गए, जो कि निदेशालय कार्यालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत), जिला विकास पंचायत अधिकारी, पलवल, खंड विकास पंचायत अधिकारी, हसनपुर और खजाना स्तरों पर नियंत्रण की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 4.9)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

हरियाणा सरकार के अधीन 48 विभाग तथा 41 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्व का स्तर लेन-देन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियां व निर्देश तैयार करने में सक्षम बनाएंगे जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस प्रकार बेहतर गवर्नेंस में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और दायरा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है, अध्याय 3 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं और अध्याय 4 में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा उत्पन्न टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति ***तालिका 1.1*** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2019-24 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	35,358	31,884	37,228	34,734	39,680	37,948	44,001	42,069	46,245	45,398
सामाजिक सेवाएं	36,114	33,726	43,090	36,164	43,293	40,928	47,255	43,680	49,328	43,778
आर्थिक सेवाएं	22,770	19,238	25,020	19,048	33,954	19,549	24,943	20,657	30,499	24,020
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (1)	**94,242**	**84,848**	**1,05,338**	**89,946**	**1,16,927**	**98,425**	**1,16,199**	**1,06,406**	**1,26,072**	**1,13,196**
पूंजीगत परिव्यय	16,260	17,666	13,201	5,870	9,318	11,046	22,344	11,665	18,460	15,921
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,407	1,309	1,213	926	1,239	966	3,662	2,462	4,198	4,055
लोक ऋण का भुगतान	20,257	15,776	22,592	29,498	28,161	25,473	35,052	53,021	55,220	59,194
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आकस्मिक निधि का विनियोग	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,41,707	42,171	51,356	50,245	59,394	51,728	55,066	67,825	69,355	74,037
अंतिम नकद शेष	-	3,999	-	3,148	-	4,946	-	3,834	-	5,438
कुल (2)	**1,79,631**	**80,921**	**88,362**	**90,487**	**98,112**	**94,159**	**1,16,124**	**1,38,807**	**1,47,233**	**1,58,645**
कुल योग (1+2)	**2,73,873**	**1,65,769**	**1,93,700**	**1,80,433**	**2,15,039**	**1,92,584**	**2,32,323**	**2,45,213**	**2,73,305**	**2,71,841**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2023-24 के दौरान ₹ 2,73,305 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 2,71,841 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़[2] से ₹ 1,33,172 करोड़[3] हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ से ₹ 1,13,196 करोड़ और पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत कम होकर ₹ 17,666 करोड़ से ₹ 15,921 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम मूल्यांकन के साथ शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट एक निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय के अध्यक्ष को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगामी कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2023-24 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत विभागों की 999 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की 38 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

---

[1] राजस्व परिव्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

[2] ₹ 1,03,823 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 84,848 करोड़ + पूंजीगत परिव्यय: ₹ 17,666 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 1,309 करोड़।

[3] ₹ 1,33,172 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 1,13,196 करोड़ + पूंजीगत परिव्यय: ₹ 15,921 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 4,055 करोड़।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जो विभागों के कार्यक्रमों की सफलता तथा कार्यविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दी। सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विभागों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 10 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद[4] शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा और विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) के संबंध में प्रशासनिक सचिव के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। संबंधित प्रशासनिक सचिवों से नौ अनुच्छेदों के उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षण के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां उनके अगले उच्च प्राधिकारी/प्रबंधन को प्रेषित की जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से अपेक्षा की जाती है कि वे बताई गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से ठीक करें और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुविधाजनक बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

31 मार्च 2024 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध 8,135 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 26,651 अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि ***तालिका 1.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2017-18 से पहले	5,989	14,296
2018-19	570	2,155
2019-20	454	1,789
2020-21	280	1,224
2021-22	228	1,324
2022-23	237	1,891
2023-24	377	3,972
कुल	**8,135**	**26,651**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) में अनुरक्षित निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

[4] एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित।

मार्च 2024 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए भले ही उन मामलों को लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिया गया है या नहीं। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण ***तालिका 1.3*** में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2024 तक चर्चा की स्थिति
1.	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3)	16 मार्च 2021	लोक लेखा समिति	2021-22 के दौरान चर्चा की गई
2.	सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2020 (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4)	22 दिसंबर 2021	लोक लेखा समिति/ लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
3.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
4.	परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 4)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
5.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7)	10 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति[5] तथा लोक उपक्रम समिति[6]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
6.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2 (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1)	22 मार्च 2023	लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति[7]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई

[5] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तीन अनुच्छेद (4.1, 4.2 और 4.3)।

[6] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छः अनुच्छेद (2.1 से 2.3 और 3.1 से 3.3)।

[7] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक अनुच्छेद (5.17)।

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2024 तक चर्चा की स्थिति
7.	ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3)	25 अगस्त 2023	लोक लेखा समिति	2024-25 के दौरान चर्चा की गई
8.	जन स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2)	13 नवंबर 2024	लोक लेखा समिति	चर्चा के अधीन
9.	संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (2025 की प्रतिवेदन संख्या 2)	27 अगस्त 2025	लोक लेखा समिति[8] तथा लोक उपक्रम समिति [9]	कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रतीक्षित

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित

वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 33 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के माध्यम से इंगित ₹ 1,961.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्रवाई मार्च 2025 तक प्रतीक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित बकाया वसूलियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है। लोक लेखा समिति ने संबंधित विभागों को यह राशि वसूल करने की भी सिफारिश की है।

1.7.3 लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

वर्ष 1979-80 से 2024-25 के लिए लोक लेखा समिति की 16वीं से 91वीं रिपोर्ट में शामिल 649 सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतीक्षित थी। लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशों का विभाग-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया गया है।

---

[8] संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 11 अनुच्छेद (तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7)।

[9] संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के चार अनुच्छेद (7.1, 7.2, 7.3 और 7.4)।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) अधिनियमित किया जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नामित किया गया (अक्तूबर 2009)। यह अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ऐसे परिवार को कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अनुसार, हरियाणा सरकार ने मार्च 2007 में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिसूचित की और सभी जिलों में कार्यान्वित की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, और साथ ही ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण विकास में योगदान दें। यह भारत सरकार और राज्य सरकार (90:10) के बीच लागत साझाकरण के आधार पर लागू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकार कामगारों को मजदूरी के विलंबित भुगतान, बेरोजगारी भत्ते और राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) के प्रशासनिक व्ययों का कुल व्यय भी वहन करती है।

2.2 संगठनात्मक संरचना

विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना ***चार्ट 2.1*** में दी गई है।

चार्ट 2.1: मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना

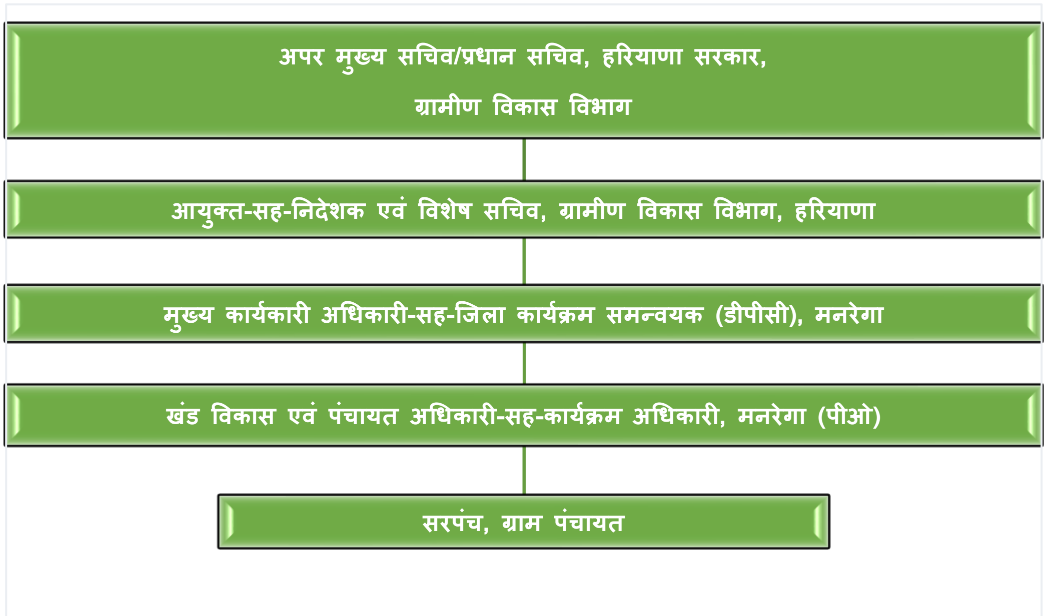

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- क्या योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थी;
- क्या रोज़गार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित की गई, साथ ही पर्याप्त रोज़गार सृजित किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्राप्त हुई;
- क्या अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों के अनुपालन में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव किया गया था; तथा
- क्या अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान थी और सही तरीके से कार्य कर रही थी।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नानुसार थे:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005, परिचालन दिशानिर्देश 2013, उनमें होने वाले संशोधन और अधिनियम के तहत जारी किए गए नियम;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र;
- हरियाणा राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है);
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश, परिपत्र और निर्देश, दिशानिर्देश, आदि; तथा
- हरियाणा में यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम और सामान्य वित्तीय नियम।

2.5 लेखापरीक्षा का दायरा और नमूनाकरण पद्धति

राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर अभिलेखों/दस्तावेजों की नमूना-जांच के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। 22 जिलों में से पांच जिलों[1] (22.73 प्रतिशत) को स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पद्धति का उपयोग करके लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। चयनित पांच जिलों में 10 ब्लॉक[2]

---

[1] (i) करनाल, (ii) मेवात, (iii) हिसार, (iv) महेंद्रगढ़ और (v) यमुनानगर।

[2] (i) इंद्री, (ii) असंध, (iii) नूंह, (iv) फिरोजपुर झिरका, (v) बिलासपुर, (vi) जगाधारी, (vii) बरवाला, (viii) नारनौंद, (ix) महेंद्रगढ़ और (x) कनीना (स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग विधि के माध्यम से प्रत्येक चयनित जिले से चुने गए दो ब्लॉक)।

और 40 ग्राम पंचायतों[3] को नमूना-जांच के लिए चुना गया था। चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 280 कार्यों (प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे अधिक व्यय वाले सात कार्यों का चयन किया गया) को विभागीय प्रतिनिधियों के साथ विश्लेषण और संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चुना गया था। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए रैंडम सैंपलिंग पद्धति के माध्यम से 400 लाभार्थियों[4] का चयन किया गया।

आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी (22 जुलाई 2024), जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई। यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली, लेखापरीक्षा टिप्पणियों और जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तरों के आधार पर तैयार किया गया है। निदेशक एवं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और विभाग के अधिकारियों के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई (26 सितंबर 2025), जिसके बाद 29 सितंबर 2025 को आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक हुई; विचार-विमर्श को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है। विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित थे (नवंबर 2025)।

2.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में ग्रामीण विकास विभाग, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायतों आदि द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 जिला परिप्रेक्ष्य योजना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 15.3.1 और 15.3.1.1 यह प्रावधान करते हैं कि मनरेगा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण के कार्यान्वयन के लिए, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना (डी.पी.पी.) तैयार की जानी चाहिए ताकि सभी सेक्टरों में जिले की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान की जा सके। विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए इस बहु-वर्षीय योजना को ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में शामिल किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत मांग उत्पन्न होने पर प्रारंभ किए जा सकने वाले संभावित कार्यों की एक कार्य-सूची बनाए रखना भी अपेक्षित है।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि चयनित जिलों में जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी, जबकि अभिसरण कार्यों को कार्यों/परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया था।

---

[3] प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए आनुपातिक (पीपीएसडब्ल्यूओआर) विधि के माध्यम से प्रत्येक चयनित ब्लॉक से चार ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

[4] प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थियों का चयन किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी होने के बाद वर्ष 2018-19 तक जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की गई थी और आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की जाएंगी।

2.8 विकास योजना तैयार न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 6.3 में यह प्रावधान है कि श्रम बजट के हिस्से के रूप में शामिल की जाने वाली परियोजनाएं स्थानीय विकास की एक एकीकृत योजना से सृजित होनी चाहिए, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेष रूप से सूक्ष्म जलागम आधार पर ध्यान केंद्रित किया गया हो, ताकि स्थायी आजीविका का सृजन हो सके। लोगों की आवश्यकताओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों जैसे कि मनरेगा श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, लघु एवं सीमांत किसानों, जलागम समितियों और कृषि श्रमिकों के साथ परामर्श के माध्यम से की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सुझाए गए प्राथमिकता वाले कार्यों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध ग्राम सभा के प्रस्तावों और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतें केवल ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार, चयनित ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की सूची तैयार करने में मनरेगा श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, लघु एवं सीमांत किसानों, जलागम समितियों और कृषि श्रमिकों जैसे हितधारकों की भागीदारी को प्रमाणित करने वाले अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि नियोजित कार्यों की तैयारी प्रक्रिया में इन हितधारकों को शामिल किया गया था या नहीं।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया।

2.9 श्रम बजट

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 14(6) यह प्रावधान करती है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष एक श्रम बजट तैयार करना चाहिए, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर सहभागी नियोजन का अनुपालन करते हुए अकुशल कार्यों की अनुमानित मांग शामिल हो। ग्राम पंचायत कार्य प्रस्तावों की पहचान और प्राथमिकता तय करती है तथा उन्हें ब्लॉक वार्षिक योजना में समेकित करने के लिए ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को भेजती है, जो आगे वार्षिक योजना तैयार करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को श्रम बजट प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2019-24 के लिए 40 चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए श्रम बजट का विवरण**,** जिसे ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर समेकन के लिए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था, ***तालिका 2.1*** में दिया गया है।

तालिका 2.1: श्रम बजट तैयार करने के विवरण

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		(संख्या में)				
1	श्रम बजट प्रस्तावित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (40 ग्राम पंचायतों में से)	26	33	30	24	28
2	ग्राम पंचायतों द्वारा उनके श्रम बजट में प्रस्तावित कार्यों की संख्या (क्र.सं. 1 की तुलना में विवरण)	425	658	526	397	410
3	क्र.सं. 2 में उल्लिखित प्रस्तावित कार्यों की तुलना में ब्लॉकों द्वारा श्रम बजट में शामिल किए गए कार्यों की संख्या	380	856	652	382	475
4	प्रस्ताव नहीं भेजने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (40 ग्राम पंचायतों में से)	14	7	10	16	12
5	श्रम बजट नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के ब्लॉक स्तर पर शामिल किए गए कार्य (क्र.सं. 4) (ग्राम पंचायतों की संख्या)	14	5	10	8	12
6	प्रस्ताव नहीं भेजने वाली ग्राम पंचायतों के ब्लॉक स्तर पर शामिल किए गए कार्यों की संख्या (क्र.सं. 4 की तुलना में विवरण)	257	427	63	94	279

स्रोत: ब्लॉक/ग्राम पंचायतों से प्राप्त डेटा

चयनित ग्राम पंचायतों के उपर्युक्त डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

- 24 से 33 ग्राम पंचायतों ने श्रम बजट के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जबकि सात से 16 ग्राम पंचायतों ने 2019-2024 की अवधि के दौरान अपने श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- 5 से 14 ग्राम पंचायतों ने इसी अवधि के दौरान श्रम बजट के माध्यम से कार्यों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए। इसके बावजूद, ग्राम पंचायतों की किसी भी भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर श्रम बजट में 63 से 427 कार्यों को शामिल किया गया था ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- ग्राम पंचायतों ने 397 से 658 कार्यों को शामिल करके अपने श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जबकि ब्लॉक स्तर पर समेकन के पश्चात, 2019-24 के दौरान 380 से 856 कार्यों को दर्शाया गया था। कार्यों की संख्या में यह परिवर्तन संबंधित ग्राम पंचायतों की भागीदारी के बिना किया गया था, जबकि पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत अपेक्षित था ***(परिशिष्ट 2.1)***।
- मेवात जिले ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान अपने श्रम बजट को भारत सरकार द्वारा अंतिम[5] रूप दिए जाने के पश्चात अग्रेषित/पूर्ण[6] किया। भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर के लिए अनुमोदित किए जाने के पश्चात जिला स्तर पर श्रम बजट को अंतिम रूप देने से श्रम बजट तैयार करने का उद्देश्य विफल हो गया।

यह पाया गया कि श्रम बजट में कार्यों को जोड़ने और हटाने का कार्य ब्लॉक स्तर पर किया गया था, जबकि संबंधित ग्राम पंचायतों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, जो यह दर्शाता है कि विभाग ने पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों में परिकल्पित बॉटम-अप सहभागी नियोजन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप मानव दिवस के सृजन में भिन्नता आई, जैसा कि अनुच्छेद 2.15 के तहत चर्चा की गई।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि योजना चरण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि श्रम बजट में शामिल सूची में से कितने कार्यों को शामिल

---

5 2 मार्च 2021, 21 मार्च 2022 और 7 मार्च 2023

6 2 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023

किया जाएगा और विलंब से श्रम बजट प्रस्तुत करने वाले जिलों के लिए भारत सरकार से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रम बजट का मूल्यांकन/निर्धारण योजना चरण के दौरान ही ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर की भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि मांग का सटीक आकलन किया जा सके।

2.10 राज्य सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 5.4.2 यह निर्धारित करता है कि सभी राज्यों को मनरेगा पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना विकसित करनी चाहिए, इसका महत्वपूर्ण कार्य पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ उन अन्य समूहों तक पहुंच बनाना होना चाहिए जो मनरेगा से लाभान्वित हो सकते हैं। सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना में स्पष्ट रूप से राज्य, जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर की गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए। जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी राज्य सरकारें विभिन्न हितधारकों तक मनरेगा के मुख्य संदेशों और प्रमुख प्रावधानों को पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए गहन और नियमित सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाएंगी। विशेष रूप से पलायन संभावित क्षेत्रों में, पलायन के महीनों से पहले और उस दौरान अधिक गहन अभियान चलाए जाए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कोई सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी, यद्यपि 2019-24 के दौरान नमूना जांचे गए जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी। तथापि, 2019-24 के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर ₹ 454.12 लाख की राशि व्यय की गई। यद्यपि चयनित जिलों में वाल पेंटिंग, पम्फलेटों की छपाई और जॉब कार्ड जैसी कुछ गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी इन जिलों द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के निष्पादन के लिए कोई संगठित या व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए।

इस तथ्य की पुष्टि लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणामों से भी हुई, जिसमें पाया गया कि 172 (43 प्रतिशत) लाभार्थी श्रम के अधिकार के बारे में जागरूक नहीं थे। 195 (49 प्रतिशत) लाभार्थी श्रम भुगतान की समय सीमा से अनभिज्ञ थे। 122 (31 प्रतिशत) लाभार्थियों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान की जानकारी नही थी और 207 (52 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि ग्राम सभा की बैठकों में उनके साथ कार्यों के चयन पर चर्चा नहीं की गई थी। इस प्रकार, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अपर्याप्त निष्पादन और सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना के अभाव के कारण, लाभार्थी योजना के लाभों से अनभिज्ञ रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने (सितंबर 2025) बताया कि इस संबंध में रोजगार दिवस का आयोजन, जॉब कार्ड अद्यतन/सत्यापन शिविर, वाल पेंटिंग, सूचना प्रदर्शन बोर्ड, सफलता की कहानियां, मनरेगा कार्यों के चित्रों/वीडियो का संग्रह, जागरूकता शिविर और प्रिंट विज्ञापन जैसी कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

2.11 रोजगार दिवस का आयोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.3 (i) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस आयोजित करना चाहिए। इस

अवसर पर, ग्राम पंचायत को संभावित श्रमिकों से वर्तमान के साथ-साथ आगामी तिमाहियों के कार्य के लिए आवेदन सक्रिय रूप से आमंत्रित करने चाहिए।

'रोजगार गारंटी दिवस' को विशेष रूप से कार्य के आवेदनों की प्रोसेसिंग और संबंधित गतिविधियों जैसे सूचना के प्रकटीकरण, कार्य के आवंटन, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

2019-24 के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित रोजगार दिवस की स्थिति ***तालिका 2.2*** में दी गई है।

तालिका 2.2: चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित 'रोजगार दिवस' की स्थिति

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवस	आयोजित किए गए रोजगार दिवसों की संख्या	रोजगार दिवसों के आयोजन में कमी	कमी प्रतिशतता
2019-20	40	480	155	325	68
2020-21	40	480	162	318	66
2021-22	40	480	192	288	60
2022-23	40	480	176	304	64
2023-24	40	480	151	329	69
कुल	**200**	**2,400**	**836**	**1,564**	**65**

स्रोत: ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकलित डेटा

यह भी पाया गया कि चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से, चार ब्लॉकों[7] की आठ ग्राम पंचायतों[8] में वर्ष 2020-21 के दौरान एक भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान फिरोजपुर झिरका ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों[9] द्वारा कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया। कुल मिलाकर, सभी चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवसों के आयोजन में 18 प्रतिशत से 83 प्रतिशत के मध्य कमी पाई गई ***(परिशिष्ट 2.2)***। चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि रोजगार दिवस नियमित अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है, हालांकि, अब इसे ग्राम पंचायत स्तर पर महीने में एक बार आयोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.12 वित्तपोषण का स्वरूप

मनरेगा एक मांग-आधारित श्रम रोजगार कार्यक्रम है। निधियों के केंद्रीय हिस्से की निकासी (केंद्र और राज्य सरकार के बीच) सहमत श्रम बजट में दर्शाई गई श्रम मांग के अनुमानों पर आधारित होती है।

मनरेगा के तहत निधियों का केंद्रीय हिस्सा सामान्यतः दो किस्तों में जारी किया जाता है। जहां केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त (अग्रिम राशि सहित) की निकासी, वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत श्रम बजट के अनुसार आनुपातिक निधि आवश्यकता पर आधारित होती है, जो पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित कुल निधि के अधिकतम

7 (i) बरवाला, (ii) नारनौंद, (iii) महेंद्रगढ़ और (iv) कनीना।

8 (i) जेवरा, (ii) बधवाड़ (बरवाला), (iii) कापड़ो, (iv) राखी शाहपुर (नारनौंद), (v) छाजियावास (महेन्द्रगढ़), (vi) पोटा, (vii) गहेरा (कनीना) और (viii) खुडाना।

9 (i) बसई मेव, (ii) हसनपुर बिलोंडा, (iii) सकरास और (iv) लुहिंगा खुर्द (फिरोजपुर झिरका)।

50 प्रतिशत के अधीन है। आगे, दूसरी किस्त की अगली निकासी, वर्ष के दौरान अव्ययित शेष और सहमत श्रम बजट की तुलना में वास्तविक निष्पादन पर आधारित होती है।

योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य के बीच निधि साझाकरण अनुपात का विवरण ***तालिका 2.3*** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तपोषण का स्वरूप

घटक का विवरण	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा
अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	100 प्रतिशत	-
कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में विलंब के लिए मुआवजा	-	100 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	100 प्रतिशत[10]	राज्य रोजगार गारंटी परिषद का व्यय

स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005

निधियों का केंद्रीय हिस्सा संबंधित राज्य के जिलों/पंचायतों/कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को आगे आवंटन के लिए राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) को जारी किया जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि का विस्तार और प्रबंधन मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निधि गवर्नेंस नियमों के तहत किया जाता है।

2.12.1 मनरेगा हेतु निधियों का निर्गमन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति पत्र के पैरा 2 में यह प्रावधान निर्धारित करता है कि राज्य सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए इन निधियों की प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर राज्य के हिस्से के साथ निधियां राज्य रोजगार गारंटी निधि में अंतरित करनी चाहिए (2019-21 के दौरान)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान अंतरित निधियों के लिए, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय हिस्से के प्राप्ति के अधिकतम 15 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्से और उसके अनुरूप राज्य हिस्से को राज्य नोडल खाते (एस.एन.ए.) में जारी करना अनिवार्य था।

वर्ष 2019-2024 के दौरान जारी की गई निधियां और उनकी तुलना में किए गए व्यय का विवरण ***तालिका 2.4*** में दिया गया है।

तालिका 2.4: जारी की गई निधियां और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी की गई निधियां				कुल जारी निधियां	विविध प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय				कुल व्यय	सरकार को वापस किया गया ब्याज	अंतिम शेष
		सामग्री		श्रम	प्रशासन				सामग्री		श्रम	प्रशासन			
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा						केंद्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2019-20	35.70	95.55	30.22	242.71	0.00	368.48	0.61	404.79	83.05	27.68	242.71	11.59	365.03	0.00	39.76
2020-21	39.76	162.67	54.22	603.08	0.00	819.97	0.85	860.58	180.57	60.18	603.08	13.26	857.09	0.00	3.49
2021-22	3.49	231.06	77.02	464.75	34.52	807.35	1.01	811.85	181.79	60.60	464.75	11.37	718.51	0.83	92.51
2022-23	92.51	67.63	22.54	310.40	0.00	400.57	0.90	493.98	114.43	38.14	310.40	14.22	477.19	1.03	15.76
2023-24	15.76	114.34	38.11	363.31	4.60	520.36	1.34	537.46	116.59	38.86	363.31	17.33	536.09	0.75	0.62
कुल		**671.25**	**222.11**	**1,984.25**	**39.12**	**2,916.73**	**4.71**	**2,921.44**	**676.43**	**225.46**	**1,984.25**	**67.77**	**2,953.91**	**2.61**	

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय

10 प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का छः प्रतिशत तक हो सकता है, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा पर होने वाला 0.5 प्रतिशत तक का व्यय भी शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- कोविड-19 महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान श्रम बजट में वृद्धि हुई थी, कोई विशेष कारण अभिलेख में नहीं था।
- राज्य सरकार ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019-24 के दौरान लिए राज्य रोजगार गारंटी निधि/राज्य नोडल खाते में निधियां (सामग्री मद में ₹ 671.25 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 222.11 करोड़ का राज्य हिस्सा) एक से 131 दिनों के विलंब के साथ अंतरित की, जिसमें औसत विलंब 50 दिनों का रहा ***(परिशिष्ट 2.3)***।

एग्जिट मीटिंग में, विभाग ने स्वीकार किया (सितंबर 2025) कि यह विलंब वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी करने के कारण हुआ था और इस मामले को विभाग के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

2.13 मजदूरी के भुगतान में असामान्य विलंब

मनरेगा, 2005 की संशोधित अनुसूची II के अनुच्छेद 29 के निबंधनों और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ.19 (ई) जनवरी 2014 के अनुसार, भुगतान में विलंब के लिए मुआवजा प्रणाली स्थापित करने की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रणाली के अनुसार, मनरेगा श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के पश्चात हुए विलंब के लिए प्रतिदिन अदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। विलंब मुआवजे के लिए भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिकों से की जानी है।

चयनित 40 ग्राम पंचायतों के चयनित 280 कार्यों के मस्टर रोल की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान, निर्धारित समय की तुलना में एक से 552 दिनों के विलंब से किया गया था ***(तालिका 2.5)***। इन मामलों के संबंध में, मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

तालिका 2.5: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में मजदूरी के विलंबित भुगतान का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्य की अवधि	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब की सीमा
	करनाल (ब्लॉक इंद्री)					
1	बियाना	6	2	08 मार्च 2022 से 05 जनवरी 2024 तक	1.77	34-325
2	धनो खेड़ी	14	3	06 जनवरी 2021 से 20 दिसंबर 2023 तक	3.81	32-115
3	खानपुर	28	3	11 मार्च 2022 से 17 जनवरी 2024 तक	6.75	30-263
4	मुसेपुर	19	3	06 सितंबर 2019 से 23 फरवरी 2020 तक	4.99	21-417
	करनाल (ब्लॉक असंध)					
5	अरडाना	23	3	30 अक्तूबर 2019 से 29 दिसंबर 2023 तक	3.40	20-49
6	कोलखेड़ा	33	3	21 सितंबर 2020 से 23 मार्च 2024 तक	6.85	18-111
7	पढाना	12	2	13 सितंबर 2019 से 05 फरवरी 2021 तक	2.97	14-339
8	सालवन	98	3	20 अगस्त 2022 से 21 मार्च 2024 तक	32.10	23-126
	मेवात (ब्लॉक नूंह)					
9	बझेड़ा	15	3	17 सितंबर 2019 से 05 जनवरी 2024 तक	8.16	3-49
10	बरोजी	24	7	16 दिसंबर 2019 से 17 जनवरी 2024 तक	14.93	8-60
11	दिहाना	9	4	13 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2024 तक	14.54	4-45
12	तांई	6	3	04 नवंबर 2019 से 19 अक्तूबर 2023 तक	4.15	10-52
	मेवात (ब्लॉक फिरोजपुर झिरका)					
13	बसई मेव	10	4	09 सितंबर 2019 से 24 दिसंबर 2020 तक	9.68	2-148

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	मस्टर रोल की संख्या	कार्यों की संख्या	कार्य की अवधि	राशि (₹ लाख में)	दिनों में विलंब की सीमा
14	हसनपुर बिलोंडा	13	5	27 फरवरी 2020 से 12 सितंबर 2024 तक	13.60	2-61
15	लुहिंगा खुर्द	8	6	22 नवंबर 2019 से 25 फरवरी 2021 तक	29.90	2-128
16	सकरास	5	3	24 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2022 तक	6.07	4-102
	यमुना नगर (ब्लॉक बिलासपुर)					
17	भवानीपुर	12	2	26 दिसंबर 2019 से 17 जुलाई 2021 तक	1.87	2-206
18	काठगढ़	69	8	25 सितंबर 2020 से 14 अगस्त 2023 तक	19.71	3-552
19	मंगलोर	20	4	12 सितंबर 2019 से 13 मार्च 2020 तक	4.49	9-89
20	सुल्तानपुर	11	2	21 जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक	2.01	4-54
	यमुना नगर (ब्लॉक जगाधरी)					
21	भोजपुर	10	2	07 अप्रैल 2022 से 09 मार्च 2023 तक	2.65	11-51
22	कैल	18	3	25 जुलाई 2018 से 15 मार्च 2024 तक	3.22	1-67
23	लापरा	52	7	18 सितंबर 2019 से 21 मार्च 2024 तक	16.91	2-122
24	रामपुर माजरा	15	5	21 जून 2019 से 19 अगस्त 2023 तक	4.46	4-45
	हिसार (ब्लॉक बरवाला)					
25	भानी बादशाहपुर	23	1	27 जुलाई 2023 से 04 अगस्त 2023 तक	4.34	81
26	जेवरा	83	6	30 दिसंबर 2020 से 01 फरवरी 2024 तक	13.79	36-89
27	कुंभा खेड़ा	35	6	19 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2024 तक	7.47	27-164
28	बधावड़	48	5	31 दिसंबर 2020 से 07 जून 2022 तक	10.46	10-201
	हिसार (ब्लॉक नारनौंद)					
29	खेड़ी लोचब	51	2	12 अगस्त 2022 से 12 दिसंबर 2023 तक	8.19	34-43
30	काप्रो	5	1	25 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक	0.45	241
31	मोथ रांगड़ान	24	2	22 मार्च 2023 से 13 सितंबर 2023 तक	1.48	28-42
32	राखी शाहपुर	8	2	22 अगस्त 2023 से 14 जनवरी 2024 तक	2.16	48-58
	महेंद्रगढ़ (ब्लॉक महेंद्रगढ़)					
33	खुडाना	4	2	08 नवंबर 2019 से 17 जनवरी 2021 तक	2.28	21-40
	महेंद्रगढ़ (ब्लॉक कनीना)					
34	गहेरा	4	3	18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2022 तक	1.20	19-21
	कुल	**794**	**120**		**268.82**	**1-552**

विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान के लिए फील्ड पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

2.14 मनरेगा का कार्यान्वयन और रोजगार सृजन

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के साथ वर्ष भर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के कार्यान्वयन और रोजगार सृजन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.14.1 परिवारों का पंजीकरण

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.1 (ii) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा हर वर्ष घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं। मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.4 में यह प्रावधान है कि सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (नरेगासॉफ्ट) में दर्ज किए जाएंगे।

नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी वर्ष 2019-24 के दौरान योजना के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके सापेक्ष पंजीकृत परिवारों के विवरण से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया था। इसके कारण, आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- चयनित जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वर्ष 2019-24 के दौरान कोई भी घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
- चार ग्राम पंचायतों[11] से संबंधित 263 मामलों में, एक ही परिवार/व्यक्ति (एच.एच.) को दो जॉब कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से 37 जॉब कार्ड धारकों ने दोनों जॉब कार्डों पर कार्य प्राप्त किया था। दोहरे जॉब कार्डों का अस्तित्व एक ही कार्डधारक को एक साथ अनियमित भुगतान किए जाने के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन 37 जॉब कार्ड धारकों को दूसरे जॉब कार्ड पर ₹ 3.51 लाख का भुगतान ***(परिशिष्ट 2.4)*** किया गया था।

प्राप्त आवेदनों के विवरण और जॉब कार्ड रजिस्टर जैसे बुनियादी अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में असमर्थ रही।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में आश्वासन दिया कि दो जॉब कार्ड वाले व्यक्तियों के मामलों में कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.14.2 जॉब कार्डों का जारी किया जाना और उनका अद्यतन

2.14.2.1 पंजीकरण और जॉब कार्ड के लिए अनिवार्य रजिस्टरों का रखरखाव

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.2 (i) में यह प्रावधान है कि ऐसा परिवार जिसके वयस्क सदस्य मनरेगा के तहत अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा प्रचालन दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.5 (i) में यह प्रावधान है कि यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन प्राप्त होने के पखवाड़े (15 दिन) के भीतर उस परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 3.1.5 (xii) में यह स्पष्ट किया गया है कि जॉब कार्ड की सभी प्रविष्टियों को एक प्राधिकृत अधिकारी[12] के हस्ताक्षर के माध्यम से विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। मनरेगा प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 10.3.5 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव द्वारा जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टर का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है।

चयनित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- नमूना-जांच के लिए चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 20 में श्रमिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन रजिस्टर और जॉब कार्ड रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। अतः, लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने में असमर्थ रही कि जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण के

[11] (i) सकरास, (ii) हसनपुर बिलोंडा, (iii) बसई मेव और (iv) लुहिंगा खुर्द।

[12] सरपंच/पंचायत सचिव।

लिए आवेदन किया था, वे पंजीकृत हो पाए या नहीं; साथ ही, अधिदेश के अनुसार पखवाड़े की अवधि के भीतर जॉब कार्ड जारी करने की सत्यता की पुष्टि भी नहीं की जा सकी।

- इसके अतिरिक्त, किसी भी नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायत में जॉब कार्डों पर उपस्थिति दर्ज करना, किए गए भुगतानों का अद्यतन, लाभार्थियों द्वारा मांगे गए कार्य, तथा जॉब कार्ड व जॉब कार्ड रजिस्टर पर फोटोग्राफ चिपकाना नहीं पाया गया। यहां तक कि नमूना-जांच की गई सभी 40 ग्राम पंचायतों के मामले में नरेगासॉफ्ट पर भी जॉब कार्ड धारकों की फोटो पहचान उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अनिवार्य रजिस्टरों के रखरखाव और उन्हें अद्यतन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे और इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

2.14.2.2 जॉब कार्डों का अद्यतन

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.5 (xv एवं xvi) में यह प्रावधान है कि यदि किन्हीं भी कारणों से जॉब कार्ड को निरस्त किया जाना है, तो कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों के स्वतंत्र सत्यापन और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड निरस्त करने का निर्देश दे सकता है। निरस्त किए गए सभी जॉब कार्डों की सूची को सार्वजनिक किया जाएगा और इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे प्रबंधन सूचना प्रणाली में अद्यतित किया जाएगा और ग्राम पंचायत द्वारा नए जोड़े गए/हटाए गए नामों की सूची कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जाएगी।

नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायत तांई (ब्लॉक-नूंह) में जॉब कार्डों के अद्यतन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक ही दिन, अर्थात् 14 दिसंबर 2022 को 'कार्य करने के इच्छुक नहीं' होने का कारण बताते हुए 951 जॉब कार्ड हटा दिए गए थे। इन हटाए गए जॉब कार्डों में से 285 जॉब कार्ड अप्रैल/मई 2020 में जोड़े गए/पंजीकृत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, कार्य[13] के मस्टर रोल की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हटाए गए 285 जॉब कार्डों में से 184 जॉब कार्ड धारक कार्य पर नियुक्त थे। यदि ये 184 जॉब कार्ड धारक वर्ष 2020-2022 के दौरान कार्य में लगे हुए थे, तो उन्हें हटाने के लिए दर्ज किया गया कारण 'कार्य करने के इच्छुक नहीं' सही प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि उक्त कार्य के मस्टर रोल पर न तो श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान पाए गए और न ही कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टर रोल पर हस्ताक्षर/प्रमाणन किया गया था।

इन श्रमिकों को हटाए जाने से संबंधित अभिलेख, जैसे पंजीकरण रजिस्टर, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वतंत्र सत्यापन और हटाए गए जॉब कार्डों की सूची, जो संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को भेजी गई थी, ग्राम पंचायत/ब्लॉक के अभिलेख में नहीं पाई गई। इस प्रकार, अपेक्षित अभिलेखों

---

13 वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत-तांई, ब्लॉक-नूंह में पंचायत भूमि पर तालाब की खुदाई।

के अभाव में, लेखापरीक्षा एक ही दिन में 951 जॉब कार्डों को हटाए जाने की सत्यता/कारणों की पुष्टि नहीं कर सकी।

विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस में बताया (सितंबर 2025) कि जॉब कार्डों को हटाए जाने के संबंध में विस्तृत उत्तर/रिपोर्ट भेजी जाएगी।

हालांकि, 400 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 115 लाभार्थियों के पास भौतिक जॉब कार्ड नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 145 लाभार्थियों के जॉब कार्डों पर फोटोग्राफ लगे नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त, 31 लाभार्थियों के जॉब कार्डों पर संयुक्त फोटोग्राफ लगे हुए थे, 380 लाभार्थियों ने बताया कि पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार किए गए थे, 328 लाभार्थियों ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली थी; 137 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में भुगतान प्रविष्टियों के संबंध में कोई विसंगति नहीं थी; 134 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में किए गए कार्यों की प्रविष्टियों के संबंध में कोई विसंगति नहीं थी और 180 लाभार्थियों ने बताया कि जॉब कार्ड में हस्ताक्षर का कॉलम रिक्त था।

2.15 अनुमानित और प्राप्त मानव दिवस

मनरेगा प्रचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.1.3 में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की सूची के अनुमोदन हेतु योजना की नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

राज्य में प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों का विवरण ***तालिका 2.6*** में दिया गया है।

तालिका 2.6: राज्य में प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक रूप से सृजित मानव दिवसों का विवरण

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानव दिवसों की संख्या	वास्तव में सृजित मानव दिवसों की संख्या	भारत सरकार द्वारा मानव दिवसों का संशोधित अनुमोदन	मानव दिवसों के अनुमोदन में कमी (-)/ अधिकता (+)	अनुमानित की तुलना में मानव दिवसों में कमी (-)/ अधिकता (+)	वास्तविक अनुमोदन की तुलना में मानव दिवसों के सृजन में कमी (-)/ अधिकता (+)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (2-4)	8 (4-3)
2019-20	119.26	100.00	91.19	-	(-) 8.81	(-) 28.07 (24)	(-) 8.81 (9.66)
2020-21	125.00	100.00	179.62	185.00	(+) 5.38	(+) 54.62 (44)	(+) 79.62 (44.32)
2021-22	125.00	100.00	146.39	141.00	(-) 5.39	(+) 21.39 (17)	(+) 46.39 (31.69)
2022-23	200.00	125.00	96.50	-	(-) 28.50	(-) 103.50 (52)	(-) 28.50 (29.53)
2023-24	126.77	100.00	123.20	120.00	(-) 3.20	(-) 3.57 (3)	(+) 23.20 (18.83)
कुल	696.03	525.00	636.90				

स्रोत: विभागीय डेटा

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि, कोविड-19 महामारी के वर्ष 2020-22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानव दिवसों की तुलना में अधिक मानव दिवसों का सृजन पाया गया। अभिलेख में इस अतिरिक्त सृजन का कोई कारण नहीं पाया गया।

यद्यपि, श्रम बजट को संशोधित करने का प्रावधान विद्यमान था, किंतु वास्तव में सृजित मानव दिवसों के अनुसार संशोधित श्रम बजट का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। भारत सरकार ने 2020-21 (कोविड-19 महामारी के वर्ष) को छोड़कर, वर्ष 2021-22 और 2023-24 में मानव दिवसों में कटौती की। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए मानव दिवसों के अतिरिक्त सृजन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था (दिसंबर 2024)।

इसी प्रकार, चयनित जिलों में वर्ष 2019-2024 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 2.05 लाख से 21.07 लाख के बीच लक्ष्य प्राप्ति में कमी पाई गई, सिवाय हिसार के, जहां अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 1.53 लाख अतिरिक्त मानव दिवसों का सृजन किया गया ***(परिशिष्ट 2.5)***।

इसके अतिरिक्त, सभी चयनित ब्लॉकों में मानव दिवसों का अतिरिक्त सृजन किया गया, सिवाय फिरोजपुर झिरका ब्लॉक, जहां वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में 2.92 लाख मानव दिवसों की कमी पाई गई ***(परिशिष्ट 2.6)***। इसके परिणामस्वरूप, श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की भागीदारी का अभाव रहा।

यह इस बात का संकेत था कि श्रम बजट ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तुत प्रस्तावों से तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि कार्यों की संख्या और उनकी प्रकृति में संशोधन ब्लॉक/जिला स्तर पर किए गए थे, जैसा कि अनुच्छेद 2.9 में चर्चा की गई।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि की और बताया (सितंबर 2025) कि प्राप्त मानव दिवसों के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

2.16 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार

मनरेगा का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा के तहत वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति ***तालिका 2.7*** में विस्तृत रूप से दी गई है।

तालिका 2.7: वर्ष 2019-24 के दौरान संपूर्ण राज्य में प्रदान किए गए रोजगार का विवरण

वर्ष	कार्य करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या				रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की प्रतिशतता			
		100 दिन	70 से <100 दिन	50 से <70 दिन	<50 दिन	100 दिन	70 से <100 दिन	50 से <70 दिन	<50 दिन
1	2	3	4	5	6	7 (3/2*100)	8 (4/2*100)	9 (5/2*100)	10 (6/2*100)
2019-20	2,57,793	4,831	35,295	28,073	1,89,594	2	14	11	74
2020-21	4,56,965	14,077	81,098	48,941	3,12,849	3	18	11	68
2021-22	4,03,747	11,041	52,402	44,927	2,95,377	3	13	11	73
2022-23	3,07,954	3,447	31,172	30,187	2,43,148	1	10	10	79
2023-24	3,66,501	2,557	45,753	40,601	2,77,590	1	12	11	76
कुल	**17,92,960**	**35,953**	**2,45,720**	**1,92,729**	**13,18,558**	**2**	**14**	**11**	**74**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों का अनुपात मात्र एक से तीन प्रतिशत था, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार प्राप्त हुआ।

वर्ष 2019-24 के दौरान, चयनित ग्राम पंचायतों ने अपने श्रम बजट कार्यों की संख्या के संदर्भ में प्रस्तावित किए थे, किंतु श्रम/मानव दिवसों के उपयोग और सामग्री का आकलन न तो ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया और न ही ब्लॉक स्तर पर। इसके अतिरिक्त, इन ग्राम पंचायतों में मांग रजिस्टर या कार्य रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। इस प्रकार, उन व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित करना संभव नहीं था जिन्होंने कार्य की मांग की थी।

यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-2024 के दौरान 6.62 प्रतिशत से 32.14 प्रतिशत के मध्य ऐसी ग्राम पंचायतें थी, जिन्होंने रोजगार का एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया, जैसा कि ***तालिका 2.8*** में दिया गया है।

तालिका 2.8: राज्य में 'शून्य' मानव दिवस वाली ग्राम पंचायतों का विवरण

वर्ष	राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या	शून्य मानव दिवस वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रतिशतता
2019-20	6,331	2,035	32.14
2020-21	6,318	418	6.62
2021-22	6,256	460	7.35
2022-23	6,250	1,699	27.18
2023-24	6,242	1,260	20.18

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर आर 5.1.6 से संकलित डेटा

यह भी पाया गया कि चयनित जिलों की 1.84 प्रतिशत से 62.39 प्रतिशत के मध्य ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-2024 के दौरान एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया ***(परिशिष्ट 2.7)***। इस प्रकार, मांग रजिस्टर के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि रोजगार की मांग होने के बावजूद मानव दिवसों का सृजन किया गया था या नहीं।

विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और परिवारों की मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। मांग रजिस्टर की अनुपस्थिति में, विभाग का यह तर्क सत्यापन योग्य नहीं था।

2.17 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

मनरेगा की अनुसूची-I का अनुच्छेद 16 यह अधिदेश करता है कि मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर पैमाइश लिए जाने के बाद ही मजदूरी का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 7.14.2 यह प्रावधान करता है कि साप्ताहिक मस्टर रोल और माप पुस्तिका में दर्ज पैमाइशों को नरेगासॉफ्ट में दर्ज करने के बाद ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान आदेश सृजित किए जा सकते हैं।

2.17.1 मजदूरी का भुगतान न करना

अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित ब्लॉकों[14] की चयनित ग्राम पंचायतों[15] में पांच कार्य निष्पादित किए गए थे। इन कार्यों में नौ मस्टर रोल के

[14] (i) फिरोजपुर झिरका, (ii) नूंह और (iii) जगाधरी।

[15] (i) हसनपुर बिलोंडा, (ii) लुहिंगा खुर्द, (iii) बझेरा, (iv) कैल और (v) लापरा।

माध्यम से 43 श्रमिकों को तैनात किया गया था और 527 मानव दिवस सृजित किए गए थे। हालांकि, भुगतान आदेश सृजित करने के लिए मस्टर रोल को प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था, जिसके कारण इन कार्यों में लगे श्रमिकों को ₹ 1.64 लाख की मजदूरी ***(परिशिष्ट 2.8)*** का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, माप पुस्तिका में पैमाइश दर्ज की गई थी, किंतु श्रमिकों को संबंधित भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि उपर्युक्त लेनदेन के निधि अंतरण आदेश पुनः सृजित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली में मस्टर रोल की प्रविष्टियां न होने और निधि अंतरण आदेशों के पुन: सृजन न होने के कारण, कार्यों के निष्पादन के बावजूद मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.17.2 अकुशल श्रमिकों को किया गया अधिक भुगतान

चयनित ब्लॉकों[16] की दो ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से अकुशल श्रमिकों की उपस्थिति के संबंध में मैनुअल मस्टर रोल और ई-मस्टर रोल के बीच विसंगति ज्ञात हुई। मैनुअल मस्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी, जबकि भुगतान ई-मस्टर रोल के माध्यम से किया गया था। ***तालिका 2.9*** में दिए गए विवरण के अनुसार, 1,418 उपस्थितियों के लिए ₹ 4.45 लाख की मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया। यह भी पाया गया कि भौतिक मस्टर रोल पर अकुशल श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान दर्ज नहीं थे।

तालिका 2.9: अकुशल श्रमिकों को किए गए अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	मस्टर रोल संख्या	कार्य की अवधि	मस्टर रोल में कुल उपस्थिति			प्रतिदिन मजदूरी (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
			भौतिक	एम.आई.एस.	आधिक्य		
1	107/109	25/26 सितंबर 2019 से 01 अक्तूबर 2019	420	490	70	284	19,880
2	1516	20 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2022	49	679	630	315	1,98,450
3	1517	-सम-	7	217	210	315	66,150
4	1526	27 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022	4	396	392	315	1,23,480
5	1527	-सम-	4	120	116	315	36,540
कुल			**484**	**1,902**	**1,418**		**4,44,500**

स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों के मस्टर रोल से संकलित आंकड़े

इस प्रकार, ऑनलाइन अपलोडिंग के दौरान ई-मस्टर रोल में वास्तविक उपस्थिति के बजाय अधिक उपस्थिति दर्ज की गई, जो भौतिक मस्टर रोल में दर्ज वास्तविक उपस्थिति को नहीं दर्शाती है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि संबंधित ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) को मजदूरी के अधिक भुगतान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

[16] फिरोजपुर झिरका (बसई मेव ग्राम पंचायत), (ii) नूंह (बरोजी ग्राम पंचायत)।

2.18 कार्यों के निष्पादन के लिए लक्ष्य की प्राप्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 7.17 में प्रावधान है कि अपूर्ण कार्यों के समाधान के लिए एक रणनीति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संचालन दिशानिर्देश 2013 का अनुच्छेद 7.17.4 यह प्रावधान करता है कि उन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को कोई स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, जहां कार्य प्रस्तावित वर्ष के बाद एक से अधिक वित्तीय वर्ष से अपूर्ण पड़े हैं।

वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त योजना के अंतर्गत कार्यों की स्थिति ***तालिका 2.10*** में दी गई है।

तालिका 2.10: 2019-24 के दौरान राज्य में कार्यों का विवरण

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (कुल कार्यों का प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (कुल कार्यों का प्रतिशत)	कुल कार्य	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
	(कुल कार्यों के विरुद्ध प्रतिशत)				
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	15,926 (26.17)	16,070 (26.41)	28,855 (47.42)	60,851	2,385.49
2020-21	21,460 (25.24)	27,223 (32.02)	36,328 (42.73)	85,011	9,341.72
2021-22	26,443 (29.26)	22,022 (24.36)	41,906 (46.37)	90,371	13,267.16
2022-23	8,791 (10.41)	27,811 (32.94)	47,834 (56.65)	84,436	12,384.60
2023-24	9,283 (8.79)	37,492 (35.50)	58,833 (55.71)	1,05,608	30,305.61
कुल	**81,903 (19.21)**	**1,30,618 (30.64)**	**2,13,756 (50.15)**	**4,26,277**	**67,684.58**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

सितंबर 2024 तक, ₹ 676.85 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 19.21 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए और 30.64 प्रतिशत कार्य अपूर्ण या निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत कार्यों में से 50.15 प्रतिशत कार्य अभी तक प्रारंभ ही नहीं किए गए हैं।

इसी प्रकार, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण/निलंबित और निष्पादित न किए गए कार्यों की स्थिति, जैसा कि सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त की गई है, ***तालिका 2.11*** में दी गई है।

तालिका 2.11: नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में कार्यों की स्थिति

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (प्रतिशत)	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	5,950 (22.07)	6,576 (24.39)	14,432 (53.54)	26,958	1,148.34
2020-21	8,320 (23.20)	10,407 (29.02)	17,130 (47.77)	35,857	5,806.07
2021-22	9,034 (24.50)	8,304 (22.52)	19,541 (52.99)	36,879	6,060.79
2022-23	3,247 (9.27)	9,266 (26.44)	22,531 (64.29)	35,044	4,192.36
2023-24	3,375 (7.92)	12,069 (28.34)	27,148 (63.74)	42,592	9,504.10
कुल	**29,926 (16.88)**	**46,622 (26.29)**	**1,00,782 (56.83)**	**1,77,330**	**26,717.66**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

नमूना-जांच किए गए जिलों में, सितंबर 2024 तक ₹ 267.18 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 16.88 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए थे और 26.28 प्रतिशत कार्य अपूर्ण या निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, कुल कार्यों में से 56.83 प्रतिशत कार्य स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रारंभ नहीं किए गए हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए ब्लॉकों में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण/निलंबित और निष्पादित न किए गए कार्यों की स्थिति ***तालिका 2.12*** में दी गई है।

तालिका 2.12: चयनित ब्लॉकों में कार्यों की स्थिति

वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	अनुमोदित कार्य किंतु प्रारंभ नहीं हुए (प्रतिशत)	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5= (2+3+4)	6
2019-20	2,007 (26.71)	1,510 (20.09)	3,998 (53.20)	7,515	171.44
2020-21	2,635 (27.49)	2,112 (22.03)	4,839 (50.48)	9,586	359.49
2021-22	2,319 (23.82)	1,869 (19.20)	5,546 (56.98)	9,734	788.16
2022-23	921 (9.57)	2,268 (23.58)	6,431 (66.85)	9,620	1,260.31
2023-24	980 (8.35)	3,122 (26.61)	7,630 (64.04)	11,732	2,799.60
कुल	**8,862 (18.39)**	**10,881 (22.58)**	**28,444 (59.03)**	**48,187**	**5,379.00**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा

कुल 48,187 कार्यों में से, सितंबर 2024 तक ₹ 53.79 करोड़ का व्यय होने के बाद केवल 8,862 कार्य (18.39 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे और 10,881 कार्य (22.58 प्रतिशत) अपूर्ण/निलंबित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, 28,444 कार्य (कुल कार्यों का 59.03 प्रतिशत) स्वीकृति मिलने के बाद भी शुरू नहीं किए गए हैं ***(परिशिष्ट 2.9)***।

इस प्रकार, स्वीकृत कार्यों में से 50 प्रतिशत से अधिक कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए, जो कि कार्य-योजना और कार्यों की सूची के चयन में कमियों को दर्शाता है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि कम मांग के कारण, लक्षित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी और आश्वासन दिया कि अपूर्ण (छोड़े गए/निलंबित) पड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.19 अपूर्ण कार्य और कार्यों पर निष्फल व्यय

2.19.1 अपूर्ण कार्य

चयनित कार्य स्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि सात[17] ग्राम पंचायतों में नौ कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रहे, इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-24 के दौरान किया गया ₹ 45.16 लाख का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा, जैसा कि ***तालिका 2.13*** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि ये कार्य अभी भी प्रगति (दिसंबर 2024) पर थे।

17 (i) कैल, (ii) लापरा, (iii) बयाना, (iv) अरदाना, (v) सालवन, (vi) दिहाना और (vii) बरोजी।

तालिका 2.13: नमूना-जांच की गई ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक/ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
1	जगाधरी/कैल	सरकारी स्कूल से डेयरी तक नाले (प्रस्तावित) के साथ पंचायती भूमि में मिट्टी भराई का कार्य	1 अप्रैल 2021	24.76	4.09
2	जगाधरी/लापरा	पंचायती भूमि खसरा संख्या 12//1, 9//20/21 में मिट्टी भराई का कार्य	1 दिसंबर 2023	13.18	10.51
3	इंद्री/बियाना	बयाना (शमशान घाट) में पार्क का निर्माण	1 फरवरी 2022	3.37	0.27
4	इंद्री/बियाना	बस स्टैंड बयाना के पास तालाब का नवीनीकरण और रखरखाव (आर.पी. मटेरियल बिल्डिंग)	1 जून 2022	19.32	9.99
5	असंध/अरदाना	जे.एस.ए. अरदाना के तहत ऑक्सी वैन का निर्माण	31 दिसंबर 2021	9.30	3.34
6	असंध/सलवान	पंचायत भूमि सालवन में प्लॉट नंबर 9 या 10 में कृषि तालाब की खुदाई	18 मई 2023	30.37	5.78
7	नूंह/दिहाना	सरकारी मिडिल स्कूल में भूमि विकास कार्य (23858)	18 मई 2021	9.30	7.52
8	नूंह/बरोजी	पहाड़ के पास तालाब की खुदाई (23693)	4 अप्रैल 2022	24.78	1.05
9	नूंह/बरोजी	पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से शिवधाम तक मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता (16062)	30 जून 2020	9.82	2.61
	कुल			**144.20**	**45.16**

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में बताया कि विस्तृत उत्तर जांच के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

2.19.2 संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.1 के अनुसार, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनरेगा के तहत निर्मित की जा रही संपत्तियों की गुणवत्ता और उनके स्थायित्व को सुनिश्चित किया जाए।

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई:

(i) ग्राम पंचायत मुसेपुर, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में दो स्थानों[18] पर पशु शेड के निर्माण कार्य हेतु (दिसंबर 2020) ₹ 1.14 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 1.14 लाख की स्वीकृत लागत के विरुद्ध, इन कार्यों पर ₹ 0.69 लाख[19] का व्यय किया गया और प्रबंधन सूचना प्रणाली में इसे (20 अप्रैल 2021) पूर्ण दर्शाया गया। हालांकि, भौतिक सत्यापन (अगस्त 2024) के दौरान यह पाया गया कि दोनों में से किसी भी स्थान पर पशु शेड विद्यमान नहीं था।

(ii) ग्राम पंचायत खानपुर, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में हरिजन मोहल्ला में स्थित तालाब की मरम्मत और रखरखाव के कार्य हेतु (अप्रैल 2023) ₹ 9.02 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 2.98 लाख का व्यय करने के उपरांत इस कार्य को पूर्ण दर्शाया गया। प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, 15 अप्रैल 2024 को कार्य की स्थिति पूर्ण दर्शाई गई थी। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, तालाब की मरम्मत और रखरखाव का कोई भी कार्य किया हुआ नहीं पाया गया, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ संख्या 2.1 (कार्य शुरू होने से पहले) और 2.2 (कार्य शुरू होने के बाद) में दर्शाया गया है:

---

18 (i) सुरेश कुमार पुत्र श्री कीरू राम और (ii) जगपाल पुत्र श्री रेहतू राम।

19 ₹ 0.69 लाख = ₹ 0.18 लाख + ₹ 0.51 लाख।

फोटोग्राफ संख्या 2.1: कार्य शुरू होने से पहले **स्रोत: भुवन मनरेगा पोर्टल पर जियो-टैगिंग**	**फोटोग्राफ संख्या 2.2: कार्य पूर्ण होने के पश्चात**

(iii) ग्राम पंचायत बियाना, ब्लॉक इंद्री, जिला करनाल में पार्क निर्माण के कार्य हेतु (मार्च 2020) ₹ 21.76 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 16.66 लाख का व्यय करने के उपरांत कार्य पूर्ण कर लिया गया था। नरेगासॉफ्ट पर भी कार्य की स्थिति (11 जनवरी 2022) पूर्ण दर्शाई गई थी। स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2024) के दौरान, यह पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा पार्क का उपयोग गाय/भैंस के गोबर के उपलों के भंडारण के लिए किया जा रहा था (फोटोग्राफ 2.3)। परिणामस्वरूप, पार्क उपयोग में नहीं था और ₹ 16.66 लाख का व्यय निष्फल रहा।

फोटोग्राफ संख्या 2.3: ग्राम पंचायत बियाना में पार्क के निर्माण का कार्य

(iv) ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो, ब्लॉक जगाधरी, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि पर भूमि समतलीकरण के कार्य हेतु (अक्तूबर 2020) ₹ 2.09 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ₹ 2.01 लाख का व्यय करने के उपरांत यह कार्य पूर्ण कर लिया गया था। प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार (30 दिसंबर 2020) कार्य की स्थिति पूर्ण दर्शाई गई थी। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान, वहां कोई भी भूमि समतलीकरण होता हुआ नहीं पाया गया, जैसा कि फोटोग्राफ संख्या 2.4 और 2.5 से स्पष्ट है। अतः, ₹ 2.01 लाख का यह व्यय व्यर्थ रहा।

फोटोग्राफ संख्या 2.4 और 2.5: ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो में पंचायती भूमि पर भूमि समतलीकरण का कार्य

(v) ग्राम पंचायत भोजपुर परवालो, ब्लॉक जगाधरी, जिला यमुनानगर में व्यायामशाला के समीप, तालाब की गाद निकालने और खुदाई के कार्य हेतु (जुलाई 2022) पारंपरिक जल निकायों के जीर्णोद्धार की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 7.95 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 7.48 लाख का व्यय करने के उपरांत यह कार्य (6 जुलाई 2023

फोटोग्राफ संख्या 2.6: ग्राम पंचायत भोजपुर में व्यायामशाला के समीप तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कार्य

को) पूर्ण दर्शाया गया था। स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान, तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कोई भी कार्य किया हुआ नहीं पाया गया और यह कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट सामग्री से भरा हुआ था (फोटोग्राफ 2.6)।

(vi) ग्राम पंचायत खूंभा खेड़ा, ब्लॉक बरवाला, जिला हिसार के स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 2 के निर्माण कार्य हेतु (नवंबर 2020) ग्रामीण अवसरंचना गतिविधि के अंतर्गत ₹ पांच लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ₹ 2.54 लाख का व्यय करने के उपरांत नरेगासॉफ्ट में कार्य को पूर्ण दर्शाया गया है। स्थल के भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, यह पाया गया कि कार्य को जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर तक निर्माण के उपरांत अपूर्ण छोड़ दिया गया (फोटोग्राफ 2.7)।

फोटोग्राफ संख्या 2.7: व्यायामशाला के पास तालाब की गाद निकालने और खुदाई का कार्य

(vii) ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, ब्लॉक बिलासपुर, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि (सढौरा रोड के समीप) पर मिट्टी भराई के कार्य हेतु (मई 2020) मनरेगा की भूमि विकास गतिविधि के अंतर्गत ₹ 9.99 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 9.35 लाख का व्यय करने के उपरांत नरेगासॉफ्ट में इस कार्य को पूर्ण (7 फरवरी 2023) दर्शाया गया था। स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि भूमि का स्तर अभी भी बहुत नीचा था, जिससे किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल रहा (फोटोग्राफ 2.8)।

फोटोग्राफ संख्या 2.8: ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में पंचायती भूमि पर मिट्टी भराई का कार्य

(viii) ग्राम पंचायत मंगलोर, ब्लॉक बिलासपुर, जिला यमुनानगर में पंचायती भूमि पर हरिजन कॉलोनी के समीप मिट्टी भराई के कार्य हेतु (सितंबर 2019) मनरेगा की भूमि विकास गतिविधि के अंतर्गत ₹ 6.82 लाख की राशि संस्वीकृत की गई थी। ₹ 5.84 लाख का व्यय करने के उपरांत कार्य को पूर्ण (31 अक्तूबर 2020) दर्शाया गया था। कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि स्थल पर मिट्टी भराई का वास्तविक कार्य नहीं किया गया था, जैसा कि फोटोग्राफ 2.10 में दर्शाया गया है।

फोटोग्राफ संख्या 2.9: मिट्टी भराई का कार्य शुरू होने से पहले की साइट का फोटोग्राफ
स्रोत: भुवन मनरेगा पोर्टल पर जियो-टैगिंग

फोटोग्राफ संख्या 2.10: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान साइट का फोटोग्राफ

चयनित 280 कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 133 कार्यों (47.50 प्रतिशत) के संबंध में कोई सामग्री/स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा संबंधित कार्यों पर सामग्री की खपत का सत्यापन नहीं कर सकी।

उपर्युक्त कमियां यह दर्शाती हैं कि नमूना-जांच के मामलों में ₹ 47.55 लाख का व्यय करने के बावजूद, न तो लक्षित अवसरंचना का निर्माण हुआ और न ही स्थायी परिसंपत्तियां सृजित की गई।

विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि उचित जांच के उपरांत विस्तृत उत्तर भेजा जाएगा।

2.19.3 मनरेगा के तहत परिसंपत्तियों का सृजन न होने के कारण निष्फल व्यय

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.1 के अनुसार, इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना है। तदनुसार, यह अनिवार्य है कि मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियां अच्छी गुणवत्ता वाली, स्थायी हों और एक उचित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं।

लेखापरीक्षा ने नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा की संवीक्षा की और वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में चयनित 22 चालू कार्यों के वास्तविक निष्पादन की स्थिति का आकलन करने हेतु संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2025) किया ***(परिशिष्ट 2.10)***। इस दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं ज्ञात हुई:

(i) परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना किया गया व्यय

सत्यापित किए गए 22 कार्यों में से तीन कार्य, सामग्री की खरीद पर ₹ 18.72 लाख का व्यय करने के बावजूद, स्थल पर निष्पादित नहीं पाए गए। इन कार्यों के विरुद्ध केवल 12 मानव दिवस सृजित किए गए, जो नगण्य श्रम भागीदारी को दर्शाता है। इसका विस्तृत विवरण ***तालिका 2.14*** में दिया गया है।

तालिका 2.14: परिसंपत्तियों के निर्माण के बिना किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल व्यय (₹ में)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
1	बी.पी.एल. प्लॉट से डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता और मिट्टी भराई का कार्य (ग्राम पंचायत-रेहना), नूंह ब्लॉक कार्य कोड: 1219006014/आरसी/1000044998	1,655	5,47,770	5,49,425	5
2	मवेशी शेड 15, ग्राम पंचायत-जैतका (कार्य कोड: 1219007029/आई.एफ./54800), ग्राम पंचायत-अकलमपुर, नूंह-नगीना ब्लॉक	0	6,56,500	6,56,500	7
3	मवेशी शेड 15, ग्राम पंचायत-जैतका (कार्य कोड: 1219007029/आई.एफ./54805), ग्राम पंचायत-अकलमपुर, नूंह-नगीना ब्लॉक	0	6,67,514	6,67,514	0
	कुल	**1,655**	**18,71,784**	**18,73,439**	**12**

स्रोत: प्रबंधन सूचना प्रणाली नरेगासॉफ्ट डेटा

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि:

- क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्य इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक रास्ते के रूप में निर्मित पाया गया, जबकि मनरेगा के तहत इस कार्य को डब्ल्यू.बी.एम. रास्ते के रूप में स्वीकृत किया गया था।

- क्रम संख्या 2 और 3 पर दर्शाए गए 30 लाभार्थियों, जिनके लिए मवेशी शेड का निर्माण किया जाना था, का कोई अभिलेख या सूची उपलब्ध नहीं थी। इन कार्यों के लिए ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा 20 लाभार्थियों/श्रमिकों से संबंधित तीन मस्टर रोल जारी किए गए थे; हालांकि, स्थल पर इन 20 लाभार्थियों के लिए केवल एक ही मवेशी शेड निर्मित पाया गया।
- शेष 10 लाभार्थियों से संबंधित अभिलेखों का पता नहीं लगाया जा सका। अपेक्षित अभिलेख के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि शेष मवेशी शेड स्वीकृत स्थलों पर निर्मित किए गए थे या नहीं।

प्रतिउत्तर में, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह ने (दिसंबर 2025) यह बताया कि बी.पी.एल. प्लॉट में मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ता का कार्य प्रगति पर दर्शाया गया था। हालांकि, यह कार्य पहले ही विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के तहत ₹ 5.51 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक रास्ते के रूप में पूर्ण किया जा चुका था। विभाग का यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अन्य योजना के तहत कार्य पूर्ण होने के बावजूद मनरेगा अभिलेख/प्रबंधन सूचना प्रणाली में इसे 'चालू' दर्शाया गया है। कार्यों का यह दोहराव एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है और योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

प्रतिउत्तर में, ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगीना ने (दिसंबर 2025) बताया कि मवेशी शेड का कार्य प्रगति पर था, श्रमिकों द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध न कराने के कारण मजदूरी का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया था, बैंक खातों का विवरण भुगतान जारी करने हेतु एकत्र किया जा रहा था। हालांकि, तथ्य यह है कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान केवल एक मामले को छोड़कर, स्थलों पर कोई भी मवेशी शेड निर्मित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, साढ़े तीन साल के अत्यधिक विलंब के बाद भी इन मवेशी शेडों का निर्माण नहीं किया गया था, जिससे योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(ii) स्थल पर पूर्ण किए गए कार्य जिनमें रोजगार सृजन अपर्याप्त रहा

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पांच कार्य स्थल पर पूर्ण पाए गए, हालांकि कुल मिलाकर केवल 20 मानव दिवस ही सृजित किए गए थे। मजदूरी का भुगतान केवल ₹ 6,604 था, जबकि सामग्री पर ₹ 24.48 लाख का व्यय किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बावजूद, प्रबंधन सूचना प्रणाली में इन्हें चालू दर्शाया जा रहा था। उदाहरण के लिए, फकीरा बास तक ग्रामीण कनेक्टिविटी मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम पी.डब्ल्यू.डी. रोड (लंबाई: 1,420 फीट), ग्राम पंचायत-झिमरावट, ब्लॉक-पिनगवां (कार्य कोड: 1219007002/आर.सी./1000022697, ₹ 5.19 लाख) के कार्य में केवल एक मानव दिवस सृजित किया गया (फोटोग्राफ 2.11)। यह मशीनरी के संभावित उपयोग का संकेत देता है, जो मनरेगा के तहत प्रतिबंधित है। इसी प्रकार के अन्य कार्यों का विवरण ***तालिका 2.15*** में दिया गया है।

फोटोग्राफ 2.11: फकीरा बास तक ग्रामीण कनेक्टिविटी मिट्टी भराई और डब्ल्यूबीएम पीडब्ल्यूडी सड़क, ग्राम पंचायत-झिमरावट, ब्लॉक-पिनगवां

तालिका 2.15: अपर्याप्त रोजगार सृजन के साथ स्थल पर पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
	1	2	3	4= (2+3)	5
1	जहरू के घर से नूर मोहम्मद के घर तक रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-रेहना) कार्य कोड: 1219006014/आर.सी./1000037913	1,655	5,00,016	5,01,671	5
2	बड़ी मस्जिद से युसूफ के घर तक रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-रेहना) कार्य कोड: 1219006014/आर.सी./1000044110	1,655	3,56,950	3,58,605	5
3	हसम के खेत से बुल्ला के खेत तक मिट्टी भराई और डब्ल्यू.बी.एम. रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-शाहपुर नगली) कार्य कोड: 1219006001/आर.सी./1000044119	1,655	5,46,361	5,48,016	5
4	अख्तर के खेत से चंदेनी सीमा तक मिट्टी भराई और डब्ल्यूबीएम रास्ते का निर्माण (ग्राम पंचायत-शाहपुर नगली) कार्य कोड: 1219006001/आर.सी./1000044120	1,324	5,25,918	5,27,242	4
	कुल	**6,289**	**19,29,245**	**19,35,534**	**19**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट

प्रतिउत्तर में, नूंह और पिनगवां के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने (दिसंबर 2025) यह बताया कि उपर्युक्त कार्य प्रगति पर थे, इसलिए माप पुस्तिकाओं में सामग्री की खपत की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। आगे, विभाग ने आश्वासन दिया कि कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उपर्युक्त सभी पांचों कार्य स्थल पर पूर्ण पाए गए।

कार्यों की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में मानव दिवस का अत्यधिक कम सृजन, श्रमिकों की अपर्याप्त भागीदारी को दर्शाता है और मशीनरी के संभावित उपयोग का संकेत देता है। यह ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के योजना के मुख्य उद्देश्य को विफल करता है।

(iii) कार्यों के निष्पादन के बावजूद मजदूरी का भुगतान न किया जाना

तावडू और नगीना ब्लॉकों में, स्थल पर 14 कार्य निष्पादित पाए गए जिन पर सामग्री मद में ₹ 77.22 लाख का व्यय किया गया था, अभिलेख के अनुसार, इन कार्यों पर 2,152 मानव दिवस सृजित किए गए थे, फिर भी जॉब कार्ड धारकों को कोई मजदूरी भुगतान नहीं की गई थी। सभी मस्टर रोल का भुगतान अस्वीकृत कर दिया गया था और श्रमिकों को मजदूरी वितरण के लिए निधि अंतरण आदेश को फिर से सृजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे योजना के तहत समय पर मजदूरी भुगतान से वंचित होना पड़ा। इसका विस्तृत विवरण ***तालिका 2.16*** में दिया गया है।

तालिका 2.16: उन पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण जिनमें मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
1	गंदे नाले का निर्माण (फौजी के घर से गोहर वाली चौक तक) (कार्य कोड: 1219007033/एफ.पी./1000007624), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	8,14,895	8,14,895	72
2	गंदे नाले का निर्माण (अप्पे खान के घर से सीता राम के घर तक) (कार्य कोड: 1219007033/एफ.पी./1000007626), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	1,95,888	1,95,888	50
3	गंदे नाले का निर्माण (स्कूल के घर से तालाब तक) (कार्य कोड: 1219007033/ एफ.पी.//1000007628), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर (नगीना)	0	7,73,750	7,73,750	50
4	गंदे पानी के नाले का निर्माण (शौकत के घर से रघुबीर के घर तक) (कार्य कोड: 1219005008/एफ.पी./1000008272), ग्राम पंचायत-गुढ़ी (तावडू)	0	7,80,537	7,80,537	304
5	गंदे पानी के नाले का निर्माण (नंबरदार ढाणी से पुराने कब्रिस्तान तक) (कार्य कोड: 1219005008/एफ.पी./1000008273), ग्राम पंचायत-गुढ़ी (तावडू)	0	7,17,952	7,17,952	304

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय (₹ में)		कुल किया गया व्यय (₹)	सृजित मानव दिवस
		मजदूरी	सामग्री		
6	रास्ते का निर्माण (अख्तर के घर से फतेह के घर तक) (कार्य कोड: 1219005033/आर.सी./1000044992), ग्राम पंचायत-भंगो (तावडू)	0	7,43,093	7,43,093	240
7	रास्ते का निर्माण (फते से सरजू के खेत तक) (कार्य कोड: 1219005033/आर.सी./1000045843), ग्राम पंचायत-भंगो (तावडू)	0	7,71,737	7,71,737	240
8	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (सैमसू से तालाब तक) (कार्य कोड: 1219005033/एफ.पी./1000008482), ग्राम पंचायत-भंगो (तावडू)	0	7,19,191	7,19,191	304
9	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (मस्जिद से खदीजा के घर तक) (कार्य कोड: 1219005016/एफ.पी./1000008481), ग्राम पंचायत-शिकारपुर (तावडू)	0	7,68,960	7,68,960	288
10	रास्ते का निर्माण (मोलाना से कब्रिस्तान तक) (कार्य कोड: 1219005016/आर.सी./1000045481), ग्राम पंचायत-शिकारपुर (तावडू)	0	7,43,971	7,43,971	240
11	जैतूनी मवेशी शेड का निर्माण (कार्य कोड: 1219005025/आई.एफ./79468), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	29,110	29,110	16
12	सिफायत खान मवेशी शेड (कार्य कोड: 1219005025/आई.एफ./79673), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	27,297	27,297	15
13	मोहम्मद किफायत मवेशी शेड (कार्य कोड: 1219005025/IF/79674), ग्राम पंचायत-चीला (तावडू)	0	27,297	27,297	15
14	आई.बी.पी. रास्ता (शमशानघाट से उमर से रुस्तम तक) (कार्य कोड: 1219007033/आर.सी./1000036188), ग्राम पंचायत-नागल मुबारकपुर, ब्लॉक-नगीना	0	6,07,897	6,07,897	14
	कुल	**0**	**77,21,575**	**77,21,575**	**2,152**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन कार्यों को स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव अभिलेख में नहीं मिले और मस्टर रोल पर न तो श्रमिकों के हस्ताक्षर थे और न ही ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी का प्रमाणन था, जो कार्यों के निष्पादन और प्रलेखन में गंभीर अनियमितताओं को दर्शाता है। अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में, कार्य निष्पादन की वास्तविकता और उससे संबंधित भुगतानों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका, जिससे दुर्विनियोजन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसके उत्तर में, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (नूंह, नगीना, पिंगवां एवं तावडू) ने अवगत कराया (दिसंबर 2025) कि उपर्युक्त कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा और लंबित मजदूरी का भुगतान निधि अंतरण आदेश के पुन: सृजन के बाद कर दिया जाएगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि तीन वर्ष से अधिक के अत्यधिक विलंब के बावजूद कार्य अभी भी अपूर्ण हैं और मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे योजना का मौलिक उद्देश्य ही विफल हो गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा के अंतर्गत ₹ 120.42 लाख का व्यय निष्फल रहा, जिसका कारण परिसंपत्तियों का सृजन न होना, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों का निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करना तथा प्रलेखन और निगरानी में गंभीर चूक होना था।

साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय तक कार्यों का निरंतर लंबित रहना, विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों का दोहराव, उचित ग्राम पंचायत प्रस्तावों का अभाव और मस्टर रोल प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर न होना, मनरेगा के मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता का कारण बना।

2.20 ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना अभिसरण कार्य

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अध्याय 15 यह निर्धारित करता है कि अभिसरण के लिए चिह्नित की गई परियोजनाओं पर संबंधित ग्राम सभाओं में चर्चा किया जाना अनिवार्य है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना-जांच किए गए सभी जिलों/ब्लॉकों में, अभिसरण कार्यों का निर्णय और चिन्हांकन जिला कार्यक्रम समन्वयकों/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया गया था और संबंधित ग्राम सभाओं में कोई चर्चा नहीं की गई थी। इस स्थिति में, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि ये कार्य वास्तविक रूप में अभिसरण कार्य थे या नहीं।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग (सितंबर 2025) में उत्तर दिया कि रेखांकित बिंदुओं की पुन: जांच की जाएगी और संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

2.21 कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान न करना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 7.12 श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं (चिकित्सा, पेयजल और शेड) का प्रावधान करता है। यदि किसी भी कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के साथ आने वाले छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पांच या उससे अधिक है, तो वहां एक शिशु गृह प्रदान करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यस्थल की इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय को प्रशासनिक व्यय के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई व्यय नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता है कि नमूना-जांच के लिए चुने गए कार्यों में नियोजित श्रमिकों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी।

400 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि 56 (14 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कार्यस्थलों पर पेयजल की सुविधा को अपर्याप्त बताया। 285 (71.25 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 283 (70.75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कार्यस्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न होने की बात कही और 35 (8.75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि कार्यस्थलों पर शेड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

2.22 कार्यस्थल पर बिलों/वाउचरों का सत्यापन न किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 7.11.5 में यह प्रावधान है कि जब कोई कार्य प्रगति पर हो, तो उस कार्य में लगे श्रमिक अपने बीच से साप्ताहिक रोटेशन के आधार पर कम से कम पांच श्रमिकों का चयन करेंगे, जो सप्ताह में कम से कम एक बार अपने कार्यस्थल के सभी बिलों/वाउचरों को सत्यापित और प्रमाणित करेंगे।

चयनित 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि कार्य की प्रगति के दौरान, उपर्युक्त परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी बिल/वाउचर, इस प्रमाणीकरण/सत्यापन प्रक्रिया हेतु नियोजित एवं चयनित श्रमिकों द्वारा प्रमाणित/सत्यापित नहीं पाए गए। इस प्रकार,

नमूना-जांच के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य पर लगे श्रमिकों द्वारा बिलों/वाउचरों के सत्यापन/प्रमाणीकरण के पहलू को क्रियान्वित नहीं किया गया था। श्रमिकों द्वारा बिलों और वाउचरों के सत्यापन/प्रमाणीकरण का अभाव, किए गए व्यय की पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि किया गया भुगतान कार्यस्थल पर निष्पादित वास्तविक कार्य को दर्शाता है।

निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली

मनरेगा के कार्यान्वयन में शामिल भारी निधियां और राज्य की 6,246 ग्राम पंचायतों[20] में इसके व्यापक प्रसार के दृष्टिगत, योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः योजना के लिए एक सुदृढ़ और कुशल निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा तंत्र का होना अनिवार्य था। इस पहलू से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा नीचे दी गई है:

2.23 राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और समीक्षा के उद्देश्य से राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रावधान है। हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन (अप्रैल 2008) राज्य सरकार को योजना से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.11.2 एवं 13.11.3 यह अधिदेश करते हैं कि राज्य रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा के परिणामों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इस वार्षिक रिपोर्ट को आगामी वर्ष की 31 दिसंबर तक राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2019-24 के दौरान, राज्य में योजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की केवल एक बैठक 21 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने दिसंबर 2024 तक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने हेतु कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की। इस प्रकार, उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पित निगरानी और संचालन केवल एक औपचारिक अभ्यास बनकर रह गया, जिससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही कम हो गई।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि इस मामले को हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की आगामी बैठक में उठाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

2.24 शिकायत निवारण प्रणाली की विद्यमानता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.14.1 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को मनरेगा के कार्यान्वयन से

[20] मार्च 2024

संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना भी अपेक्षित था।

लोकपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली में कमियों तथा प्राप्त शिकायतों की स्थिति और उनके निपटान की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.24.1 लोकपाल की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.14 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करेगी। आवश्यकता के आधार पर, प्रारंभ में दो जिलों के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जा सकता है। लोकपाल के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- मुख्य सचिव और मनरेगा के प्रभारी सचिव को मासिक, वार्षिक रिपोर्ट और पारित किए गए आवंटनों की सूची भेजना।
- दोषी मनरेगा कार्मिकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को रेखांकित करना।
- लोकपाल द्वारा निपटाए गए मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजी जाएगी और यह परिषद द्वारा तैयार की जाने वाली उस वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी जिसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाना है।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2024) से यह ज्ञात हुआ कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा लोकपालों (2021 में 3 और 2022 में 14) की नियुक्ति की गई थी, तथापि, 2019-24 के दौरान निपटाए गए मामलों की कोई सारांश रिपोर्ट हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद को नहीं भेजी गई थी। वर्ष 2019-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा किसी भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मेवात जिले में वर्ष 2022-24 के दौरान निपटान हेतु लोकपाल को 191 शिकायत मामले भेजे गए थे। इन 191 मामलों में से, उक्त अवधि के दौरान लोकपाल द्वारा 84 आवंटन पारित किए गए। लोकपाल द्वारा 16 शिकायत मामलों के संबंध में ₹ 42.78 लाख के वसूली आदेश पारित किए गए हैं। आठ शिकायत मामलों में ₹ 21.86 लाख की राशि वसूल की जानी अभी बाकी थी (सितंबर 2024)।

उत्तर में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि कोई सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी क्योंकि हरियाणा राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक बुलाने का मामला विचाराधीन है।

2.24.2 शिकायतों का निपटान

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 10.3.9 के साथ पठित, धारा 23(6), यह प्रावधान करती है कि कार्यक्रम अधिकारी विवाद और शिकायतों का निपटान उनकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर करेगा तथा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत रजिस्टर के रखरखाव को अनिवार्य बनाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए सभी जिलों के साथ-साथ ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी शिकायत रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। शिकायत रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रत्येक स्तर पर शिकायतों की स्थिति को सत्यापित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा (जून-दिसंबर 2024) द्वारा इंगित किए जाने पर, संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों ने योजना के शिकायत रजिस्टर के रखरखाव का आश्वासन दिया।

2.25 सतर्कता प्रकोष्ठ और राज्य/जिला गुणवत्ता मॉनीटरों का गठन न किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.6.2, 13.6.3 एवं 13.6.4 यह प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्राधिकरण के अधीन जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद एक सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2024) से यह ज्ञात हुआ कि 2019-2024 के दौरान किसी भी स्तर पर कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया है। कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विभिन्न कमियों (जैसा कि अनुच्छेद 2.20 में चर्चा की गई है) को रोकने/पकड़ने के लिए 2019-24 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ का समय पर गठन महत्वपूर्ण था।

वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2019-20 का अनुच्छेद 7.12.1, 10-15 सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंताओं को मिलाकर राज्य गुणवत्ता मॉनिटर और जिला गुणवत्ता मॉनिटर प्रकोष्ठों के गठन का आदेश देता है, ताकि निर्माण के दौरान और बाद में कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी की जा सके और इसकी रिपोर्ट नरेगासॉफ्ट पर अपलोड की जा सके।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान न तो किसी राज्य गुणवत्ता मॉनिटर या जिला गुणवत्ता मॉनिटर की नियुक्ति की गई, और न ही विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति शुरू करने या सुगम बनाने के लिए कोई दस्तावेजी प्रयास किए गए।

उत्तर में, विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि सतर्कता प्रकोष्ठ और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर/जिला गुणवत्ता मॉनिटर का गठन किया जाएगा और इसकी सूचना लेखापरीक्षा को दे दी जाएगी।

2.26 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता यह है कि इसने निरंतर सार्वजनिक सतर्कता के माध्यम से 'सामाजिक लेखापरीक्षा' को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लेखापरीक्षा में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमियां पाई गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

2.26.1 सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.1.1 एवं 13.2.3 यह प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में छः महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई वर्ष के आरंभ में एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगी, जिसे सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भी भेजा जाएगा। सामाजिक लेखापरीक्षा पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

राज्य में 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में पाई गई कमियों का विवरण ***तालिका 2.17*** में दिया गया है।

तालिका 2.17: सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमी

वर्ष	कुल ग्राम पंचायतें	संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)	प्रतिशतता में कमी
2019-20	6,334	4,038	36
2020-21	6,321	4,559	28
2021-22	6,259	5,316	15
2022-23	6,253	5,001	20
2023-24	6,246	4,450	29

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इस प्रकार, 15 से 36 प्रतिशत ग्राम पंचायतें बिना लेखापरीक्षा रह गई।

चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच (जून-दिसंबर 2024) ने भी वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के कवरेज में आई कमी की पुष्टि की, जैसा कि ***तालिका 2.18*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 2.18: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	नमूना हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में एक बार पूर्ण की गई सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)	वर्ष में एक बार भी आयोजित नहीं की गई सामाजिक लेखापरीक्षा (ग्राम पंचायतों की संख्या)
2019-20	40	37	3
2020-21	40	39	1
2021-22	40	40	0
2022-23	40	39	1
2023-24	40	37	3
कुल	**200**	**192**	**8**

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आठ ग्राम पंचायतों में वर्ष में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि वार्षिक मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार ग्राम निगरानी समिति/अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों द्वारा कार्यों की समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष 2019-24 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि की और बताया (सितंबर 2025) कि कार्यबल की कमी और निधियों के अभाव के कारण भी सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई थी।

2.26.2 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई में कार्यबल की कमी

निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के तहत मुख्यालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 11 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध केवल तीन कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि जिला/ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत 165 पदों के विरुद्ध कोई भी पद नहीं भरा गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता में इस कमी के कारण ग्राम पंचायतों की अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में गिरावट आई, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई और अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा सका।

इसके उत्तर में, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने सूचित किया (दिसंबर 2024) कि खंड संसाधन व्यक्ति के 143 रिक्त पदों, जिला संसाधन व्यक्ति के 11 पदों और सामाजिक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ के चार पदों के पैनल बनाने/भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि डीईओ-सह-लिपिक के शेष 11 पदों को निधियों/सहायता अनुदान की उपलब्धता के अनुसार भरा जाएगा।

2.26.3 सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के बकाया मामले

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.4.2 में प्रावधान है कि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने जून 2024 तक 2019-24 के दौरान पूरे राज्य के लिए 14,468 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई थी, लेकिन केवल 117 सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। राज्य स्तर पर उठाई गई और निपटाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति ***तालिका 2.19*** में दी गई है।

तालिका 2.19: सामाजिक लेखापरीक्षा की बकाया अभ्युक्तियों की स्थिति

वर्ष	उठाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	निपटाई गई सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	बकाया सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रतिशत
2019-20	15	0	15	100
2020-21	5,598	117	5,481	98
2021-22	6,183	0	6,183	100
2022-23	2,672	0	2,672	100
कुल	**14,468**	**117**	**14,351**	**99**

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सुधारात्मक उपायों के अभाव में 98 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की 461 अभ्युक्तियां (100 प्रतिशत) बकाया थी।

इसके उत्तर में, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने बताया (दिसंबर 2024, सितंबर 2025) कि आयुक्त, मनरेगा ने सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अभ्युक्तियां भेज दी हैं। कुछ मामलों में, वसूली की जा चुकी है और इसका विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि (नवंबर 2025) तक उक्त विवरण अभी भी प्रतीक्षित था।

2.26.4 लंबित देयताएं

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक पृथक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (2019) के पश्चात से, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2023-24 के दौरान हरियाणा की इस इकाई को अनुदान जारी किए हैं। वर्ष 2019-20 और 2022-23 में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कोई अनुदान नहीं दिया गया था, जिसका विवरण ***तालिका 2.20*** में दिया गया है।

तालिका 2.20: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को प्राप्त अनुदान, व्यय एवं लंबित देयताओं का विवरण

वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष में एक बार आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	प्रति ग्राम पंचायत व्यय	ग्राम संसाधन व्यक्ति मानदेय का कुल व्यय (प्रति वर्ष)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई कर्मचारियों का वेतन व्यय	वेतन और मानदेय का कुल व्यय	ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	मार्च 2024 तक लंबित देयताएं
			(₹ में)	(₹ लाख में)				
2019-20	6,334	4,038	3,000	121.14	4.50	125.64	0	125.64
2020-21	6,321	4,559	3,000	136.77	19.00	155.77	75.17	80.60
2021-22	6,259	5,316	3,000	159.48	19.00	178.48	105.48	73.00
2022-23	6,253	5,001	3,000	150.03	19.00	169.03	0	169.03
2023-24	6,246	4,450	3,500	155.75	21.00	176.75	115.76	60.99
			कुल	**723.17**	**82.50**	**805.67**	**296.41**	**509.26**

स्रोत: सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, हरियाणा के पास अपने स्वयं के कर्मचारियों और ग्राम संसाधन व्यक्तियों के मानदेय के भुगतान के लिए ₹ 509.26 लाख की देयता लंबित थी, जबकि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए इस इकाई को केवल ₹ 296.41 लाख का अनुदान जारी किया है।

विभाग ने एग्जिट मीटिंग में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि लंबित देयताओं का निपटान राज्य सरकार के बजट, अर्थात हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से किया जाएगा।

2.27 अनिवार्य अभिलेख और उनका रखरखाव

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 का अनुच्छेद 10.7, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सात रजिस्टरों[21] के रूप में अनिवार्य अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट करता है। रजिस्टरों के ये प्रारूप फील्ड स्तर के कर्मियों के कामकाज को आसान बनाने और सूचना की गुणवत्ता, विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित जानकारी से समझौता किए बिना कार्य के दोहराव को कम करने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। रजिस्टर II, III और V का रखरखाव मैन्युअल रूप से किया जाना है और रजिस्टर I, IV, VI एवं VII का रखरखाव सूचना प्रबंधन प्रणाली से ही किया जा सकता है। चयनित 10 ब्लॉकों के अभिलेखों की जांच (जून 2024 से दिसंबर 2024)

[21] I-जॉब कार्ड रजिस्टर (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना) और परिवार रोजगार रिपोर्ट; II-ग्राम सभा रजिस्टर; III-कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर; IV-कार्य रजिस्टर; V-अचल संपत्ति रजिस्टर; VI-शिकायत रजिस्टर; और VII-सामग्री रजिस्टर।

से ज्ञात हुआ कि चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा इन रजिस्टरों का या तो रखरखाव नहीं किया था या केवल आंशिक रूप से रखरखाव किया था।

2.28 निष्कर्ष

विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी, चयनित ग्राम पंचायतें केवल ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। कार्यों को जोड़ने और हटाने का कार्य ग्राम पंचायतों की किसी भी भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर किया गया था। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि चयनित जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी 43 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लाभार्थी क्रमशः मजदूरी की पात्रता और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के बारे में जागरूक नहीं थे।

राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब के मामले सामने आए। 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान एक से 552 दिनों के विलंब के साथ किया गया। पात्र परिवारों के पंजीकरण के संबंध में अपेक्षित अभिलेख जैसे आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर आदि, नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं पाए गए।

हिसार को छोड़कर चयनित जिलों में वर्ष 2019-2024 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की प्राप्ति में 2.05 लाख से 21.07 लाख के मध्य की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, 100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार केवल एक से तीन प्रतिशत थे, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार मिला। योजना के तहत स्वीकृत 50 प्रतिशत से अधिक कार्य सितंबर 2024 तक शुरू नहीं किए गए हैं, जो योजना और कार्यों की सूची के चयन में कमियों को दर्शाता है।

नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण और मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए चयनित 22 चालू कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से परिसंपत्तियों का सृजन न होने, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों के निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करने और कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमियों के मामले सामने आए हैं।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पना के अनुसार निगरानी और संचालन निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया कार्यबल बहुत निराशाजनक था, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत रिक्तियां थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई अभ्युक्तियों के निपटान के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, परिकल्पित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं था।

2.29 सिफारिशें

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे:

1. ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर श्रम बजट तैयार करने में नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को अपनाया जाए और आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, कार्य मांग रजिस्टर/मजदूरी भुगतान रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि जैसे अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

2. दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

3. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को गति दी जाए क्योंकि मनरेगा के एक मांग-आधारित कार्यक्रम होने के नाते, यह अपेक्षित है कि लाभार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

4. जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त कार्यबल की तैनाती करके, वैधानिक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर, मनरेगा परिसंपत्तियों की पूर्णता के पश्चात मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाए।

अध्याय 3

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3. हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली

3.1 प्रस्तावना

सीवरेज प्रणाली[1] का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय द्वारा उत्सर्जित सीवेज[2] का उचित रूप से संग्रहण, परिवहन और सुरक्षित स्तरों तक उपचार किया जाए और स्वास्थ्य या पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न किए बिना उसका निपटान या पुन: उपयोग किया जाए। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल का निपटान सीवरेज प्रबंधन प्रणाली का एक मुख्य घटक है। इस अपशिष्ट जल के अपर्याप्त प्रबंधन से जल निकायों का संदूषण हो सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और बीमारियों का प्रसार हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल उपचार का मामला अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि शहरी अपशिष्ट जल की अनुमानित मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसके अतिरिक्त, भारत को उद्योगों और विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पानी की बढ़ती घरेलू और औद्योगिक मांग के साथ, पानी का जितना हो सके उतना पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करना आवश्यक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), नगर निगम (एमसी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) और महानगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों की सीवरेज सुविधाओं और सीवेज के उपचार के लिए उत्तरदायी हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को राज्य में पर्यावरण से संबंधित कानूनों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

नीचे दिया गया चार्ट राज्य में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए विभिन्न एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है:

---

1 सीवरेज प्रणाली में सेवा कनेक्शन, सीवर लाइन, लिफ्ट स्टेशन, पंपिंग स्टेशन और सीवेज उपचार संयंत्र शामिल होते हैं।

2 सीवेज का अर्थ अपशिष्ट क्लोजेट, शौचालय, बाथरूम, रसोई, अस्तबल, मवेशी-शेड और अन्य ऐसे ही स्थानों के कचरे से है और इसमें व्यापारिक अपशिष्ट (ट्रेड एफ्लुएंट) भी शामिल है।

चार्ट 3.1: हरियाणा में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एजेंसीवार क्षेत्राधिकार

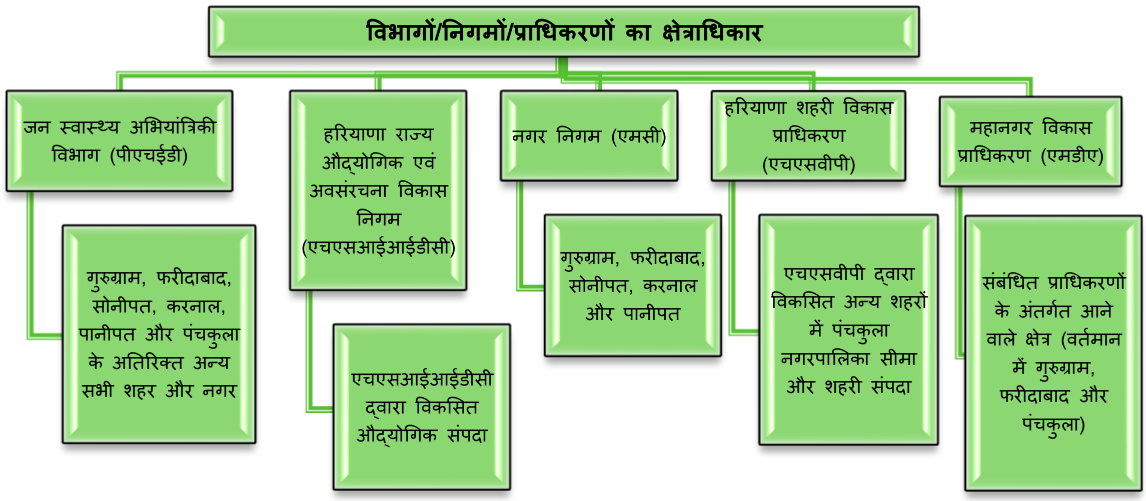

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- सीवरेज प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के अनुरूप थी।
- सीवरेज के लिए कार्य का निष्पादन मितव्ययी और कुशल था।
- निगरानी तंत्र पर्याप्त था।

3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों का उपयोग किया गया था:

- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सीवरेज और सीवेज उपचार प्रणाली की नियमावली, 2013 और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2018
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के प्रासंगिक निर्णय/आदेश।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित निष्पादन मानक।
- हरियाणा सरकार द्वारा जारी उपचारित अपशिष्ट जल नीति, 2019 का पुन: उपयोग।
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कोड।

3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना और पद्धति

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान चयनित जिलों में सीवरेज प्रबंधन गतिविधियों को शामिल किया गया। राज्य के कुल 22 जिलों में से, आठ जिलों[3] के एक प्रतिनिधि नमूने का चयन इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण (आइडिया) सॉफ्टवेयर[4] का उपयोग करके प्रतिस्थापन के बिना स्तरीकृत[5] यादृच्छिक नमूना अपनाकर किया गया था। चयनित नमूने में शहरी जनसंख्या के मामले में 65.71 प्रतिशत और घरेलू सीवेज उत्पादन[6] के मामले में 73.43 प्रतिशत शामिल थे। 27 मई 2024 को एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, क्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आईडब्ल्यूआरडी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रधान कार्यालयों और फील्ड कार्यालयों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। मसौदा रिपोर्ट संबंधित विभागों/संस्थाओं को जारी की गई (अप्रैल 2025) और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ 23 जून 2025 को एक एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई थी। विभागों/संस्थाओं के उत्तर और चर्चा के परिणाम मसौदा रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर तीन सेक्शन के तहत चर्चा की गई है, अर्थात, अपशिष्ट जल का प्रबंधन, निगरानी तंत्र और उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग।

3.5 अपशिष्ट जल का प्रबंधन

हरियाणा में 1.25 करोड़ (2023) की शहरी जनसंख्या वाले 88 नगरपालिका शहर हैं। जून 2023 तक, शहरी क्षेत्रों में 2,073.78 एमएलडी[7] घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ, जबकि ***परिशिष्ट 3.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार इसके उपचार के लिए 184 सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से 2,118.95 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता मौजूद थी।

उद्योगों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल का उपचार एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी)/कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में किया जाता है। राज्य में 23 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

---

3 (i) यमुनानगर, (ii) सोनीपत, (iii) फरीदाबाद, (iv) पानीपत, (v) गुरुग्राम, (vi) पंचकुला, (vii) अंबाला और (viii) हिसार।

4 आइडिया सॉफ्टवेयर एक व्यापक डेटा विश्लेषण और ऑडिटिंग उपकरण है जिसे डेटा विश्लेषकों को व्यवस्थित नमूना चयन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए डेटा की बड़ी मात्रा का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है।

5 जनसंख्या डेटा, (अर्थात, कुल 22 जिले) को तीन मापदंडों के संबंध में सौंपे गए सापेक्ष भार के आधार पर तीन स्तरों में विभाजित किया गया था, अर्थात् जल-आधारित उद्योगों की संख्या, जनसंख्या का घनत्व, और उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा।

6 राज्य में कुल शहरी जनसंख्या 124.92 लाख और चयनित 8 जिलों में 82.09 लाख (65.71 प्रतिशत); घरेलू सीवरेज उत्पादन कुल 2,073.78 एमएलडी और चयनित आठ जिलों में 1,522.83 एमएलडी (73.43 प्रतिशत)।

7 मिलियन लीटर प्रतिदिन।

थे। आठ चयनित जिलों में 382.17 एमएलडी औद्योगिक सीवेज उत्पन्न हुआ, जिसमें से 339.21 एमएलडी का उपचार किया गया।

राज्य के विभिन्न जिलों से नालों के माध्यम से नदियों में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता, जैविक ऑक्सीजन मांग[8] (बीओडी) स्तर के आधार पर नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाई गई है:

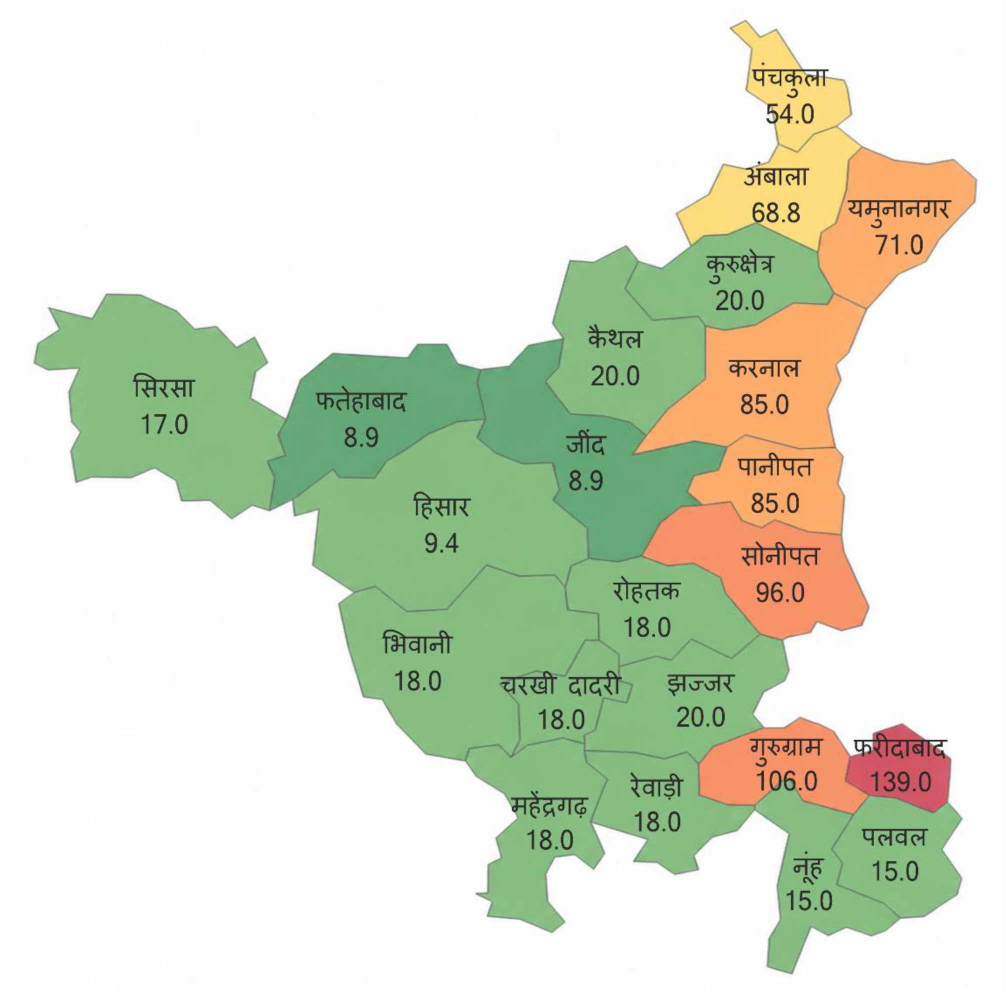

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा

कलर कोड: इसे गहरे हरे से गहरे लाल रंग के पैमाने पर दर्शाया गया है। गहरा हरा रंग नदियों में छोड़े गए सबसे कम प्रदूषित अपशिष्ट जल को दर्शाता है, जबकि गहरा लाल रंग सबसे अधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल को दर्शाता है। पीले और नारंगी रंग क्रमशः नदियों में छोड़े गए मध्यम और अधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल को दर्शाते हैं।

चयनित आठ जिलों के पर्यावरण योजना 2023 में दर्शाए गए डेटा के विश्लेषण से पता चला कि उत्पन्न 1,522.83 एमएलडी घरेलू सीवेज में से केवल 1,033.36 एमएलडी सीवेज का ही उपचार किया जा रहा था, विवरण ***तालिका 3.1*** में दर्शाया गया है।

---

[8] जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) जल की गुणवत्ता का एक प्रमुख मापदंड है, जिसका उपयोग कार्बनिक प्रदूषण और अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है।

तालिका 3.1: चयनित जिलों में घरेलू सीवेज उत्पादन और उपचार की स्थिति

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल उत्पन्न सीवेज (एमएलडी)	स्थापित[9] सीवेज उपचार क्षमता (एमएलडी)	कुल सीवेज के तुलना में स्थापित क्षमता का प्रतिशत	सीवेज उपचार क्षमता का उपयोग (एमएलडी)	अनुपचारित सीवेज (एमएलडी)	कुल सीवेज में अनुपचारित सीवेज का प्रतिशत
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)=सी-एफ	(एच)
1	फरीदाबाद	282.00	97.50	34.57	92.00	190.00	67.38
2	अंबाला	70.41	51.25	72.79	37.08	33.33	47.34
3	यमुनानगर	144.48	98.00	67.83	78.48	66.00	45.68
4	पंचकुला	165.00	97.25	58.94	91.25	73.75	44.70
5	पानीपत	101.84	168.80	165.75	75.00	26.84	26.35
6	सोनीपत	78.42	85.30	108.77	60.50	17.92	22.85
7	हिसार	117.50	117.50	100	97.25	20.25	17.23
8	गुरूग्राम	563.18	524.00	93.04	501.80	61.38	10.89
	कुल	**1,522.83**	**1,239.60**	**81.40**	**1,033.36**	**489.47**	**32.14**

स्रोत: जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना (2023) और इकाइयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीन जिलों (पानीपत, सोनीपत और हिसार) में, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापित क्षमता सीवेज उत्पादन से अधिक या उसके बराबर थी, जबकि अन्य पांच जिलों (अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला) में सीवेज उत्पादन सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापित क्षमता से अधिक था। लेखापरीक्षा में आगे के विश्लेषण से पता चला कि चयनित जिलों में 256.30 एमएलडी क्षमता वाले 26 सीवेज उपचार संयंत्र ***(परिशिष्ट 3.2)*** हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डिस्चार्ज मानकों का अनुपालन नहीं[10] कर रहे थे। इस प्रकार, उत्पन्न कुल 1,522.83 एमएलडी सीवेज में से 489.47 एमएलडी पूरी तरह से अनुपचारित रहा, जबकि अतिरिक्त 256.30 एमएलडी उपचार के दौरान मानकों को पूरा नहीं कर सका, जिससे केवल 777.06 एमएलडी (51.03 प्रतिशत) घरेलू सीवेज का ही प्रभावी ढंग से उपचार हो पाया। यह दर्शाता है कि शेष 745.77 एमएलडी (48.97 प्रतिशत) अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित घरेलू सीवेज को जल निकायों में उत्सर्जित किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि कनेक्टिविटी की कमी (जैसा कि अनुच्छेद संख्या 3.1.1.1, 3.1.1.2 और 3.1.4.1 में चर्चा की गई है), दोषपूर्ण सीवर लाइनों (जैसा कि अनुच्छेद संख्या 3.1.3.1 में चर्चा की गई है), सीवेज का संग्रहण न होने (जैसा कि अनुच्छेद संख्या 3.1.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3 और 3.1.4 में चर्चा की गई है), आदि के कारण पूरा डिस्चार्ज सीवेज उपचार संयंत्रों तक नहीं पहुंचा, जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में वर्णित है। ***चार्ट 3.2*** चयनित जिलों में अनुपचारित की तुलना में उपचारित सीवेज को दर्शाता है:

9 एक सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापित क्षमता का तात्पर्य उस अपशिष्ट जल की सैद्धांतिक अधिकतम मात्रा से है जिसे वह संभाल सकता है।

10 26 एसटीपी और 2 सीईटीपी, बीओडी <10 मिलीग्राम/लीटर और फिकल कोलीफॉर्म <100 एमपीएन/100 मिलीलीटर के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

चार्ट 3.2: अनुपचारित सीवेज की तुलना में उपचारित सीवेज की जिलेवार मात्रा

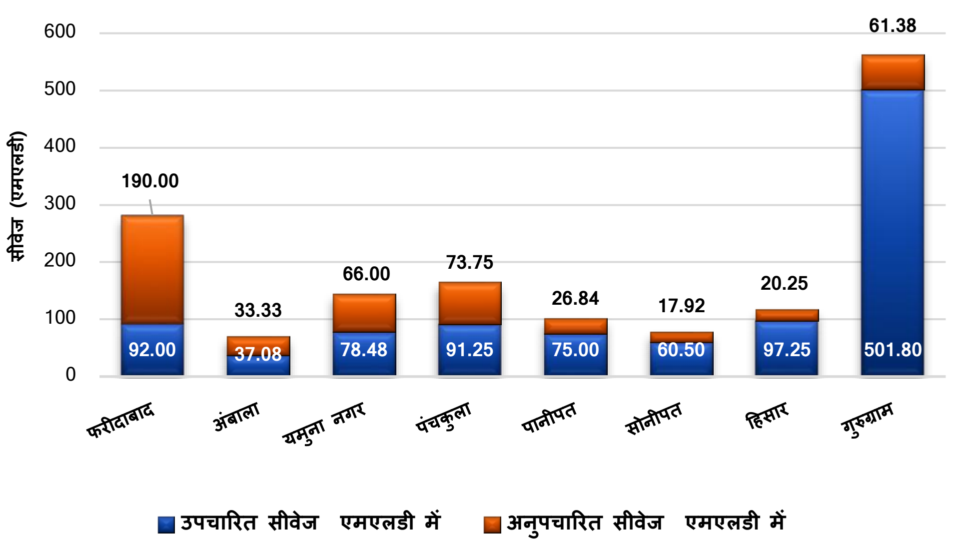

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित जिलेवार टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.5.1 फरीदाबाद जिला

फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। छः मुख्य नाले शहर से होते हुए यमुना नदी की ओर जाते हैं। 282 एमएलडी उत्पन्न घरेलू सीवेज की तुलना में, शहर की स्थापित उपचार क्षमता केवल 97.5 एमएलडी (34.57 प्रतिशत) थी और 92 एमएलडी सीवेज का उपचार किया गया था। इस प्रकार, 190 एमएलडी (282 एमएलडी - 92 एमएलडी) का सीवेज उपचार अंतर था। अप्रैल-मई 2024 में फरीदाबाद जिले में अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (क)*** में दी गई है। कुल पांच सीवेज उपचार संयंत्रों में से चार सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंड को पूरा कर रहे थे। यमुना नदी में अपने मुख्य नाले (बुढ़िया नाला) के माध्यम से फरीदाबाद जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 139 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानक के विरुद्ध) और औसत फिकल कोलीफॉर्म स्तर 7,891 एमपीएन/100 मिलीलीटर (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानक के विरुद्ध) दर्ज (2024) किया गया था।

लेखापरीक्षा में नगर निगम, फरीदाबाद, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से सीवरेज अवसंरचना से संबंधित कई कमियां भी पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

3.5.1.1 पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्य का आवंटन, जिसके कारण सीवरेज प्रणाली के संचालन में देरी हुई

फरीदाबाद शहर में सीवरेज प्रणाली के संवर्धन के लिए, दो मुख्य पंपिंग स्टेशनों (एमपीएस) और मुख्य कनेक्टिंग सीवर के निर्माण का कार्य, उनके पांच वर्षों के संचालन और रखरखाव के साथ, मेसर्स गिरधारी लाल अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड (कॉन्ट्रैक्टर), नई दिल्ली को

₹ 84.82 करोड़ की लागत पर आवंटित (सितंबर 2018) किया गया था। यह कार्य 18 महीने में अर्थात मार्च 2020 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा वन भूमि के परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने में देरी के कारण ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर सका। यह पाया गया कि नगर निगम, फरीदाबाद ने कार्य शुरू होने के 12 महीने बाद वन भूमि के परिवर्तन के लिए अनुरोध (सितंबर 2019) प्रस्तुत किया, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 02 जुलाई 2024 को स्वीकृति दी गई। इसी बीच, ठेकेदार द्वारा दो मुख्य पंपिंग स्टेशनों (मिर्जापुर और प्रतापगढ़) का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा कर लिया गया और उसे ₹ 79.49 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया गया। हालांकि, इन मुख्य पंपिंग स्टेशनों को जोड़ने वाली सीवर लाइन के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि इस लाइन का निर्माण उस वन भूमि पर किया जाना था जिसकी स्वीकृति 2024 में प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में एक अन्य फर्म (मेसर्स एचएनबी इंजीनियरिंग) द्वारा ₹ 196.55 करोड़ की लागत से निर्मित मिर्जापुर में 80 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र और प्रतापगढ़ में 100 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र भी कनेक्टिविटी की कमी के कारण व्यर्थ पड़े रहे, क्योंकि मुख्य कनेक्टिंग सीवर लाइन और मुख्य पंपिंग स्टेशन, सीवेज को सीवेज उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताएं थी। अतः, नगर निगम, फरीदाबाद ने उचित समय के भीतर वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, और इसके साथ ही सीवर प्रबंधन का परिकल्पित उद्देश्य भी अप्राप्त रहा।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2025) कि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कड़े प्रयास किए गए थे, हालांकि, प्रक्रियात्मक मामलों के कारण इसमें देरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया था कि स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

हालांकि, तथ्य यह है कि नगर निगम, फरीदाबाद ने कार्य आवंटन के 12 महीने के बाद वन भूमि के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी जो हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा नंबर 24.3.3 के उल्लंघन में है, जो निर्धारित करता है कि अपेक्षित स्वीकृति समय रहते, अधिमानतः कार्य आवंटन से पहले प्राप्त की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, परियोजना के पूर्ण होने में पांच वर्षों से अधिक की देरी के परिणामस्वरूप यमुना नदी से जुड़े नालों में अनुपचारित सीवेज का डिस्चार्ज जारी रहा।

3.5.1.2 सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 16.35 करोड़ के व्यय से आंतरिक सीवर लाइन बिछाना

सीवरेज प्रणाली के समन्वित निष्पादन के लिए सीवर नेटवर्क और सीवेज उपचार संयंत्र दोनों के निर्माण के समन्वय की आवश्यकता होती है, ताकि सीवर लाइनों द्वारा एकत्र किए गए अपशिष्ट जल का सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा सके। हालांकि, यह देखा गया कि नगर निगम, फरीदाबाद ने फरीदाबाद में शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर और दयालपुर में सीवरेज प्रणाली के निर्माण का कार्य जुलाई 2017 में मेसर्स विचित्र प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को ₹ 19.96 करोड़ की लागत पर आवंटित किया था, जिसे 12 महीने

के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित था, लेकिन इसके लिए संबंधित सीवेज उपचार संयंत्र के लिए साइट का निर्धारण नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, सीवरेज प्रणाली का निर्माण, जिसे जुलाई 2018 तक पूर्ण किया जाना था, पूर्ण नहीं किया जा सका और नगर निगम, फरीदाबाद को समय-समय पर विस्तार देना पड़ा, क्योंकि सीवेज उपचार संयंत्र साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अंतिम विस्तार 31 अगस्त 2022 तक दिया गया था और उस तिथि तक नगर निगम, फरीदाबाद ने ठेकेदार को ₹ 16.35 करोड़ का भुगतान कर दिया था। हालांकि, कार्य पूर्ण नहीं हुआ था और अक्तूबर 2025 तक सीवेज उपचार संयंत्र के लिए साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, अनुचित योजना के कारण, सीवर लाइनों के निर्माण पर पहले से ही खर्च की गई ₹ 16.35 करोड़ की राशि निष्फल रही, इसके अतिरिक्त सीवरेज प्रणाली के संवर्धन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2025) कि नगर निगम, फरीदाबाद 10 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग से दो एकड़ भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

3.5.1.3 फरीदाबाद में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटों (सीईटीपी) के निर्माण में अत्यधिक विलंब

औद्योगिक अपशिष्ट जल की उपचार क्षमता विकसित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को 18.5 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता के दो सीईटीपी[11] के निर्माण का कार्य सौंपा (जुलाई 2018), जिसके लिए उसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की। इसके बाद, मिर्जापुर में 25 एमएलडी क्षमता का एक और सीईटीपी भी प्रस्तावित (अगस्त 2019) किया गया था, इसके अतिरिक्त पहले प्रस्तावित दो सीईटीपी की क्षमता को बढ़ाकर क्रमशः 50 एमएलडी और 15 एमएलडी कर दिया गया। इन तीन प्रस्तावित सीईटीपी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 539 करोड़ के लिए तैयार की गई थी। हालांकि, नगर निगम, फरीदाबाद की भूमि के हस्तांतरण, सीईटीपी के संचालन एवं रखरखाव और सीवरेज प्रभारों की वसूली के संबंध में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा उठाए गए मामलों का समाधान नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा नहीं किया जा सका था, इसलिए वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया (अगस्त 2020) कि सीईटीपी का निर्माण कार्य नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा। इसके बावजूद, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा अक्तूबर 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद मुख्य सचिव, हरियाणा ने निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड प्राथमिकता के आधार पर इन सीईटीपी का निर्माण कार्य शुरू करे।

तदनुसार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने मेसर्स केवाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम को प्रस्तावित तीन सीईटीपी के निर्माण के लिए परामर्श

[11] बादशाहपुर और प्रतापगढ़।

प्रदान करने के लिए कार्य आदेश जारी किया (अप्रैल 2023), जिसमें मौजूदा सीवर से पृथक्करण के बाद मुख्य सीवर लाइनें बिछाना और औद्योगिक अपशिष्ट को प्रस्तावित सीईटीपी तक ले जाना शामिल था। इस कार्य के लिए ₹ 824.60 करोड़ की कुल लागत वाली एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। वित्त पोषण के संबंध में, यह निर्णय लिया गया (मई 2024) कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निधियों की व्यवस्था हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से की जाएगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने वित्त पोषण का मामला राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ उठाया।

इस प्रकार, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी/संबंधित विभाग को अंतिम रूप देने में राज्य सरकार की अनिर्णायक स्थिति के कारण, वर्ष 2018 में शुरू किए गए सीईटीपी छ: वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी स्थापित नहीं किए जा सके। परिणामस्वरूप, औद्योगिक अपशिष्ट जल को घरेलू सीवर लाइनों में डिस्चार्ज करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सीईटीपी के निर्माण में इस देरी ने अगस्त 2019 के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उस आदेश का भी उल्लंघन किया, जिसमें राज्य सरकार के सभी स्थानीय निकायों या विभागों को उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करना अनिवार्य था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2025) कि निधियों की कमी के कारण, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने से इनकार कर दिया (सितंबर 2024)। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोतों की तलाश के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर, उसने उपर्युक्त तीन सीईटीपी के निर्माण के लिए निधियों की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से संपर्क किया था।

इस प्रकार, जुलाई 2018 में प्रस्ताव के आरंभ और अगस्त 2019 के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के क्रमशः सात और छ: वर्ष बीत जाने के बाद भी सीईटीपी के निर्माण के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

3.5.2 गुरुग्राम जिला

जिला गुरुग्राम में मार्च से जुलाई 2024 के दौरान अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (ख)*** में दी गई है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल 16 सीवेज उपचार संयंत्रों में से केवल 12 ही अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंडों को पूरा कर रहे थे। गुरुग्राम से निकलने वाला अपशिष्ट जल, इसके तीन मुख्य नालों (अर्थात लेग I, लेग II और लेग III) के माध्यम से यमुना नदी में मिलता है, जिसमें औसत बीओडी और फिकल कोलीफॉर्म का स्तर क्रमशः 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर[12] के निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था, जैसा कि ***तालिका 3.2*** में विवरण दिया गया है:

---

[12] हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपचारित अपशिष्ट जल के डिस्चार्ज के लिए जुलाई 2020 के मानकों को सितंबर 2023 में संशोधित किया गया।

तालिका 3.2: 2024 में गुरुग्राम जिले से यमुना नदी में मिलने वाले नालों के पानी की गुणवत्ता (औसत)

क्र.सं.	ड्रेन का नाम	बीओडी (मिलीग्राम/लीटर)	फिकल कोलीफॉर्म (एमपीएन/100 मिलीलीटर)
1	लेग I	88	1,816
2	लेग II	97	3,310
3	लेग III	106	2,730

(स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित नालों और नदियों में पानी की गुणवत्ता का डेटा)।

गुरुग्राम और मानेसर शहरों में सीवरेज प्रबंधन का कार्य गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, गुरुग्राम[13] द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 तक, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों में 550 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 90 एमएलडी का उपचार और पुन: उपयोग कॉलोनाइजरों द्वारा अपने परिसरों में किया गया था। इसलिए, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को 460 एमएलडी सीवेज (550 एमएलडी - 90 एमएलडी) का उपचार करना अपेक्षित था, जिसकी तुलना में उसने केवल 415 एमएलडी (12 सीवेज उपचार संयंत्रों में) की उपचार क्षमता स्थापित की थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उत्पन्न होने वाले 460 एमएलडी सीवेज की तुलना में, इन सीवेज उपचार संयंत्रों में प्रतिदिन प्राप्त होने वाला औसत सीवेज केवल 397 एमएलडी था। इस प्रकार, 63 एमएलडी सीवेज (460 एमएलडी - 397 एमएलडी) सीवेज उपचार संयंत्रों तक नहीं पहुंच रहा था और स्पष्ट रूप से बिना उपचार के ही नालों में बहाया जा रहा था। अतः, मार्च 2020 तक उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों (अगस्त 2019) के बावजूद, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका, क्योंकि 14 प्रतिशत सीवेज सीवेज उपचार संयंत्रों तक नहीं पहुंच रहा था।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2025) कि उसने नगर निगम, गुरुग्राम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संबंधित विभागों के सहयोग से नालों के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद एक कार्य योजना तैयार की थी। आगे यह बताया गया था कि दिसंबर 2028 तक उपचार क्षमता को बढ़ाकर 977 एमएलडी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे, जो आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले सीवेज (अर्थात 800 एमएलडी) के साथ-साथ नालों से डायवर्ट किए गए सीवेज के उपचार के लिए पर्याप्त होगा।

लेखापरीक्षा ने सीवरेज अवसंरचना से संबंधित नगर निगम, गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से कई कमियां पाई, जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

[13] जबकि आंतरिक सीवर लाइनों और घरेलू सीवर कनेक्शनों का प्रबंधन नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा किया जाता है, वहीं मास्टर सीवर लाइनों और सीवेज उपचार संयंत्र का प्रबंधन गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

3.5.2.1 मानेसर में सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण में देरी के कारण खुले मैदानों में 25 एमएलडी अनुपचारित अपशिष्ट जल का डिस्चार्ज

नाहरपुर-कासन और मानेसर शहरों के सीवेज डिस्चार्ज के उपचार के लिए, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने 25 एमएलडी क्षमता के एक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण को स्वीकृति दी (मार्च 2020)। ₹ 35 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (अप्रैल 2020) और ₹ 30.87 करोड़ की विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुमोदन (जुलाई 2020) के बाद, निविदाएं तीन बार (अर्थात जुलाई 2020, अगस्त 2020 और मई 2021 में) आमंत्रित की गई, लेकिन बोलीदाताओं द्वारा दी गई कमजोर प्रतिक्रिया और उच्च दरों के कारण कथित तौर पर उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। हरियाणा दर अनुसूची के संशोधन (2021) के बाद, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना अनुमान को संशोधित कर ₹ 38 करोड़ कर दिया गया और सितंबर 2021 में निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया गया। प्राप्त चार बोलियों के मूल्यांकन के बाद, कार्य मेसर्स एसएसजी-ईपी (जेवी) को ₹ 35.72 करोड़ की लागत से प्रदान किया गया (जनवरी 2022), जिसे अक्तूबर 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। हालांकि, सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य दो वर्ष से अधिक के विलंब के साथ अक्तूबर 2025 में पूरा हुआ।

मानेसर में सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण में देरी के कारण, नाहरपुर-कसन और मानेसर शहर के अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले मैदान में बहा दिया गया, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है:

इस प्रकार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के बावजूद, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने और कार्य आवंटन में लगभग दो वर्ष का समय लिया (कोविड अवधि सहित), जिसके कारण अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले मैदान में बहाया गया और इससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं पैदा हुई।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2025, अक्तूबर 2025) कि यदि संबंधित एजेंसियों (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ नगर निगम, मानेसर) द्वारा सीवर लाइन बिछा दी गई होती, तो इन गांवों के अपशिष्ट जल का उपचार आईएमटी मानेसर में पहले से ही क्रियाशील 55 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी में किया जा सकता था। यह बताया गया कि सीवर लाइनों को अक्तूबर 2025 में चालू कर दिया गया था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक

में देखा जा सकता है कि सीवेज उपचार संयंत्र को पूरा होने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष की देरी के बाद चालू किया गया था।

3.5.2.2 गुरुग्राम के जहाजगढ़ क्षेत्र के अपशिष्ट जल की टैपिंग और उपचार में देरी

मनोज मिश्रा बनाम भारत संघ के मामले में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हरियाणा राज्य और उसकी एजेंसियों को प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी व नियंत्रण करने और प्रदूषित नदी क्षेत्रों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बहाल करने का निर्देश दिया (सितंबर 2019)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने यह भी इंगित किया कि तीन बरसाती नालों[14] में बहाए जा रहे 85.2 एमएलडी अनुपचारित सीवेज को 31 दिसंबर 2020 तक डायवर्ट किया जाना अपेक्षित था।

इस उद्देश्य के साथ, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने जहाजगढ़ में 20 एमएलडी क्षमता के एक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2020), जिसकी लागत नगर निगम, गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के बीच 50:50 के अनुपात में साझा की जानी थी। प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, कार्य मेसर्स ओएएसआईएस-आईसीपीएल जेवी को ₹ 31.99 करोड़ की लागत से प्रदान किया गया (अगस्त 2020), जिसे फरवरी 2022 में पूरा किया जाना निर्धारित था। हालांकि, यह पाया गया कि भूमि के सीमांकन में देरी के कारण कार्य की प्रगति शुरू से ही धीमी रही, जिसका उत्तरदायी नगर निगम, गुरुग्राम था। एक वर्ष से अधिक की देरी के साथ सीवेज उपचार संयंत्र का परीक्षण संचालन नवंबर 2023 में शुरू किया गया।

यह पाया गया कि सीवर अवसंरचना अपूर्ण होने के कारण सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 5 एमएलडी सीवेज ही पहुंच रहा था। इसके परिणामस्वरूप, सीवेज उपचार संयंत्र के अपनी पूरी क्षमता से न चल पाने के अतिरिक्त ₹ 18.67 करोड़ का व्यय भी उसी सीमा तक व्यर्थ रहा।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने नगर निगम, गुरुग्राम का उत्तर प्रेषित किया (जुलाई 2025) जिसमें बताया गया था कि सीवर अवसंरचना का कार्य छः महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में विशेष अनुरोध किए जाने के बावजूद नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा भूमि के सीमांकन में हुई देरी पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण 20 एमएलडी सीवेज डिस्चार्ज के उपचार का परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया।

3.5.2.3 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण

नगर निगम, गुरुग्राम ने ताजे पेयजल पर निर्भरता कम करने और सीवरेज प्रणाली पर दबाव कम करने के उद्देश्य से, शहर के पार्कों में 41 माइक्रो[15] सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करने की योजना बनाई थी, ताकि इनके उपचारित जल का उपयोग बागवानी में किया जा सके। तदनुसार, नगर निगम, गुरुग्राम ने माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण और 10 वर्षों तक उनके संचालन

[14] लेग-I में 12.1 एमएलडी, लेग-II में 23.75 एमएलडी और लेग-III में 49.35 एमएलडी।

[15] माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्र को बड़े पैमाने पर सीवेज उपचार संयंत्रों की तुलना में छोटे स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एवं रखरखाव का कार्य मेसर्स एसआर पर्यावरण इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (20 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्र) और मेसर्स अर्थ वॉटर लिमिटेड (21 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्र) को क्रमशः ₹ 37.60 करोड़ और ₹ 39.36 करोड़ की लागत पर आवंटित किया (सितंबर 2019)।

मेसर्स एसआर पर्यावरण द्वारा 20 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण का कार्य सितंबर 2021 में पूरा कर लिया गया था। यह पाया गया कि मेसर्स अर्थ वॉटर निर्धारित समय अर्थात मार्च 2021 तक कार्य पूर्ण नहीं कर सका। नगर निगम, गुरुग्राम ने नवंबर 2021 में मेसर्स अर्थ वॉटर पर विलंब जुर्माना लगाया, हालांकि, अनुबंध समाप्त करने और शेष कार्य को जोखिम और लागत के आधार पर दूसरी एजेंसियों को सौंपने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (नवंबर 2024) के बाद ही नगर निगम, गुरुग्राम ने मेसर्स अर्थ वाटर के साथ अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की (नवंबर 2024)। यह पाया गया था कि मेसर्स अर्थ वॉटर को जनवरी 2021 तक ₹ 20.84 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, जिसके बाद उसने किसी अन्य भुगतान का दावा नहीं किया।

साइट विजिट (दिसंबर 2024) के दौरान नगर निगम, गुरुग्राम ने पाया कि 21 सीवेज उपचार संयंत्रों में से केवल नौ का निर्माण पूरा हुआ था। इसके अतिरिक्त, सीवेज उपचार संयंत्रों में से एक की मोटर चोरी हो गई थी, और तीन सीवेज उपचार संयंत्र आंशिक रूप से कार्य कार्य कर रहे थे। इस प्रकार, मेसर्स अर्थ वाटर ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार नौ पूर्ण हो चुके माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों का संचालन और रखरखाव नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कार्य आवंटन के पांच वर्ष बाद भी शेष 12 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

इस प्रकार, 12 माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों द्वारा अपशिष्ट जल को उपचारित करने और शहर के पार्कों में बागवानी हेतु इसका पुन: उपयोग करने का इच्छित उद्देश्य अप्राप्त रहा, इसके अतिरिक्त इन माइक्रो सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण पर खर्च किए गए ₹ 11.91 करोड़[16] का व्यय भी उसी सीमा तक व्यर्थ रहा। यह नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा अप्रभावी परियोजना प्रबंधन को दर्शाता है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने बताया (जून 2025, अक्तूबर 2025) कि इस कार्य को कर रही फर्म दिवालिया हो गई थी और उसके बाद कार्य संभालने वाली नई फर्म ने शेष कार्य शुरू कर दिया है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्षमता के संबंध में सूचित किया गया कि आज की तिथि तक नौ सीवेज उपचार संयंत्र कार्यरत थे।

3.5.3 सोनीपत जिला

सोनीपत जिला यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। सोनीपत शहर में सीवरेज प्रबंधन का कार्य नगर निगम, सोनीपत द्वारा किया गया था, जबकि गोहाना, गन्नौर, कुंडली और खरखौदा कस्बों में इसका प्रबंधन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया था। कुल 78.42 एमएलडी घरेलू सीवेज के उपचार के लिए, 85.3 एमएलडी क्षमता के सात सीवेज उपचार संयंत्र उपलब्ध थे। हालांकि, वास्तव में केवल 60.50 एमएलडी सीवेज का ही उपचार किया जा

[16] ठेकेदार को कुल भुगतान ₹ 20.84 करोड़/21*12

रहा था। दिल्ली सीमा पर स्थित एक औद्योगिक शहर कुंडली, जहां से 5 एमएलडी[17] सीवेज निकलता है, वहां कोई सीवर नेटवर्क या उपचार संयंत्र मौजूद नहीं है। जिले में दो मुख्य नाले हैं, अर्थात् ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8, जो यमुना नदी में गिरते हैं। मार्च-अप्रैल 2024 में सोनीपत जिले में अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (ग)*** में दी गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कुल सात सीवेज उपचार संयंत्रों में से छः सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानकों को पूरा कर रहे थे, लेकिन सोनीपत जिले से दो मुख्य नालों (अर्थात ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8) के माध्यम से यमुना नदी में होने वाले डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फिकल कोलीफॉर्म का स्तर दर्ज किया गया, जो निर्धारित मानकों (क्रमशः 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर) से बहुत अधिक था, जैसा कि ***तालिका 3.3*** में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: 2024 में सोनीपत जिले से यमुना नदी में गिरने वाले नालों के डिस्चार्ज की गुणवत्ता (औसत)

क्र.सं.	ड्रेन का नाम	बीओडी (मिलीग्राम/लीटर)	फिकल कोलीफॉर्म (एमपीएन/100 मिलीलीटर)
1	ड्रेन नंबर 6	96	3,233
2	ड्रेन नंबर 8	18	35,373

(स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित नालों और नदियों में पानी की गुणवत्ता का डेटा)

लेखापरीक्षा में सीवरेज अवसंरचना से संबंधित योजना और निष्पादन में नगर निगम, सोनीपत और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कई कमियां भी पाई गई, जिन पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.5.3.1 काकरोई, सोनीपत में 25 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र का कम उपयोग

काकरोई में 25 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र तक सीवेज पहुंचाने के लिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सितंबर 2018 में ₹ 4.80 करोड़ की लागत से 2,248 मीटर लंबी एक मास्टर सीवर लाइन का निर्माण किया था। हालांकि, सीवर लाइन के दोषपूर्ण डिजाइन और जोड़ों की अनुचित फिटिंग के कारण, सीवर लाइन अवरूद्ध हो गई। इसके परिणामस्वरूप, उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र तक (25 एमएलडी की स्थापित क्षमता के विरूद्ध) केवल 7 से 8 एमएलडी सीवेज ही पहुंच सका, और शेष अनुपचारित सीवेज ड्रेन नंबर 6 में बह रहा था।

इस समस्या के समाधान के लिए, नगर निगम, सोनीपत[18] ने दिसंबर 2023 में मेसर्स कैपिटल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, गुरुग्राम के माध्यम से ₹ 4.58 करोड़ की लागत से सीवर लाइनों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्वास कार्य करवाया। इसके बावजूद, पूरा सीवेज सीवेज उपचार संयंत्र तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए, नगर निगम, सोनीपत ने सीवर लाइन की बहाली के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से संपर्क किया। भारतीय

---

[17] कुंडली शहर की 44,205 जनसंख्या x 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत x 80 प्रतिशत सीवेज उत्पादन की दर।

[18] वर्ष 2018 में, राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति और सीवरेज की गतिविधियों को नगर निगम, सोनीपत को हस्तांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, सीवरेज नेटवर्क के साथ काकरोई, सोनीपत स्थित 25 एमएलडी क्षमता वाला सीवेज उपचार संयंत्र भी नगर निगम, सोनीपत को हस्तांतरित कर दिया गया।

प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट (मई 2024) में मौजूदा सीवर लाइन को पूरी तरह से इन-सीटू बदलने या लाइनर की मोटाई का आकलन करके क्योर्ड इन प्लेस्ड पाइप[19] (सीआईपीपी) तकनीक से कार्य करने का सुझाव दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीवर पाइपलाइन का मूल अलाइनमेंट सुनिश्चित नहीं किया गया, तो क्योर्ड इन प्लेस्ड पाइप कार्य के बाद भी पूर्ण डिजाइन क्षमता की बहाली विवादास्पद हो सकती है। इसके बाद, अगस्त 2024 में नगर निगम, सोनीपत द्वारा एक अन्य परामर्शदाता फर्म से समानांतर सीवर लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई गई, हालांकि, सीवर लाइन की बहाली के लिए अंतिम कार्रवाई अभी प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2025)।

इस प्रकार, सीवर लाइन बिछाने में कमियों और उसकी बहाली में देरी के कारण, काकरोई सीवेज उपचार संयंत्र को छः वर्षों तक पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अनुपचारित सीवेज ड्रेन नंबर 6 में बहता रहा। यह महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निष्पादन को संभालने में विभाग की अपर्याप्तता को इंगित करता है।

नगर निगम, सोनीपत ने बताया (जुलाई 2025) कि रथधना सीवेज उपचार संयंत्र से 11-12 एमएलडी अतिरिक्त सीवेज के डायवर्सन के बाद, काकरोई सीवेज उपचार संयंत्र में सामान्य दिनों में कुल सीवेज लगभग 15-16 एमएलडी और बारिश के दिनों में लगभग 20-22 एमएलडी प्राप्त हुआ। हालांकि, विशिष्ट अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को उत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (25 एमएलडी काकरोई सीवेज उपचार संयंत्र की लॉगबुक की प्रतियां) उपलब्ध नहीं कराए गए।

3.5.3.2 सोनीपत शहर में ड्रेन नंबर 6 के पुनर्वास कार्य में देरी

ड्रेन नंबर 6 पानीपत जिले के समालखा शहर से निकलता है और सोनीपत शहर में जवाहड़ी गांव से प्रवेश कर शहर के बीच से बहता है। इस नाले को, जिसे केवल बारिश के मौसम में वर्षा जल के लिए बनाया गया था, इसमें मुख्य रूप से आंशिक रूप से उपचारित/अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल बहता था। सीवरेज निपटान बिंदुओं को बंद करने और ड्रेन नंबर 6 में ठोस अपशिष्ट के निपटान को रोकने के लिए, नगर निगम, सोनीपत ने ड्रेन नंबर 6 के आरडी 1,900 से 9,300 तक के हिस्से को वर्षा जल निकासी के लिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) बॉक्स टाइप नाले में बदलने और इसे ऊपर से ढंकने के पुनरोद्धार कार्य का निर्णय लिया।

तदनुसार, नगर निगम, सोनीपत ने जुलाई 2017 में आरडी 1,900 से 6,706 तक के पहले हिस्से का कार्य मेसर्स एमएसकेईएल को ₹ 87 करोड़ की लागत से सौंपा था, जिसे नवंबर 2018 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। हालांकि, फर्म कार्य पूर्ण करने में विफल रही और ₹ 5.63 करोड़ मूल्य का कार्य पूर्ण होने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात, शेष कार्य अगस्त 2020 में मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ₹ 96.03 करोड़ की लागत से आवंटित किया गया, जिसे नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी और मुख्य रूप से नगर निगम, सोनीपत द्वारा साइट सौंपने में देरी के कारण, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि को सितंबर 2024 तक चार बार बढ़ाया गया था।

[19] मौजूदा पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए उपयोग की जाने वाली एक खाई रहित पुनर्वास विधि।

इसी प्रकार, दूसरे हिस्से (आरडी 6,706 से आरडी 9,300 तक) का कार्य अगस्त 2019 में मेसर्स जेबीएम-एसीसी जॉइंट वेंचर को ₹ 47.28 करोड़ की लागत से प्रदान किया गया था, जिसे फरवरी 2021 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। जनवरी 2025 तक इस पर ₹ 31 करोड़ का व्यय किया जा चुका था, लेकिन कार्य अभी भी प्रगति पर था (अक्तूबर 2025)। यह खुला नाला पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से वहां जहां यह वास्तव में एक सीवरेज प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है:

इस प्रकार, अनुचित परियोजना प्रबंधन के कारण, छः वर्ष बाद भी ड्रेन नंबर 6 का पुनरोद्धार कार्य पूर्ण नहीं हो सका और इस पूरी अवधि के दौरान यमुना नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल का डिस्चार्ज अनियंत्रित रूप से जारी रहा।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने बताया (जून 2025, अक्तूबर 2025) कि कार्य के निष्पादन में देरी के कई कारण थे जैसे कि अतिक्रमण, बरसात के मौसम में कार्य का रुकना, कोविड 19, जीआरएपी लागू होना और वन विभाग की स्वीकृति में देरी आदि। यह भी बताया गया था कि 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य को 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, इस उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि ये कार्य 2017 और 2019 में 18 महीने की पूर्णता अवधि के साथ आवंटित किए गए थे, लेकिन अक्तूबर 2025 तक भी दोनों कार्य अपूर्ण ही रहे। इसके अतिरिक्त, खुले नाले के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अभी भी असमाधित हैं।

3.5.3.3 आंशिक रूप से उपचारित 16 एमएलडी सीवेज को नाला नंबर 6 में डिस्चार्ज करना

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने बरही, सोनीपत में 1,255 एकड़ के क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था जहां 700 से अधिक लघु उद्योग मौजूद थे। औद्योगिक अपशिष्ट जल (एफ्लुएंट) के उपचार के लिए, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने 16 एमएलडी की उपचार क्षमता वाला एक सीईटीपी स्थापित (2017) किया था। सीईटीपी के निर्माण का कार्य मेसर्स घरपुरे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) के माध्यम से टर्नकी आधार पर ₹ 34 करोड़ की कुल

लागत से निष्पादित किया गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संचालन की तिथि से 10 वर्षों तक सीईटीपी का संचालन और रखरखाव भी इसी फर्म द्वारा किया जाना था।

चूंकि संयंत्र कुशलतापूर्वक नहीं चल रहा था, इसलिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने आईआईटी, दिल्ली के माध्यम से सीईटीपी का दक्षता अध्ययन करवाया (नवंबर 2019), जिसने इंगित किया (फरवरी 2020) कि तेल और ग्रीस मापदंडों के परीक्षण परिणाम डिजाइन मूल्य (20 मिलीग्राम/लीटर के डिजाइन मूल्य की तुलना में इनफ्लुएंट 34 मिलीग्राम/लीटर) से अधिक थे। इस कारण प्लांट कुशलता से नहीं चल पा रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए, आईआईटी, दिल्ली ने तत्काल ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप लगाने की सिफारिश की। इस पर, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सीईपीटी के कुशल संचालन के लिए एजेंसी को ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप का निर्माण करने का नोटिस जारी किया (सितंबर 2020)। हालांकि, एजेंसी ने यह कहते हुए इसका निर्माण करने से इनकार कर दिया (सितंबर 2020) कि यह कार्य के दायरे में शामिल नहीं था। अंततः, एजेंसी को ₹ 1.51 करोड़ की कुल लागत पर ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप के निर्माण का कार्य सौंपा गया (सितंबर/दिसंबर 2023), जिसे दिसंबर 2024 में पूरा किया गया।

यह पाया गया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को उत्तरदायित्व तय करने और सीईपीटी के कुशल संचालन के लिए कार्य आवंटित करने में लगभग तीन वर्ष लग गए। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और अगस्त 2019 के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल ड्रेन नंबर 6 में छोड़ा जाना जारी रहा।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2025) कि प्रौद्योगिकी प्रदाता मेसर्स एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद (मार्च 2023), एजेंसी इस बात पर सहमत हुई कि ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप न लगे होने के कारण संयंत्र का निष्पादन प्रभावित हो रहा था। ट्रैप लगाने का कार्य एजेंसी द्वारा किया गया, जिसे दिसंबर 2024 में पूरा कर लिया गया था।

तथ्य यह है कि अनुबंध की शर्तों में अस्पष्टता और उनके धीमे कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप चार वर्षों तक आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का छोड़ा जाना जारी रहा।

3.5.4 पानीपत जिला

पानीपत जिला यमुना नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और यहां दो शहरी क्षेत्र अर्थात् पानीपत नगर निगम क्षेत्र और समालखा शहर हैं। पानीपत शहर में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन का कार्य नगर निगम पानीपत (एमसीपी) द्वारा और समालखा शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। पानीपत के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले घरेलू सीवेज की कुल मात्रा 101.84 एमएलडी थी, जिसके उपचार के लिए 168.80 एमएलडी क्षमता वाले 10 सीवेज उपचार संयंत्र मौजूद थे (पानीपत शहर में 163.80 एमएलडी क्षमता के नौ सीवेज उपचार संयंत्र और समालखा में 5 एमएलडी क्षमता का एक सीवेज उपचार संयंत्र)। हालांकि, इन सभी सीवेज उपचार संयंत्रों द्वारा घरेलू सीवेज का वास्तविक उपचार केवल

75 एमएलडी ही किया जा रहा था। इसलिए, शेष 26.84 एमएलडी (101.84 एमएलडी-75 एमएलडी) सीवेज उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र तक नहीं पहुंच पा रहा था। मार्च 2024 में पानीपत जिले में अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (घ)*** में दी गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कुल 10 में से नौ सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंडों को पूरा कर रहे थे, लेकिन ड्रेन नंबर 2 के माध्यम से यमुना नदी में गिरने वाले पानीपत जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 85 एमजी/एल का (10 मिलीग्राम/लीटर के मानदंड के विरुद्ध) और औसत फिकल कोलीफॉर्म स्तर 4,000 एमपीएन/100एमएल (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानदंडों के विरुद्ध)[20] दर्ज किया गया (2024)।

लेखापरीक्षा ने सीवरेज अवसंरचना से संबंधित योजना और निष्पादन में नगर निगम, पानीपत और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से कई कमियां पाई, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

3.5.4.1 गैर-पारदर्शी तरीके से कार्य के दायरे में वृद्धि और सीवरेज अवसंरचना का अप्रभावी उपयोग

i) प्रशासनिक सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की अध्यक्षता में अमृत की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) ने पानीपत शहर के वंचित/अन्य क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के साथ-साथ पांच वर्ष के लिए संचालन और रखरखाव का कार्य मेसर्स भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर, करनाल को ₹ 64.96 करोड़ की कुल लागत पर सौंपा (नवंबर 2018), जो कि अमृत योजना के तहत अनुमानित लागत से 23.41 प्रतिशत अधिक था। 20,500 घरों को सीवरेज कनेक्टिविटी[21] प्रदान करना भी कार्य के दायरे में शामिल था। इस कार्य को 18 महीनों में, अर्थात मई 2020 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एसएलटीसी द्वारा कॉलोनियों की संख्या 29 से बढ़ाकर 77 करके कार्य के दायरे में कई बार वृद्धि की गई (सितंबर 2019 में ₹ 98.50 करोड़, जनवरी 2021 में ₹ 123.42 करोड़, और अंततः सितंबर 2022 में ₹ 215.18 करोड़)। इसके परिणामस्वरूप, कार्य का वित्तीय भार ₹ 64.96 करोड़ से 331 प्रतिशत बढ़कर ₹ 215.18 करोड़ हो गया। समय-समय पर कार्य की अवधि भी बढ़ाई गई, और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2023 तक दिया गया। विस्तारित समय तक, मेसर्स भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीवरेज नेटवर्क का निर्माण पूरा किया और ₹ 202.44 करोड़ की कुल लागत से 50,962 घरों को कनेक्टिविटी प्रदान की।

परिणामस्वरूप, जिस ठेकेदार को शुरू में बहुत कम क्षमता का अनुबंध सौंपा गया था, उसने बिना किसी नई प्रतिस्पर्धी निविदा के एक बहुत बड़ा अनुबंध निष्पादित कर दिया। इन 48 कॉलोनियों में अतिरिक्त कार्य, जो कि लगभग ₹ 150 करोड़ की राशि के नए कार्यों के स्वरूप के थे, ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.7.2 का उल्लंघन करते हुए

[20] स्रोत: नालों और नदी के पानी की गुणवत्ता का हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डेटा

[21] कनेक्टिविटी का अर्थ है घर के बाहर एक टैपिंग पॉइंट प्रदान करना, जिसके माध्यम से घर को सीवरेज प्रणाली से जोड़ा जा सके।

आवंटित किए गए, जो यह प्रावधान करता है कि कार्य को पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित करके निष्पादित किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, नगर निगम, पानीपत ने मेसर्स भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर को अतिरिक्त कार्य के आवंटन को इस आधार पर उचित ठहराया (सितंबर 2020) कि नई निविदाएं आमंत्रित करने में तीन से चार महीने का समय लगेगा और मौजूदा एजेंसी को अतिरिक्त कार्य आवंटित करने से कार्य के निष्पादन में शीघ्रता आएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 77 कॉलोनियों का कार्य मार्च 2023 तक पूरा हुआ, जो कि अनुबंध के शुरुआती आवंटन के चार वर्ष से अधिक समय उपरांत था; यह समय 48 कॉलोनियों में नई प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से कार्य निष्पादित करने के लिए पर्याप्त था।

ii) 76 कॉलोनियों के अपशिष्ट जल डिस्चार्ज के उपचार के लिए, नगर निगम, पानीपत ने एक अन्य ठेकेदार (मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन) के माध्यम से 25 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करवाया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र के लिए जुलाई 2023 में और 25 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र के लिए दिसंबर 2023 में संचालन की सहमति जारी की थी। हालांकि, मई 2024 तक भी, 15 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र में केवल 0.6 एमएलडी और 25 एमएलडी सीवेज उपचार संयंत्र में केवल 1.5 एमएलडी अपशिष्ट जल ही पहुंच रहा था। इस प्रकार, 50,962 घरों (जिन्हें मेसर्स भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई थी) से निकलने वाले लगभग 22.02 एमएलडी[22] अपशिष्ट जल के विरूद्ध, संबंधित सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 2.1 एमएलडी (0.6 एमएलडी + 1.5 एमएलडी) बहाव का पहुंचना इस तथ्य का सूचक है कि नगर निगम, पानीपत ₹ 202.44 करोड़ की लागत से तैयार अवसंरचना के प्रभावी उपयोग के लिए सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीवर कनेक्शन प्रदान नहीं कर सका। यह विभाग की ओर से दोषपूर्ण योजना को भी दर्शाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमति व्यक्त की और बताया (जून 2025) कि योजना (अमृत 1) के तहत विभाग द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी, हालांकि, घर का सीवर कनेक्शन अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा लिया जाना था। इसमें सड़क कटाई, उसकी मरम्मत और अन्य प्रभारों की लागत शामिल थी, जिससे बचने की व्यक्ति कोशिश करते हैं।

नगर निगम, पानीपत ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2025) कि 50 से 60 प्रतिशत घर सीवर लाइनों से जुड़े हुए थे। शेष कनेक्शनों के लिए जनता को प्रेरित किया जा रहा है और रोड-कट प्रभारों की छूट के बाद 100 प्रतिशत कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे।

हालांकि, तथ्य यह है कि सीवेज अवसंरचना का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था। भले ही इस योजना में अंतिम-उपयोगकर्ता के सीवर कनेक्शन का प्रावधान नहीं था, लेकिन अवसंरचना की योजना बनाने के चरण के दौरान ही इस आवश्यकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए था।

[22] 50,962 परिवार x 4 व्यक्ति प्रति परिवार x 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत x 80 प्रतिशत सीवेज उत्पादन की दर।

3.5.4.2 सेक्टर-29, पानीपत में उद्योगों द्वारा भूजल का अवैध दोहन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-29, पानीपत में दो औद्योगिक क्षेत्र (फेज-I और फेज-II) विकसित किए थे तथा इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट जल के संग्रह और उसके उपचार तथा उपचारित पानी के अंतिम निपटान के लिए उत्तरदायी था। अप्रैल 2024 तक, इन औद्योगिक क्षेत्रों में 175 जल[23] आधारित उद्योग कार्य कर रहे थे। इन उद्योगों द्वारा छोड़े गए औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-29, पानीपत में 21-21 एमएलडी के दो सीईटीपी का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 29 के बाहर स्थित 15 उद्योग (जिनका औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्सर्जन 4.61 एमएलडी था) भी इन दोनों सीईटीपी से जुड़े हुए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 29 के इन उद्योगों को 15.8 एमएलडी नहरी पानी और 0.850 एमएलडी ट्यूबवेल के पानी की आपूर्ति की। इस प्रकार, उद्योगों द्वारा अधिकतम अपशिष्ट जल 16.65 एमएलडी (15.8 एमएलडी + 0.85 एमएलडी) होना चाहिए था। कुल मिलाकर 21.26 एमएलडी (16.65 एमएलडी + 4.61 एमएलडी) अपशिष्ट जल सीईटीपी तक पहुंचना चाहिए था। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए[24]) ने 13 उद्योगों (कुल 3.168 एमएलडी भूजल की अनुमति) को भूजल निकालने की अनुमति दी थी।

हालांकि, इसके विपरीत, सीईटीपी तक पहुंचने वाले अपशिष्ट जल का वास्तविक औसत प्रवाह 39 एमएलडी था। इस प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति किए गए पानी की तुलना में उद्योगों द्वारा 14.57 एमएलडी (39 एमएलडी - 21.26 एमएलडी - 3.168 एमएलडी) अतिरिक्त अपशिष्ट जल छोड़ा जा रहा था। यह दर्शाता है कि पानीपत जिले के अति-दोहित क्षेत्र होने के बावजूद, ये उद्योग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूजल निकाल रहे थे। उद्योगों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी से अधिक मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के दृष्टिगत, पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी प्राधिकरणों अर्थात हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को इस उल्लंघन का पता लगाने और इसे रोकने की आवश्यकता है। इस संबंध में विभाग की विफलता पर्यावरण कानूनों की कमजोर निगरानी और प्रवर्तन को दर्शाती है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2025) कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे कि वहां कोई अवैध सीवर कनेक्शन न हो। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि भूजल के अवैध निष्कर्षण का मामला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विषय था।

---

[23] हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार।

[24] राज्य सरकार ने राज्य में भूजल स्तर की निगरानी के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) की स्थापना की थी (2020)। हरियाणा में भूजल निकालने के लिए एचडब्ल्यूआरए की अनुमति अपेक्षित है।

3.5.5 यमुनानगर जिला

यमुनानगर जिला यमुना नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इस जिले में तीन शहरी क्षेत्र अर्थात् यमुनानगर-जगाधरी, सढौरा और रादौर हैं। जिले के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले घरेलू सीवेज का प्रबंधन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया था। मार्च 2024 में यमुनानगर जिले में अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (ड.)*** में दी गई है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया कि यद्यपि सभी आठ सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंडों को पूरा कर रहे थे, फिर भी मुख्य नाले के माध्यम से यमुना नदी में गिरने वाले यमुनानगर जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 71 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानदंड के विरुद्ध) और औसत फिकल कोलीफॉर्म स्तर 2,880 एमपीएन/100 मिलीलीटर (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानदंड के विरुद्ध) दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि यमुनानगर और जगाधरी की इकाइयों द्वारा उत्पन्न 66 एमएलडी अनुपचारित घरेलू सीवेज और औद्योगिक संचालन से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए, 19.50 एमएलडी के औद्योगिक सीवेज उपचार संयंत्र और 77 एमएलडी के सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य मार्च-मई 2025 में आवंटित किया गया था, जिनके पूरा होने की निर्धारित समय-सीमा क्रमशः सितंबर 2026 और जून 2027 है।

लेखापरीक्षा ने सीवरेज अवसंरचना से संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कमियां पाई, जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

3.5.5.1 कार्य के निष्पादन में विलंब के लिए जुर्माने में अनुचित कमी

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बाढ़ी माजरा रोड, यमुनानगर में 10 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य ₹ 9.99 करोड़ की लागत से मेसर्स कपिल हाइड्रो-जेवी (एजेंसी) को सौंपा (मार्च 2018), जिसे सितंबर 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। अनुबंध की सामान्य शर्तों की क्लॉज संख्या 2 के अनुसार, समय अनुबंध का मुख्य सार था और विलंब के लिए अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति वसूल की जानी थी, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती थी।

तथापि, यह पाया गया कि एजेंसी निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल रही, जिसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने उसे कई नोटिस जारी किए और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹ 99.86 लाख का जुर्माना लगाया। हालांकि, अनुबंध समाप्त करने के नोटिस (मार्च 2022) और एजेंसी के जोखिम और लागत पर शेष कार्य को आवंटित करने के लिए अंतिम माप हेतु नोटिस जारी किए जाने के बाद (अक्तूबर 2022), एजेंसी ने कार्य पूर्ण कर लिया। कार्य पूर्ण होने के बाद, एजेंसी ने अनुरोध किया कि पहले लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाए। अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परिमंडल, अंबाला छावनी ने एजेंसी की इस दलील के आधार पर कि कोविड-19 महामारी के कारण कार्य में देरी हुई, जुलाई 2023 में जुर्माने को ₹ 99.86 लाख से घटाकर ₹ 0.41 लाख कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुर्माने में कटौती के लिए माना गया कारण उचित नहीं था क्योंकि कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित अवधि (अर्थात सितंबर 2019) महामारी की शुरुआत से पहले

ही समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया था (सितंबर 2019) कि 01 जुलाई 2020 के बाद निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में, हरियाणा सरकार प्रत्येक अपूर्ण सीवेज उपचार संयंत्र के लिए ₹ 10 लाख प्रति माह पर्यावरण मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी। यह अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तों को लागू करने में विभाग की विफलता को दर्शाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2024, अगस्त और सितंबर 2025) कि अनुबंध के क्लॉज 2 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जुर्माना माफ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, आगे की देरी से बचने के लिए कार्य को पूरा करने की तात्कालिकता थी। भविष्य में होने वाले विलंब को कम करने और वर्तमान ठेकेदार द्वारा परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए; पहले से निर्धारित जुर्माने को पर्याप्त रूप से कम करने का निर्णय लिया गया था। इस संशोधन के बाद, ठेकेदार ने बेहतर समर्पण दर्शाया और शेष सभी दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जुर्माने की माफी के लिए माने गए कारण उचित नहीं थे। कार्य पूर्ण करने की तात्कालिकता के संबंध में विभाग का तर्क भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस आधार पर जुर्माना माफ करके, विभाग ने ठेकेदार को सितंबर 2019 और अक्तूबर 2022 के मध्य हुई तीन वर्ष की देरी के लिए अनुबंध के तहत देय जुर्माने के विरुद्ध एक अनुचित अवसर प्रदान किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का यह तर्क कि उच्च अधिकारियों के पास ऐसा निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सभी निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और तार्किकता के दायरे में होने चाहिए, न कि केवल अधिकारियों के विवेक पर निर्भर।

3.5.5.2 सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अनुबंध की शर्तों और मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन न करना

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड का पैरा 13.6.5 उन कार्यों के अनुबंध नियमों और शर्तों में बीमा कवर का प्रावधान करता है जिनमें जोखिम और असुरक्षित स्थितियां शामिल होती हैं। अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 13 में यह भी प्रावधान है कि ठेकेदार, अपनी लागत पर, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से, कार्य शुरू होने की तिथि से कार्य पूर्ण होने की तिथि तक बीमा कवर प्रदान करेगा। बीमा पॉलिसियां और प्रमाण-पत्र ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू होने की तिथि से पहले अनुमोदन के लिए इंजीनियर को सौंपे जाएंगे। ऐसे सभी बीमा में हानि या क्षति की भरपाई के लिए मुआवजे का प्रावधान होगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा जारी (नवंबर 2018) सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सीवर की यांत्रिक और मैनुअल सफाई तथा सेप्टिक टैंकों को खाली करने के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में बताए गए सभी सुरक्षात्मक और सुरक्षा उपकरणों की सूची का रखरखाव करना भी शामिल था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग[25] के कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा बीमा पॉलिसियां और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मंडल कार्यालय के पास हेड लैंप, एयर कंप्रेसर, एयर ब्लोअर और एयर ब्रीदिंग अपैरेटस (सांस लेने का उपकरण) जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जिनका मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार रखरखाव किया जाना अपेक्षित था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

3.5.6 अंबाला जिला

अंबाला जिला घग्गर नदी के जल-ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। जिले में नगर निगम के कार्यों का निर्वहन चार शहरी स्थानीय निकायों[26] द्वारा किया जाता है, जबकि जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन से संबंधित सेवाओं का प्रबंधन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। मई-जुलाई 2024 में अंबाला जिले में अपशिष्ट जल उपचार के परिणामों की सीवेज उपचार संयंत्र-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3 (च)*** में दी गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल 14 सीवेज उपचार संयंत्रों में से केवल 10 सीवेज उपचार संयंत्र ही अपशिष्ट जल निर्वहन मानदंडों को पूरा कर रहे थे। दो मुख्य नालों (अर्थात अंबाला ड्रेन और घेल ड्रेन) के माध्यम से घग्गर नदी में गिरने वाले अंबाला जिले के अपशिष्ट जल के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग और फिकल कोलीफॉर्म का स्तर क्रमशः 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/100 मिलीलीटर के निर्धारित मानदंडों[27] से बहुत अधिक दर्ज किया गया (2024), जैसा कि ***तालिका 3.4*** में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.4: 2024 में अंबाला जिले से संबंधित नालों के डिस्चार्ज की औसत गुणवत्ता

क्र.सं.	ड्रेन का नाम	बीओडी (मिलीग्राम/लीटर)	फिकल कोलीफॉर्म (एमपीएन/100 मिलीलीटर)
1	अंबाला ड्रेन	68.8	3,450
2	घेल ड्रेन	70	3,725

लेखापरीक्षा ने नगर परिषद, अंबाला सदर और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज अवसंरचना के कार्य के निष्पादन में कमियां पाई, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

3.5.6.1 अंबाला सदर में अपर्याप्त उपचार क्षमता के कारण घग्गर नदी में अनुपचारित सीवेज का डिस्चार्ज

अंबाला सदर में, औसतन 25 एमएलडी[28] सीवेज उत्पन्न होता था; हालांकि, इसके उपचार के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नगर परिषद, अंबाला सदर ने अटल नवीकरण और शहरी

---

25 कार्यकारी अभियंता, मंडल संख्या 1, यमुनानगर।

26 नगर निगम अंबाला (शहर क्षेत्र के लिए) और नगर परिषद अंबाला सदर (अंबाला छावनी क्षेत्र के लिए) तथा नगरपालिका बराड़ा और नारायणगढ़।

27 ड्रेनों और नदियों की जल गुणवत्ता से संबंधित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डेटा।

28 2,36,850 (जनसंख्या) x 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति (केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा जारी सीवरेज और सीवेज उपचार नियमावली के अनुसार) x 80 प्रतिशत (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सीवेज उपचार संयंत्र की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति किए गए पानी का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल के रूप में वापस आता है) अपशिष्ट जल की मात्रा।

परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत सीवरेज नेटवर्क के साथ 44 एमएलडी की कुल स्थापित क्षमता वाले चार सीवेज उपचार संयंत्रों[29] के निर्माण का कार्य आवंटित किया (2017-20)। हालांकि, यह पाया गया था कि अंबाला सदर में सीवरेज नेटवर्क और दो सीवेज उपचार संयंत्रों अर्थात 12 क्रॉस रोड पर 12 एमएलडी और खुड्डा खुर्द गांव में 12 एमएलडी के निर्माण का कार्य मेसर्स केकेएसआईएल, नई दिल्ली को ₹ 144 करोड़ की लागत से आवंटित किया गया था (नवंबर 2017), जिसे नवंबर 2019 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। हालांकि, ₹ 44.27 करोड़ मूल्य का कार्य पूर्ण होने के बाद, परिषद ने सितंबर 2021 में यह कहते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया कि ठेकेदार अक्षम था और कार्य की प्रगति निराशाजनक थी। इसके विरुद्ध, मेसर्स केकेएसआईएल ने तर्क दिया कि उन्हें कार्य की साइट मई 2019 और अगस्त 2019 में देरी से सौंपी गई थी। लेकिन, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) ने मार्च 2022 में अनुबंध की समाप्ति को स्वीकृति प्रदान की। अनुबंध समाप्त होने के दो वर्ष बाद, परिषद ने मार्च 2024 में शेष कार्य को 'जोखिम और लागत' के आधार पर एक अन्य एजेंसी/ठेकेदार को ₹ 106.59 करोड़ की लागत से सौंपा, जिसे दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। इस प्रकार, सीवरेज नेटवर्क और दो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण मूल निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के पांच वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। यह पाया गया कि नगर परिषद ने मूल अनुबंध को निर्धारित समय-सीमा के 28 महीने बाद समाप्त किया और फिर से शेष कार्य के आवंटन में दो वर्ष का समय लिया, जो परिषद द्वारा कार्य के खराब निष्पादन और अनुबंध प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

नगर परिषद, अंबाला सदर ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2025) कि अनुबंध समाप्त करने और शेष कार्य आवंटित करने में विभिन्न कारणों से देरी हुई, जैसे सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए साइट सौंपने में विलंब, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन और शेष कार्य के लिए तीन बार निविदाएं आमंत्रित करना। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि कार्य आदेश मार्च 2024 में जारी किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि अनुबंध प्रबंधन के अप्रभावी होने के कारण सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने का इच्छित उद्देश्य लगभग पांच वर्ष तक लंबित रह गया।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि चयनित जिलों में सीवरेज अवसंरचना के संवर्धन हेतु कार्यों के निष्पादन में देरी के कारणों के लिए अपर्याप्त योजना, कमजोर साइट प्रबंधन और वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने जैसे बाहरी कारक उत्तरदायी हैं, जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी रही।

3.6 निगरानी तंत्र

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के तहत, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार और निर्धारित मानकों के संदर्भ में,

[29] 12 क्रॉस रोड पर 12 एमएलडी, खुड्डा खुर्द गांव में 12 एमएलडी, बब्याल गांव में 10 एमएलडी और मछोंडा गांव में 10 एमएलडी।

सीवेज या औद्योगिक अपशिष्टों के साथ-साथ उनके उपचार के लिए कार्यों और संयंत्रों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। चयनित जिलों के लेखापरीक्षा के दौरान, निगरानी में चूक से संबंधित निम्नलिखित मामले देखे गए:

3.6.1 ₹ 214.26 करोड़ की राशि के पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली न होना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 29 अप्रैल 2019 से पर्यावरणीय मुआवजे के निर्धारण, अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग के लिए तरीकों/कार्यप्रणाली को अपनाया था, जिसे बाद में दिसंबर 2021 में संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चयनित जिलों में प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए 650 वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयों पर ₹ 264.76 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित किया था। इसके विपरीत, 334 इकाइयों से केवल ₹ 50.50 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक ₹ 214.26 करोड़ की वसूली लंबित थी ***(परिशिष्ट 3.4)***। गुरुग्राम उत्तर, बल्लभगढ़ और सोनीपत में स्थिति विशेष रूप से कमजोर थी, जहां क्रमशः 92.52 प्रतिशत, 81.50 प्रतिशत और 78.83 प्रतिशत मुआवजा वसूली के लिए लंबित था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि आठ चयनित जिलों में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वसूल किए गए ₹ 50.50 करोड़ के मुआवजे का उपयोग पर्यावरणीय मुआवजा नीति की क्लॉज 2(एच) के संदर्भ में नहीं किया गया था, जिसमें संबंधित क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति की बहाली के लिए निधियों के उपयोग का प्रावधान था। मार्च 2024 तक, पूरी राशि बिना उपयोग के पड़ी थी, जिससे मुआवजा अधिरोपित करने और पर्यावरणीय क्षति की बहाली के लिए इसके उपयोग का उद्देश्य विफल हो गया।

इसलिए, पर्यावरण संरक्षण पहलों को निधि उपलब्ध करवाने की हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षमता उस सीमा तक प्रभावित हुई।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वसूली में कमी की सीमा पर सहमति व्यक्त की (जून 2025) और बताया कि वह इस पर कार्य कर रहा है।

3.6.2 अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज के डिस्चार्ज के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण न किया जाना - ₹ 949.27 करोड़

क. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार के सभी संबंधित स्थानीय निकायों या विभागों को निर्देश दिया (अगस्त 2019) कि वे उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करें; और चूक के मामले में, 01 अप्रैल 2020 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वसूल किए जाने वाले मुआवजे का भुगतान करें।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के निर्धारण, अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तरीकों और कार्यप्रणाली को अपनाया था (अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021)। इस कार्यप्रणाली में यह प्रावधान था कि

पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित करते समय, बचत किए गए लागत लाभ[30] और पर्यावरण[31] को हुई क्षति की लागत पर विचार किया जाएगा।

यह पाया गया कि चयनित जिलों में स्थानीय प्राधिकारी कुल उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करने में विफल रहे, क्योंकि इन जिलों में अनुपचारित घरेलू सीवेज की सीमा 10.89 प्रतिशत से 67.38 प्रतिशत के मध्य रही (तालिका संख्या 3.1, अनुच्छेद संख्या 3.5)। हालांकि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उल्लंघनों का संज्ञान नहीं लिया और लागू पर्यावरणीय मुआवजे को अधिरोपित करने और वसूल करने में विफल रहा, जो कि 31 अक्तूबर 2024 तक ₹ 902.97 करोड़ परिगणित किया गया था ***(परिशिष्ट 3.5)***।

ख. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरणीय मुआवजा कार्यप्रणाली में यह प्रावधान था कि उन इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों और जल अधिनियम 1974/वायु अधिनियम 1981 के तहत ऐसी इकाइयों को जारी किए गए संचालन हेतु सहमति (सीटीओ) में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों का डिस्चार्ज करती हैं।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निगरानी डेटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि चयनित आठ जिलों में 26 सीवेज उपचार संयंत्र और दो सीईटीपी 396 दिनों से 1,312 दिनों के मध्य की अवधि तक निर्धारित डिस्चार्ज मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंशिक रूप से उपचारित सीवेज के डिस्चार्ज के लिए ₹ 46.30 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.2)*** की पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित नहीं किया गया।

यह मामला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था (अगस्त, सितंबर, नवंबर 2025), नवंबर 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

3.6.3 अपर्याप्त निरीक्षण

यूनिटों/उद्योगों के निरीक्षण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संबंधी कानूनों[32] के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों/परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए एक नीति जारी की (फरवरी 2016)। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों[33] के तहत परियोजनाओं/उद्योगों के निरीक्षण/नमूनों की आवधिकता शामिल थी। निरीक्षण की अवधि को कम करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों (नवंबर 2019) के आधार पर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निरीक्षण नीति को संशोधित/अद्यतित किया (अक्तूबर 2019/फरवरी 2020)।

---

[30] संबंधित विभाग द्वारा सीवरेज सुविधाएं प्रदान न करने से बचाई गई पूंजीगत लागत, और उससे संबंधित संचालन एवं रखरखाव लागत।

[31] अपशिष्ट/सीवेज प्रबंधन और उपचार सुविधाओं की अपर्याप्त क्षमता के परिणामस्वरूप, अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्ट/सीवेज के कारण होने वाली क्षति।

[32] जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

[33] हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर लाल, नारंगी, हरा और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

लेखापरीक्षा ने फरवरी 2020 की अपनी निरीक्षण नीति में निर्दिष्ट आवधिकता के संदर्भ में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों की तुलना की और पाया कि चयनित जिलों में कमी की सीमा 63.27 से 77.75 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि ***तालिका 3.5*** के विवरण में दिया गया है:

तालिका 3.5: चयनित जिलों में 2020-24 के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	निरीक्षण नीति के अनुसार किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या[34]	निरीक्षणों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1	यमुनानगर	5,341	1,962	63.27
2	सोनीपत	7,820	1,945	75.13
3	पानीपत	4,193	1,206	71.24
4	गुरूग्राम	9,815	2,184	77.75
5	फरीदाबाद	7,629	2,353	69.16
6	हिसार	2,251	727	67.70
7	अंबाला	1,687	556	67.04
8	पंचकुला	2,738	708	74.14
कुल		**41,474**	**11,641**	**71.93**

इस प्रकार, 2020-21 से 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षणों में 71.93 प्रतिशत की कमी रही। यह कमी विशेष रूप से गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में अधिक थी, जहां यह क्रमशः 77.75 प्रतिशत और 75.13 प्रतिशत रही।

निरीक्षणों की अपर्याप्त संख्या का जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि अनियंत्रित प्रदूषण और पर्यावरणीय मानकों के गैर-अनुपालन के मामले लंबी अवधि तक बिना किसी अवरोध और पहचान के जारी रहे।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में बताया कि उसके पास कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

3.7 उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग

राज्य सरकार ने सीवेज के संग्रह और उपचार को अधिकतम करने और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए एक नीति तैयार की थी (अक्तूबर 2019)। उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, दैनिक गतिविधियों के संचालन और सुचारू तथा समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय हेतु एक अलग सेल, उपचारित अपशिष्ट जल (टीडब्ल्यूडब्ल्यू) सेल की स्थापना की गई थी।

3.7.1 उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए समय-सीमा की प्राप्ति न होना

उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की नीति में उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है:

[34] हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निरीक्षण नीति (फरवरी 2020) के मानदंड - अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों का निरीक्षण प्रत्येक तीन महीने में, लाल श्रेणी की इकाइयों का प्रत्येक छः महीने में, नारंगी श्रेणी की इकाइयों का प्रत्येक वर्ष और हरी श्रेणी की इकाइयों का दो वर्ष में एक बार किया जाना अनिवार्य है।

तालिका 3.6: उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए समय-सीमा

क्र. सं.	उद्देश्य	विकास की वर्तमान स्थिति	उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए समय-सीमा	मार्च 2024 तक उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की स्थिति
1	कम से कम 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करना	सीवरेज प्रणाली और सीवेज उपचार संयंत्र विद्यमान हैं	2 वर्ष (2021)	18.77 प्रतिशत
		सीवरेज प्रणाली है लेकिन सीवेज उपचार संयंत्र उपलब्ध नहीं है	3 वर्ष (2022)	
		कोई सीवरेज प्रणाली नहीं है और न ही कोई सीवेज उपचार संयंत्र है	4 वर्ष (2023)	
2	उपचारित अपशिष्ट जल का 50 प्रतिशत पुन: उपयोग करना	--	2025	--
3	उपचारित अपशिष्ट जल का 80 प्रतिशत पुन: उपयोग करना	--	2030	--

हालांकि, उपचारित अपशिष्ट जल सेल के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2024 तक 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लक्ष्य के विरूद्ध, पूरे राज्य में मार्च 2024 तक केवल 18.77 प्रतिशत (1,500.38 एमएलडी में से 281.65 एमएलडी) उपचारित अपशिष्ट जल का ही पुन: उपयोग किया जा रहा था। यह उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की परियोजनाओं की धीमी प्रगति को दर्शा रहा था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (अगस्त 2025) कि वह उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें कर रहा था और सभी विभागों के समक्ष मामले को उठा रहा था। हालांकि, तथ्य यह है कि अक्तूबर 2023 तक उपचारित अपशिष्ट जल के कम से कम 25 प्रतिशत का पुन: उपयोग करने का पहला लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

3.7.2 जैविक ऑक्सीजन की मांग से संबंधित मानकों में तर्कहीन वृद्धि

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (नवंबर 2022) उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर राष्ट्रीय ढांचे में यह प्रावधान किया गया है कि उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग कृषि, जलीय कृषि, वानिकी और बागवानी में किया जा सकता है। हालांकि, कृषि और जलीय कृषि उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक जल गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य था। इस संबंध में, भारतीय मानक 17675 (भाग 2): 2021 में सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग हेतु अधिकतम जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संबंध में निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं:

तालिका 3.7: सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपचारित अपशिष्ट जल के लिए मानक दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	उपचारित अपशिष्ट जल का प्रकार	अधिकतम बीओडी (मिलीग्राम/लीटर)	बाधाओं के बिना संभावित उपयोग
1	बहुत उच्च गुणवत्ता वाला उपचारित अपशिष्ट जल	10	कच्ची खपत वाली खाद्य फसलों की अप्रतिबंधित कृषि सिंचाई
2	उच्च गुणवत्ता वाला उपचारित अपशिष्ट जल	20	प्रसंस्कृत खाद्य फसलों की प्रतिबंधित कृषि सिंचाई
3	अच्छी गुणवत्ता वाला उपचारित अपशिष्ट जल	35	गैर-खाद्य फसलों की कृषि सिंचाई

सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग कई हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें मिट्टी और फसलों में प्रदूषकों का प्रवेश, और दूषित फसलों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी संभावित जोखिम शामिल हैं।

यह पाया गया कि उपचारित अपशिष्ट जल के डिस्चार्ज के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों में भारतीय मानकों के अनुरूप 10 मिलीग्राम/लीटर की जैविक ऑक्सीजन मांग सीमा निर्धारित (जुलाई 2020) की गई थी। हालांकि, भूजल और जल के अन्य संसाधनों को बचाने के उद्देश्य से, सिंचाई और अन्य गैर-पेय उपयोगों के लिए उपचारित सीवेज के पुन: उपयोग हेतु, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंचाई उद्देश्यों के लिए (खाद्य और गैर-खाद्य फसलों का अंतर किए बिना) जैविक ऑक्सीजन मांग सीमा को सुगम (सितंबर 2023) करते हुए 30 मिलीग्राम/लीटर कर दिया। यह निर्णय उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर राष्ट्रीय ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांतों और भारतीय मानकों की अनदेखी करते हुए लिया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सिंचाई के उद्देश्यों के लिए जैविक ऑक्सीजन मांग सीमा को सुगम करने से राज्य सरकार को उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है (जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेख किया गया है), हालांकि, इस तरह की छूट उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग पर राष्ट्रीय ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांतों और भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

निष्कर्ष और सिफारिशें

3.8 निष्कर्ष

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले सीवेज और उपचार क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चला है। चयनित आठ जिलों में 1,522.83 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ, जिसमें से जल निकायों में पुन: उपयोग या डिस्चार्ज से पहले केवल 51.03 प्रतिशत का ही डिस्चार्ज मानकों के अनुसार उपचार किया गया था। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और फरीदाबाद में उत्पन्न घरेलू सीवेज और उपचार क्षमता के बीच भारी अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त, कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण पानीपत और सोनीपत जिलों में स्थापित उपचार क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। फरीदाबाद में संबंधित प्राधिकरणों की प्रतिबद्धता की कमी के कारण औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार संयंत्रों के निर्माण में देरी हुई। पानीपत और सोनीपत में अतिरिक्त सीवेज उपचार अवसंरचना होने के बावजूद, मौजूदा सुविधाओं के कम उपयोग और डिस्चार्ज मानकों का पालन न करने के कारण पर्यावरण की निरंतर क्षति हो रही है। अपर्याप्त योजना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और परियोजनाओं को पूरा करने में देरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावित किया। राज्य उपचारित अपशिष्ट जल के सार्थक पुन: उपयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, ₹ 214.26 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा अभी भी वसूल नहीं जा सका है और अनुपचारित या आंशिक रूप से

उपचारित सीवेज उत्सर्जित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ₹ 949.27 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित ही नहीं किया गया। इस प्रकार, नागरिकों के लिए बनाई गई/परिकल्पित सुविधाएं अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं थी।

3.9 सिफारिश

प्रभावी सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्राप्त करने के लिए, राज्य सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करे तथा भूमि/वन आदि के लिए समय पर स्वीकृति प्राप्त करे।

अध्याय 4

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 4

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग

4.1 ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ), मेवात (नूंह) के कार्यालय में काल्पनिक कर्मचारियों की फर्जी यूनिक आईडी बनाकर और सातवें वेतन आयोग के बकाया वेतन व छुट्टी नकदीकरण के नाम पर उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करके ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन किया गया।

हरियाणा सरकार ने अगस्त 2011 में सभी सरकारी विभागों में ई-सैलरी प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन और अन्य बकाया राशि को संबंधित बैंक में अंतरित करने के लिए छः अक्षरों का एक विशिष्ट कोड दिया जाता है, जिसे आदाता का यूनिक कोड (यूसीपी) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, 24 जनवरी 2012 के निर्देशों के अनुसार, आदाता के यूनिक कोड का आवंटन ऑनलाइन कर दिया गया था और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा ई-सैलरी मॉड्यूल पर आदाता के यूनिक कोड आवंटित किए जा सकते हैं। इसके लिए, एक नए कर्मचारी द्वारा पैन कार्ड, निरस्त चेक और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करने के बाद, ई-सैलरी बनाने वाला (लिपिक/लेखाकार) अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से आदाता का यूनिक कोड जेनरेट करता है। इसके बाद, चेकर/आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से उक्त आदाता के यूनिक कोड को सत्यापित करता है। ई-सैलरी बनाने वाला अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-सैलरी पोर्टल पर बिल जेनरेट करता है और आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने क्रेडेंशियल के माध्यम से उन बिलों को सत्यापित कर भुगतान के लिए खजाने में जमा करता है।

दिसंबर 2015 और अक्तूबर 2023 की अवधि के लिए, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ), मेवात, नूंह की दिसंबर 2023 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, अगस्त 2019 और जून 2020 के मध्य की रोकड़ बही लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालांकि, ई-सैलरी वेबसाइट से उक्त अवधि के ई-सैलरी वाउचर डाउनलोड करके लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नूंह के कर्मचारियों की आदाता सूची की जांच से पता चला कि अगस्त 2019 से जून 2020 की अवधि के दौरान, 14 धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान ऐसे आदाताओं को किए गए थे, जिनके यूनिक कोड नंबर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नूंह के कर्मचारियों के यूनिक कोड नंबरों से मेल नहीं खाते थे। काल्पनिक कर्मचारियों के पक्ष में इन 14 लेनदेनों के माध्यम से ₹ 40.51 लाख ***(परिशिष्ट 4.1)*** की राशि वितरित की गई थी। यद्यपि इन आदाताओं के नाम जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/मेवात कार्यालय के कर्मचारियों के जैसे ही थे, लेकिन उनके यूनिक कोड, पैन, बैंक खाते के विवरण और पते वास्तविक कर्मचारियों से अलग थे। संबंधित बैंकों से आगे सत्यापन करने पर, कार्यालय अभिलेखों के अनुसार काल्पनिक कर्मचारियों के पते वास्तविक कर्मचारियों के पतों से भिन्न पाए गए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, अप्रैल 2024 में चार सदस्यीय[1] विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने ₹ 40.51 लाख के गबन की पुष्टि की और हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियमावली, 2016 के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखाकार और लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने तथा अगस्त 2019 और जून 2020 के बीच फर्जी विशिष्ट आईडी बनाकर, झूठे/छद्म नाम वाले कर्मचारियों के नाम पर 14 लेनदेन के माध्यम से किए गए ₹ 40.51 लाख के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान के लिए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की सिफारिश की। 29 अक्तूबर 2025 को आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखाकार और लिपिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक कार्रवाई और गबन की गई राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (नवंबर 2025)।

मामला मई 2025 में आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

4.2 बैंक गारंटी की शर्तों में ढील देने के परिणामस्वरूप बायोगैस संयंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति न होना

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय/समिति ने बैंक गारंटी की शर्त में ढील दी, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम/हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया। परिणामस्वरूप, अपूर्ण बायोगैस संयंत्र पर किया गया ₹ 5.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा, क्योंकि एजेंसी ने 90 प्रतिशत से अधिक करार राशि प्राप्त करने के बाद फरवरी 2020 से परियोजना को छोड़ दिया था।

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत सितंबर 2017 में धान के पराली प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए ₹ 6.10 करोड़ की एक अनुसंधान परियोजना को अनुमोदन दिया गया था। परियोजना के तहत, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति ने नवंबर 2017 में 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन की क्षमता के साथ कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ छः करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

निविदाएं आमंत्रित करने (दिसंबर 2017) के बाद, बायोगैस संयंत्र[2] का कार्य मार्च 2018 में ₹ 6.10 करोड़ की करार राशि पर टर्नकी आधार पर एक एजेंसी को आवंटित किया गया था। करार की क्लॉज 11 के अनुसार, लेआउट योजना प्रस्तुत करने पर एजेंसी को 50 प्रतिशत (₹ 3.05 करोड़) अग्रिम भुगतान किया जाना था, जो नवंबर 2018 में कर दिया गया था। अगला 20 प्रतिशत

---

[1] सहायक जिला अभियोजक, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी (स्थापना) और संबंधित सहायक।

[2] न्यूनतम 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले कृषि अपशिष्ट-आधारित बायोगैस विद्युत उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग। जिसमें सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, कंट्रोल और इंस्ट्रुमेंटेशन कार्य शामिल हैं।

(₹ 1.20 करोड़) बैंक गारंटी के बदले 50 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण होने पर अग्रिम के रूप में देय था, जिसका भुगतान जून 2019 में (बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना) कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भुगतान (₹ 1.20 करोड़) विभिन्न उपकरणों की खरीद और आपूर्ति के लिए अग्रिम के रूप में, सिविल कार्य पूर्ण होने पर (पूर्ववर्ती बैंक गारंटी के विरूद्ध) देय था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर-अक्तूबर 2023) कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की केंद्रीय खरीद समिति ने बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त में इस आधार पर ढील दी थी कि एजेंसी ने 75 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण कर लिया था और ₹ 3.47 करोड़ के उपकरण आयात किए थे। विश्वविद्यालय ने निरीक्षण समिति और विभागाध्यक्ष, प्रसंस्करण एवं खाद्य इंजीनियरिंग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश पर जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान ₹ 1.35 करोड़ की राशि और जारी की। इस प्रकार, फरवरी 2020 तक एजेंसी को कुल ₹ 5.60 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह पाया गया था कि फरवरी 2020 में भुगतान प्राप्त करने के बाद एजेंसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। जुलाई 2020 से यह मामला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन रहा, लेकिन परियोजना को पूर्ण न करने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। परियोजना को पूर्ण करने के बजाय, एजेंसी ने सितंबर 2021 में अपरिहार्य परिस्थितियों का संदर्भ देते हुए कार्य पूर्ण करने में अपनी असमर्थता जताई और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विरूद्ध मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू कर दी। एजेंसी द्वारा मध्यस्थता फीस का भुगतान न करने के कारण सितंबर 2023 में मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2024 में करार को समाप्त कर दिया और ₹ 12 लाख की बयाना राशि जब्त कर ली।

फरवरी 2020 में ₹ 5.60 करोड़ प्राप्त करने के बाद एजेंसी ने परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया। परिणामस्वरूप, ₹ 5.60 करोड़ (करार राशि का 91.8 प्रतिशत) का व्यय होने के बाद भी यह परियोजना अपूर्ण और अक्रियाशील रही।

इस प्रकार, बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त करके चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय/समिति ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम या हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बताया (दिसंबर 2025) कि बायोगैस संयंत्र को कार्यात्मक बनाने के लिए कुछ एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। इस उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि ₹ 5.60 करोड़ का व्यय अब तक (दिसंबर 2025) निष्फल पड़ा है और परियोजना के पूर्ण होने से पहले ही आयातित उपकरणों की वारंटी की अवधि समाप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला जुलाई 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

4.3 अपूर्ण कार्य पर ₹ 6.37 करोड़ का भुगतान

अनिवार्य शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेजों की प्राप्ति के बिना ही साख-पत्र के माध्यम से ठेकेदार को भुगतान जारी करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 6.37 करोड़ की हानि हुई। भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। यह चूक साख-पत्र के दोषपूर्ण निबंधनों और शर्तों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, वसूली के प्रयास अप्रभावी रहे।

आयातित वस्तुओं की खरीद के मामले में वस्तु खरीद नियमावली, 2017 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को भुगतान बैंक में खोले गए साख-पत्र[3] के माध्यम से किया जाना चाहिए और मूल चालान, मूल स्थान प्रमाण-पत्र, प्रेषण-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट, बीमा और शिपमेंट विवरण सहित आवश्यक शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेज द्वारा समर्थित होना चाहिए। निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों में यह भी प्रावधान था कि सामग्री की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान साख-पत्र के माध्यम से तभी देय होगा, जब आपूर्तिकर्ता के चालान, बीमा प्रमाण-पत्र, निरीक्षण और मूल स्थान के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां जमा कर दी जाएं और लोडिंग पोर्ट, शिपमेंट की तारीख, जहाज का नाम आदि के संबंध में जानकारी साझा कर दी जाए।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2018 में "एक एकीकृत सौर-आधारित हाई-टेक ग्रीनहाउस परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन" का कार्य मेसर्स एस्ट्रोन सोलपावर प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून को ₹ 12.75 करोड़ में सौंपा था, जिसे 12 महीने की अवधि में पूर्ण किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, साख-पत्र के खुलने से तीन महीने की आपूर्ति अवधि के भीतर संरचनात्मक सामग्री, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सहायक उपकरण की आपूर्ति के लिए चरण-I में साख-पत्र के विरुद्ध 50 प्रतिशत भुगतान (₹ 6.37 करोड़) किया जाना था।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 18 जनवरी 2019 को देना बैंक में एक साख-पत्र खोला, जिसके तहत ठेकेदार को 90 दिनों की अवधि के लिए ₹ 6.37 करोड़ (अनुबंध मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था और भुगतान 30 अप्रैल 2019 को देय था। साख-पत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, माल की शिपमेंट 26 अप्रैल 2019 तक की जानी थी और साख-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में प्रोफार्मा इनवॉइस, माल ढुलाई बीमा प्रति और शिपमेंट दस्तावेज शामिल थे। हालांकि, साख-पत्र में निर्धारित शर्तें निविदा की आवश्यकताओं से काफी भिन्न थी, क्योंकि इन क्लॉज में आपूर्तिकर्ता के इनवॉइस जैसे किसी भी आवश्यक दस्तावेज को जमा करने का उल्लेख नहीं था, और न ही उनमें उपकरणों की लागत, मूल देश या निरीक्षण विवरण के प्रकटीकरण का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण न करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि

[3] क्रेता का बैंक, आपूर्तिकर्ता के बैंक को भुगतान करने के लिए क्रेता की ओर से साख-पत्र खोलता है। करार की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने पर आपूर्तिकर्ता को उसके भुगतान का आश्वासन देने के लिए साख-पत्र खोला जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की तिथि दो बार अर्थात 21 मई 2019 और 2 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 12 सदस्यीय परियोजना निगरानी समिति ने 2 जुलाई 2019 को बैंक से साख-पत्र के माध्यम से भुगतान रोकने का अनुरोध किया क्योंकि एजेंसी ने चरण-I का कार्य पूर्ण नहीं किया था। बैंक ने साख-पत्र को 29 जुलाई 2019 तक बढ़ा दिया। 25 जुलाई 2019 को, बैंक ने निदेशक (एस एंड पी), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि साख-पत्र को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि साख-पत्र के निबंधन और शर्तें एजेंसी को भुगतान को प्रतिबंधित नहीं करते थे। करार के तहत आवश्यक कार्य पूर्ण न होने के बावजूद, 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय की निगरानी समिति ने चरण-I के कार्य को संतोषजनक प्रमाणित कर दिया। हालांकि, साख-पत्र के भुगतान की अंतिम तिथि (29 जुलाई 2019) को, निदेशक (एस एंड पी), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कार्य अपूर्ण होने का संदर्भ देते हुए बैंक से पुन: भुगतान न करने का अनुरोध किया। बैंक ने यह कहते हुए उसी दिन साख-पत्र की राशि जारी कर दी कि साख-पत्र में भुगतान रोकने का कोई प्रावधान नहीं था।

अंततः, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को माल की कोई भी खेप प्राप्त नहीं हुई और बार-बार पत्राचार के बावजूद एजेंसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निधियों के दुरुपयोग के लिए एजेंसी के पक्ष में और भुगतान जारी करने के लिए बैंक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अप्रैल 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिसार से संपर्क किया। अपनी जांच (अक्तूबर 2021) में, पुलिस ने इस मामले को दीवानी प्रकृति का माना और बताया कि बैंक की ओर से कोई आपराधिकता नहीं थी क्योंकि साख-पत्र में भुगतान रोकने की कोई क्लॉज नहीं थी। एजेंसी ने मध्यस्थता कार्यवाही (सितंबर 2021) शुरू की, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष चल रही परिसमापन प्रक्रिया के कारण मध्यस्थता फीस जमा करने में विफलता के कारण सितंबर 2023 में समाप्त कर दिया गया था। जुलाई 2023 और अक्तूबर 2025 के बीच चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कई अनुरोध भेजे, हालांकि, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

ठेकेदार को पूरी राशि प्राप्त होने के बावजूद, छ: वर्ष बीत जाने के बाद भी दिसंबर 2025 तक कार्य अपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने न तो साख-पत्र में भुगतान रोकने की क्लॉज शामिल करके भुगतान को रोकने का उचित निर्णय लिया और न ही कार्य की प्रगति की उचित निगरानी की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि एजेंसी और बैंक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हिसार कोर्ट में एक अदालती मामला दायर किया गया था (मई 2024), जिसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी और बैंक के विरूद्ध हिसार कोर्ट में वसूली का मुकदमा भी दायर किया गया था (मार्च 2025), जिसकी अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2026 को है। साथ ही, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय के

अधिकारियों/शिक्षकों के विरुद्ध 16 आरोप पत्र जारी किए गए थे और आरोपों की जांच प्रक्रियाधीन थी।

मामला अगस्त 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

4.4 एक ही वाउचर का दो बार उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख का संदिग्ध गबन

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, जिनके पास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी था, द्वारा उसी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति को ₹ 24.39 लाख अनियमित रूप से अंतरित कर दिए गए। प्रिंसिपल की सेवानिवृत्ति के 11 महीने तक वाउचर जमा किए बिना निधियां खर्च की गई थी। विभाग द्वारा दो बार जांच की गई, लेकिन उत्तरदायित्व तय नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विश्लेषण से ₹ 3.95 लाख के संदिग्ध गबन का पता चला क्योंकि कुछ वाउचरों का दो बार उपयोग किया गया पाया गया।

सरकारी स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए विभागीय दिशानिर्देशों (जनवरी 2017) के अनुसार, प्रत्येक कार्य के लिए एक विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप-मंडल अभियंता[4] या कार्यकारी अभियंता[5], जो भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुदान जारी करने के प्रत्येक प्रस्ताव में स्कूल के प्रमुख और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अनुमान शामिल होना चाहिए। निष्पादित कार्यों का विवरण माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना और तस्वीरों के साथ समर्थित होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के निष्पादन की निगरानी जिले के अपर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। कार्य पूर्ण होने पर, स्कूल प्रबंधन समिति और प्रिंसिपल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ कार्य पूर्णता रिपोर्ट निदेशालय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पंजाब वित्तीय नियमावली वॉल्यूम-1 का नियम 2.10(ए) यह निर्धारित करता है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने या उसे स्वीकृति देने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। पैरा 2.22(5) यह प्रावधान करता है कि सभी भुगतान किए गए वाउचरों पर "भुगतान किया गया" की मोहर लगाई जानी चाहिए या उन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर (सोनीपत) के कार्यालय में अक्तूबर 2014 से जनवरी 2024 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2024) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि

[4] उप-मंडल अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) या पंचायती राज।
[5] कार्यकारी अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) या पंचायती राज।

अगस्त 2019 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस), गांव पुगथला की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) को चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ 6.55 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। ये निधियां प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही श्री सत्य प्रकाश कटारिया, प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला द्वारा आहरित[6] कर ली गई थी। हालांकि, इसका समायोजन बिल अक्तूबर 2023 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के तत्कालीन प्रिंसिपल श्री बिजेंद्र सिंह द्वारा ₹ 6.57 लाख[7] के सहायक वाउचरों, जो श्री कटारिया द्वारा विधिवत अनुमोदित और हस्ताक्षरित थे, के साथ प्रस्तुत किया गया था।

सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान, श्री कटारिया, प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के पास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ), गन्नौर का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के मध्य ₹ चार लाख नकद आहरित किए और ₹ 20 लाख राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला की स्कूल प्रबंधन समिति के बैंक खाते में अंतरित किए। निधियां जारी करने के पीछे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी विस्तृत अनुमान का आधार नहीं था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के प्रिंसिपल के रूप में, उन्होंने जनवरी से अप्रैल 2020 के दौरान ₹ 11.70 लाख नकद और आहरित किए तथा पांच विक्रेताओं[8] को ₹ 8.69 लाख का भुगतान किया। श्री कटारिया ₹ 24.39 लाख के कुल व्यय के वाउचर जमा किए बिना ही 30 अप्रैल 2020 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), सोनीपत ने श्री सत्य प्रकाश कटारिया के विरूद्ध एक अदिनांकित शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ₹ 20 से 25 लाख के मध्य सरकारी धन का गबन किया है, की जांच के लिए उप-जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को जांच अधिकारी नियुक्त किया (सितंबर 2020)। जांच अधिकारी की रिपोर्ट (नवंबर 2020) के अनुसार, श्री कटारिया द्वारा व्यय करने के वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नवंबर 2020 में उन्हें आहरित राशि से संबंधित अभिलेख जमा करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने मार्च 2021 में ₹ 23.27 लाख का उपयोग प्रमाण-पत्र बिलों की फोटोकॉपी के साथ जमा किया और यह दावा किया कि मई 2020 में उनके मूल बिल गुम हो गए थे। इन निधियों का उपयोग स्कूल में नए शौचालयों और मंच के निर्माण, इंटरलॉक टाइलें लगाने और कमरों की मरम्मत के लिए किया गया था।

---

6 17 अगस्त 2019 को श्री जगदीश को ₹ 0.50 लाख; 19 अगस्त 2019 को ₹ 2.90 लाख की नकद निकासी; 20 अगस्त 2019 को मेसर्स बजरंग सीमेंट स्टोर को ₹ 2.35 लाख; और 21 अगस्त 2019 को इसराना को ₹ 0.76 लाख अंतरित किए गए।

7 मेसर्स रविंदर बिल्डर्स को ₹ 3.70 लाख (जनवरी 2020), जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान लगाए गए श्रमिकों को ₹ 1.57 लाख; मेसर्स भारत बिल्डिंग मटेरियल को ₹ 0.75 लाख और मेसर्स सचिन शटरिंग स्टोर को ₹ 0.55 लाख का भुगतान।

8 (i) मेसर्स हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी को ₹ 1.50 लाख, (ii) मेसर्स भारत बिल्डिंग मटेरियल को ₹ 3.52 लाख, (iii) मेसर्स बजरंग सीमेंट स्टोर को ₹ दो लाख, (iv) मेसर्स शर्मा हार्डवेयर स्टोर को ₹ एक लाख तथा (v) मेसर्स श्री सालासर मार्बल को ₹ 0.67 लाख।

तत्पश्चात, एक अन्य शिकायत के आधार पर, निदेशालय कार्यालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को श्री कटारिया द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया (फरवरी 2021)। जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत के निर्देशों पर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर ने मामले की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया (जून 2021)। समिति ने सितंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया कि कार्यों पर किया गया व्यय लगभग ₹ 24 लाख था, जो श्री कटारिया द्वारा अंतरित/आहरित राशि के बराबर था। इस रिपोर्ट के आधार पर, निदेशालय कार्यालय ने श्री कटारिया के विरूद्ध शिकायत को नत्थी/बंद कर दिया (नवंबर 2021)।

हालांकि, ₹ 23.27 लाख के उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 3.95 लाख के वाउचर ***(परिशिष्ट 4.2)*** का उपयोग पहले जनवरी 2020 में चारदीवारी के निर्माण (₹ 6.55 लाख) पर हुए व्यय के समर्थन में भी किया गया था, जो ₹ 3.95 लाख के संदिग्ध गबन को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, श्री कटारिया द्वारा ₹ 24 लाख की निधियां (₹ चार लाख नकद आहरण और ₹ 20 लाख बैंक अंतरण के माध्यम से) बिना किसी उचित स्वीकृति और अनुमोदन के अनियमित रूप से स्कूल प्रबंधन समिति, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला को अंतरित कर दी गई थी। जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था। कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उचित स्वीकृति के बिना सरकारी खाते से बड़ी राशि अंतरित/आहरित की थी और इसके अतिरिक्त, अंतरित/आहरित निधियों के वाउचर और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में भी विफल रहे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि जुलाई 2019 में जारी अनुदान (चारदीवारी के निर्माण हेतु) से संदिग्ध गबन के मामले की जांच के लिए जनवरी 2025 में एक जांच समिति का गठन किया गया था; इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में अधिक समय लग सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद, जांच की स्थिति साझा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों (दिसंबर 2022) के अनुसार, सेवानिवृत्ति के चार वर्ष बाद किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अतः, जांच शुरू करने में हुए विलंब को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना अपेक्षित है। सितंबर 2020 और जून 2021 में गठित पिछली विभागीय जांच समितियों ने आरोपों की सही से जांच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों को बंद कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 3.95 लाख के वाउचर दो अलग-अलग कार्यों में व्यय के सहायक दस्तावेजों के रूप में दो बार उपयोग किए गए थे।

मामला नवंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

4.5 उपयोगकर्ता की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों की खरीद के कारण उपकरण/सेवाओं पर व्यर्थ व्यय

निदेशालय कार्यालय ने सरकारी कॉलेजों के लिए वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के दौरान निर्धारित नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किया, इसके अतिरिक्त, उपकरणों/सेवाओं को स्थापित करने और उपयोग करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा (डीएचई) के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच (अप्रैल 2024) के दौरान, यह पाया गया था कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने 17 सरकारी कॉलेजों और निदेशालय कार्यालय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणाली प्रदान करने के लिए मेसर्स आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से सेवाएं प्राप्त की थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निगरानी उद्देश्यों के लिए एक क्लिक पर सुलभ बनाने और कॉलेज के छात्रों को दूरस्थ रूप से व्याख्यान प्रदान करने की सुविधा देना था।

फर्म ने 17 कॉलेजों में ₹ 3.84 करोड़ की लागत से शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव जून 2017 में प्रस्तुत किया था, जिसमें भुगतान की शर्तें 90 प्रतिशत अग्रिम और 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित थी। खरीद आदेश जुलाई 2017 में जारी किया गया था और उपकरणों की आपूर्ति सितंबर और अक्तूबर 2017 के दौरान की गई थी। इसके पश्चात, वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त 133 कॉलेजों में भी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली लागू की गई थी। इन प्रणालियों की खरीद के साथ-साथ इनके उपयोग में भी अनियमितताएं पाई गई, जिनकी चर्चा निम्नानुसार है:

क. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण की स्थापना/उपयोग न करना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि खरीद खुली निविदाओं को आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर की गई थी, जो वित्तीय नियमों[9] और राज्य सरकार के निर्देशों[10] का उल्लंघन है, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा के माध्यम से खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर सभी खरीद की जानी चाहिए, केवल पेटेंट वस्तुओं और आकस्मिक स्थितियों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (2016) के अनुसार, ₹ एक करोड़[11] से अधिक की खरीद के लिए उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) का अनुमोदन अपेक्षित था।

---

9 नियम 7, पंजाब वित्तीय नियम खंड-II (परिशिष्ट 14) (हरियाणा राज्य में लागू)।

10 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा मई 2010 में जारी भंडार की खरीद पर नीतिगत दिशा-निर्देश।

11 वित्तीय शक्तियों (अगस्त 2016) के अनुसार, उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति को ₹ एक करोड़ से अधिक की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया था। फरवरी 2021 में इस सीमा को संशोधित कर ₹ पांच करोड़ कर दिया गया था।

यह पाया गया था कि उपकरण निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में स्थापित नहीं किया गया था और स्टोर रूम में अप्रयुक्त पड़ा पाया गया था। 17 कॉलेजों में से 14 में उपकरण स्थापित तो किए गए थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उनका कभी उपयोग नहीं किया गया (मार्च 2020 से)। शेष तीन कॉलेजों[12] में उपकरण स्थापित ही नहीं किए गए थे।

₹ 3.38 करोड़ की इन मदों की खरीद न तो पेटेंट प्रकृति की थी और न ही किसी आकस्मिक प्रकृति की थी और यह खरीद आवश्यकता का आकलन किए बिना मौजूदा नियमों के उल्लंघन में की गई थी।

ख. शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग न करना

शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को दिए गए प्रारंभिक कार्य आदेश का एक प्रमुख घटक थी। इसके पश्चात, जनवरी 2019 में 95 और सरकारी कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 112 कॉलेजों (95+17) में ₹ 2.90 लाख प्रति कॉलेज की वार्षिक लागत पर उन्नत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए फर्म के साथ एक करार निष्पादित किया गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, मई 2020 में 38 और कॉलेजों को जोड़ा गया, जिससे शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का दायरा बढ़कर 150 कॉलेजों तक हो गया। फरवरी 2023 में, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग ने 112 कॉलेजों के लिए करार की अवधि को जून 2024 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया।

मई 2021 में, निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय ने सभी कॉलेजों को शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का नियमित रूप से उपयोग करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किए और फर्म को विभागीय स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करने का निर्देश दिया। इसके उत्तर में, सात कॉलेजों ने सूचित किया (मई 2021) कि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, फर्म से सहयोग की कमी और सॉफ्टवेयर में शिक्षक-छात्र डेटा को अपलोड करने एवं मैपिंग में देरी जैसे विभिन्न कारणों से शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नमूना-जांच किए गए नौ कॉलेजों और राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, कालका ने बताया कि वे ई-लर्निंग के लिए नि:शुल्क पोर्टल (गूगल मीट और गूगल क्लासरूम) पर निर्भर थे।

चार कॉलेजों[13] ने निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय को सूचित किया (मार्च - अप्रैल 2023) कि अधिकांश शिक्षण प्रबंधन प्रणाली उपयोगकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर की परिचालन जटिलता के कारण इसे कम उपयोगकर्ता के अनुकूल पाया। शिक्षकों और छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए नि:शुल्क और अधिक सुलभ प्लेटफार्म (गूगल क्लासरूम) को प्राथमिकता दी। प्रतिकूल प्रतिक्रिया

---

12 राजकीय महिला महाविद्यालय (जीसीडब्ल्यू), भोड़िया खेड़ा (फतेहाबाद), राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेड़ी (नूंह) और राजकीय महिला महाविद्यालय, कैथल।

13 कालका, झज्जर, हांसी और पंचकुला।

को देखते हुए, आईटी सेल (निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय) से कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था (जून 2023)।

जुलाई 2023 में, निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय के आईटी सेल ने शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को बंद करने की सिफारिश की (जुलाई 2023), क्योंकि यह किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थी। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर, जनवरी 2024 में एक निदेशक उच्चतर शिक्षा (डीएचई) समिति[14] का गठन किया गया था। समिति ने अप्रैल 2024 में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि अधिकांश कॉलेजों ने विक्रेता से अपर्याप्त सहयोग, उच्च परिचालन लागत और प्रणाली के उपयोगकर्ता के अनुकूल न होने या प्रभावी छात्र शिक्षण के अनुकूल न होने के कारण असंतोष व्यक्त किया था।

विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी करके शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उपयोग/परिणाम को मापने और सुनिश्चित किए बिना 2019-22 की अवधि के लिए फर्म को कुल ₹ 7.61 करोड़[15] का भुगतान किया गया था। कंपनी से 2022-23 और 2023-24 की अवधि के इनवॉइस अभी प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2024)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2021-22 से 115 कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का उपयोग नहीं किया गया था और तीन कॉलेजों में इसका उपयोग कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उपयोग न होने के बारे में सूचना प्राप्त होने के बावजूद वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 3.43 करोड़ (₹ 2.90 लाख x 118 कॉलेज) का भुगतान किया गया था, इस प्रकार यह व्यय निष्फल/व्यर्थ हो गया।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि कॉलेजों द्वारा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के बहुत कम उपयोग के कारण, करार को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि उस उत्पाद/सेवा के लिए भुगतान किया गया था जिसे अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोगी नहीं पाया गया था।

ग. चार कॉलेजों में अस्थापित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों पर निष्क्रिय निवेश

उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में डिजिटल और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में दृष्टि (परिवर्तन और नवाचार के लिए हरियाणा में सूचना अध्ययन में डिजिटल क्रांति) कार्यक्रम तैयार किया। तदनुसार, डिजिटल बोर्ड, ई-लर्निंग लैब (जिनमें 20 कंप्यूटर शामिल हैं), डिजिटल पोडियम/स्मार्ट रोस्ट्रम और वर्चुअल क्लासरूम सहित आईटी उपकरणों की स्थापना के लिए 36 कॉलेजों का चयन किया गया था।

36 सरकारी कॉलेजों के लिए आईटी अवसंरचना तैयार करने के लिए आईटी उपकरणों की खरीद के लिए महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया

---

14 विभाग के चार सदस्य, कॉलेजों के पांच प्रिंसिपल और फर्म का एक प्रतिनिधि।

15 23 अगस्त 2022 - ₹ 2.50 करोड़, 16 जनवरी 2024 - ₹ 0.96 करोड़ और 18 मार्च 2024 - ₹ 4.15 करोड़।

(फरवरी 2019)। इन सभी 36 कॉलेजों के लिए ₹ 17.23 करोड़ का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। आपूर्ति आदेश (मार्च 2019) के अनुसार, 36 कॉलेजों में आपूर्ति और स्थापित की जाने वाली मदों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	मद	मात्रा	प्रति इकाई लागत (₹ लाख में)	कुल इकाई लागत (₹ लाख में)
1	डिजिटल बोर्ड	36	3.15	113.40
2	ई-लर्निंग लैब्स	36	27.00	972.00
3	डिजिटल पोडियम/स्मार्ट रोस्ट्रम	36	3.20	115.20
4	वर्चुअल क्लासरूम	36	14.50	522.00
				1,722.60

आपूर्ति आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में, सामग्री की आपूर्ति के 15 दिनों के भीतर (मार्च 2019) फर्म को ₹ 15.50 करोड़ (90 प्रतिशत) का भुगतान कर दिया गया था। फर्म ने विभाग को सूचित किया (जून 2019) कि निर्धारित समय के भीतर सभी कॉलेजों को सामग्री की आपूर्ति कर दी गई थी और 16 कॉलेजों में उपकरण स्थापित कर दिए गए थे, जबकि शेष 20 कॉलेजों के भवन अभी भी निर्माणाधीन थे। यह आश्वासन दिया गया था कि भवनों का कब्जा मिलते ही स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और फर्म ने ₹ 1.72 करोड़ के शेष 10 प्रतिशत भुगतान को जारी करने का अनुरोध किया। विभाग ने उन 16 कॉलेजों के लिए ₹ 76.56 लाख जारी किए (जून 2019) जिनका कार्य पूर्ण हो चुका था। इसके बाद, फर्म ने फिर से अनुरोध किया (जुलाई 2019) कि शेष कॉलेजों के लिए भी बकाया भुगतान जारी किया जाए, यह तर्क देते हुए कि देरी उनकी ओर से नहीं थी और भवनों के पूर्ण होने पर सिस्टम स्थापित करने का वचन-बंध प्रस्तुत किया। विभाग ने फर्म को ₹ 95.70 लाख जारी कर दिए, जबकि 20 कॉलेजों में उपकरणों की स्थापना अभी भी लंबित थी। इन 20 कॉलेजों में से, चार[16] कॉलेजों में जनवरी 2025 तक सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे गैर-स्थापित उपकरणों पर ₹ 1.91 करोड़ का निवेश निष्क्रिय रहा।

इस प्रकार, विभाग ने राज्य सरकार के नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 6.81 करोड़ की खरीदारी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के लिए) की, इसके अतिरिक्त, ₹ 1.91 करोड़ की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं की स्थापना न होने और खराब उपयोग के कारण, ₹ 8.72 करोड़ का समग्र व्यय व्यापक रूप से निष्क्रिय रहा।

मामला सितंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

[16] राजकीय कन्या महाविद्यालय, दादूपुर रोड़ान (जुंडला, करनाल), राजकीय महाविद्यालय, असंध (करनाल), राजकीय कन्या महाविद्यालय, नचौली और राजकीय महाविद्यालय, मोहना (फरीदाबाद)।

4.6 स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों और ई-कर्मा परियोजना के अपेक्षित परिणामों का सत्यापन किए बिना भुगतान जारी करना

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने पांच सरकारी कॉलेजों में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए ₹ 17.43 करोड़ की राशि मापन योग्य परिणामों और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध परिणामों का सत्यापन किए बिना ही जारी की। इसी प्रकार, ई-कर्मा परियोजना के तहत 4,649 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर खर्च किए गए ₹ 13.68 करोड़ व्यापक रूप से निष्फल रहे, क्योंकि उनमें से बहुत ही कम संख्या में अभ्यर्थी अपनी कमाई शुरू कर सके।

युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की; स्नातकों को इंटरनेट आधारित फ्रीलांसिंग के माध्यम से कमाई करने में सक्षम बनाने के लिए स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों की स्थापना और ई-कर्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम। निदेशालय कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से दोनों पहलों में महत्वपूर्ण कमियां सामने आई हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी किए बिना या परिणामों का सत्यापन किए बिना स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए भुगतान किया गया

बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के बताए गए उद्देश्य से निदेशक, उच्चतर शिक्षा (डीएचई) ने मई 2017 में राजकीय महाविद्यालय, पंचकुला में उद्यमिता को बढ़ावा देने में अनुभव रखने वाली एक एजेंसी को नियुक्त करके पायलट परियोजना के रूप में एक इनक्यूबेटर-सह-उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एजेंसी से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इच्छुक उद्यमियों का एक नेटवर्क तैयार करेगी और उसका प्रबंधन करेगी; नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए विपणन गतिविधियां संचालित करेगी; खुले सत्रों के माध्यम से सृजित सुझावों की पुष्टि करेगी; और छात्रों को परामर्श तथा आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करेगी। यह परिकल्पना की गई थी कि पंचकुला इनक्यूबेटर के सफल संचालन के बाद, इस पहल को राज्य के अन्य कॉलेजों में भी दोहराया जाएगा।

तदनुसार, निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने जून 2017 में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया और मेसर्स स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर चैंबर ऑफ कॉमर्स (एसएसीसी), मोहाली को तीन वर्ष (जिसे आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था) के लिए निम्नलिखित दरों पर अगस्त 2017 में कार्य आदेश जारी किया:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मूल्य (₹ लाख में)	
1	स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर का निर्माण और साज-सज्जा	63.00	
2	तीन वर्ष के लिए स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर-सह-उत्कृष्टता केंद्र का प्रबंधन और संचालन	वर्ष 1	60.00
		वर्ष 2	70.00
		वर्ष 3	70.00

एजेंसी के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा ने प्रगति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2017)। इस समिति का उद्देश्य निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित करके प्रगति की समीक्षा करना था; इन लक्ष्यों में

जागरूकता शिविरों की संख्या, नए सुझाव प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या, इनक्यूबेशन का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या, सुझावों की पुष्टि और परीक्षण, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की संख्या और स्टार्ट-अप का अंतिम लक्ष्य शामिल थे।

इन निर्देशों को कार्य आदेश का हिस्सा बनाया गया था। पंचकुला में इनक्यूबेटर ने दिसंबर 2017 में परिचालन शुरू किया था। प्रगति की समीक्षा के लिए मई 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से मापने योग्य लक्ष्यों की सिफारिश की, जिसमें पांच श्रेणियों के तहत 45 आपूर्ति योग्य लक्ष्य शामिल थे।

फरवरी 2019 में, समान शर्तों पर चार और इनक्यूबेटर (हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद) स्थापित करने के लिए कार्य आदेश का विस्तार किया गया था। मार्च 2024 तक, विभाग ने इन पांच इनक्यूबेटरों के लिए एजेंसी को ₹ 17.43 करोड़ का भुगतान कर दिया था, जो एजेंसी द्वारा प्रस्तुत और कॉलेज प्रिंसिपलों द्वारा अग्रेषित त्रैमासिक रिपोर्टों पर आधारित था, इसमें परिणामों का सत्यापन और मूल्यांकन नहीं किया गया और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध कभी भी इनका मूल्यांकन नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि कॉलेजों के लिए परियोजना निगरानी इकाइयां (पीएमयू) केवल मार्च 2024 में स्थापित की गई थी, जिन्होंने जुलाई 2024 में इन्क्यूबेटरों का दौरा किया और इनक्यूबेटरों के आरंभ होने के पांच वर्ष बाद 45 मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरूद्ध इन्क्यूबेटरों के निष्पादन का मूल्यांकन किए बिना समान रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एजेंसी ने दावा किया कि पांच केंद्रों के माध्यम से 404 स्टार्ट-अप इनक्यूबेट किए गए थे। हालांकि, मात्र 26 स्टार्ट-अप वास्तव में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग[17] के पास पंजीकृत पाए गए थे। पंचकुला और करनाल में इन्क्यूबेटरों की नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां भी पाई गई थी:

(i). स्टार्ट-अप से संबंधित अभिलेख जैसे कि वित्तीय विवरण, बैंक विवरण, पंजीकृत साझेदारी विलेख आदि इनक्यूबेटरों में नहीं रखे गए थे।

(ii). करनाल में, दो या दो से अधिक छात्रों के बीच साझेदारी करार और व्यवसाय के लिए जगह किराए पर लेने हेतु किराया करार स्वयं फर्म द्वारा ही निष्पादित किए गए थे। इन साझेदारी करारों को पंजीकृत नहीं किया गया था।

(iii). करनाल और पंचकुला में, निवेशकों, सीड फंडिंग, इन स्टार्टअप्स द्वारा सृजित रोजगार आदि के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय विवरण, निवेश, सीड फंडिंग और निष्पादन संकेतक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, स्टार्ट-अप की व्यवहार्यता या स्थिरता पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका, जैसा कि उस एजेंसी द्वारा दावा किया गया था जिसके लिए विभाग द्वारा भुगतान किया गया था।

---

17 डीपीआईआईटी।

इस प्रकार, विभाग ने दिसंबर 2017 से मार्च 2024 के दौरान, निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों और परिकल्पित परिणामों तथा देय लक्ष्यों के विरुद्ध एजेंसी के निष्पादन का समुचित मूल्यांकन किए बिना ₹ 17.43 करोड़ का व्यय किया।

महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा ने सूचित किया (जनवरी 2026) कि चार कॉलेजों अर्थात गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और करनाल की परियोजना निगरानी इकाइयों ने रिपोर्ट दी थी (जुलाई 2024) कि कार्य संतोषजनक था और निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों के अनुरूप था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना निगरानी इकाइयों ने जुलाई 2024 में इनक्यूबेटरों का दौरा किया था (परियोजना शुरू होने के पांच वर्ष बाद और मार्च 2024 में परियोजना पूरी होने के बाद) और उनकी रिपोर्टों में 45 मुख्य निष्पादन संकेतकों के सापेक्ष प्रत्येक इनक्यूबेटर के निष्पादन के मूल्यांकन का कोई उल्लेख नहीं था।

(ii) ई-कर्मा परियोजना का कम परिणाम

बेरोजगार स्नातकों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने फरवरी 2019 में ई-कर्मा परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को इंटरनेट आधारित फ्रीलांसिंग के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। इस परियोजना का उद्देश्य उभरते हुए फ्रीलांसरों को संचार कौशल, फ्रीलांसिंग पोर्टल पर बोली लगाने और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल को बढ़ाना था। इसका अभीष्ट परिणाम यह था कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रशिक्षण के बाद अपनी कमाई शुरू करने में सक्षम होंगे। अगस्त 2019 में प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ अनुमोदन दिया गया था कि कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाए।

परियोजना के तहत पांच कॉलेजों[18] में प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स ऐपवर्क्स आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक करार निष्पादित (नवंबर 2019) किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 3,000 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना था। प्रशिक्षण की लागत प्रति अभ्यर्थी ₹ 48,000 तथा लागू कर तय की गई थी, जिसमें से 50 प्रतिशत का भुगतान चार से छः महीने के प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित आय के अनुसार किया जाना था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, अभ्यर्थियों का प्रमाणन विभाग और संबंधित कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। एजेंसी के लिए मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य था और परियोजना निगरानी इकाई द्वारा जांच और स्वीकृति के बाद ही विभाग द्वारा भुगतान जारी किया जाना था।

[18] (i) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-1, पंचकुला, (ii) पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करनाल, (iii) राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, हिसार, (iv) द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुरुग्राम और (v) पंडित जे.एल.एन. राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर 16, फरीदाबाद।

यह पाया गया था कि परियोजना शुरू होने के चार वर्ष बाद, मार्च 2024 में परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, पूरी परियोजना अवधि के दौरान परियोजना की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। परियोजना निगरानी इकाई की रिपोर्ट (जुलाई 2024) और भुगतान विवरण के अनुसार, कुल 4,649 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित बताया गया था और केवल 212 अभ्यर्थियों ने कमाई शुरू कर दी थी। परियोजना निगरानी इकाई की रिपोर्ट (जुलाई 2024) के आधार पर विभाग ने कुल ₹ 13.68 करोड़ का भुगतान जारी किया।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने पुष्टि की (दिसंबर 2025) कि ₹ 13.68 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था और आगे यह भी बताया कि परियोजना को कोई विस्तार नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, दोनों परियोजनाओं में मुख्य निष्पादन संकेतकों और परिकल्पित परिणामों के आधार पर एजेंसियों के निष्पादन की निगरानी न किए जाने के कारण ₹ 31.11 करोड़ का व्यय करने के बाद भी इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला दिसंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

उच्चतर शिक्षा विभाग
(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)

4.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों के अप्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा, क्योंकि यह केवल ₹ 19.62 करोड़ का ही व्यय कर सका। इसके परिणामस्वरूप, शेष निधियों को राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अन्य संस्थानों को पुनः आवंटित कर दिया गया। इसके कारण न केवल विश्वविद्यालय को भविष्य में मिलने वाले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुदानों से वंचित होना पड़ा, बल्कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं भी अपूर्ण रह गई, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों को उन्नत सुविधाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार ने अक्तूबर 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों को बल देते हुए और उन्हें वित्तपोषण प्रदान करके, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना की गंभीर कमियों को दूर करना था। यह योजना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान प्रदान करती है और इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझा करने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने (मई 2018) योजना के घटक 4 अर्थात् चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के तहत ₹ 100 करोड़ के अनुदान के लिए हरियाणा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का चयन किया था। ₹ 100 करोड़ की इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुल 19 परियोजनाएं शामिल थी, जिसके विरुद्ध मई 2019 में ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त

(जिसमें ₹ 25 करोड़ केंद्रीय हिस्सा, और ₹ 16.67 करोड़ राज्य का हिस्सा शामिल था) जारी की गई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान समीक्षा बैठक (जून 2021) के कार्यवृत्त और उसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (मई 2022) के अनुसार, अगली किस्तें केवल तभी जारी की जानी थी जब पहली किस्त (केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो। हालांकि, पांच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जुलाई 2024 तक केवल ₹ 19.62 करोड़ (47 प्रतिशत) ही उपयोग कर सका ***(परिशिष्ट 4.3)***।

जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई, नमूना-जांच की गई तीन परियोजनाओं के मुख्य निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का अनुपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र (सीआईटीए) की परिकल्पना विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के एक अंतरविषयक अनुसंधान सहयोग केंद्र के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, वैज्ञानिक गणना/सिमुलेशन, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर शोध करना और नए पाठ्यक्रम संचालित करना था। परियोजना को, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) द्वारा ₹ 10.25 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। परियोजना के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों की खरीद (₹ दो करोड़), वाई-फाई अपग्रेडेशन (₹ दो करोड़), एक उच्च-क्षमता गणना प्रयोगशाला की स्थापना (₹ 3.50 करोड़) तथा इंटरैक्टिव क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करना (₹ 1.50 करोड़) शामिल था।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र के लिए ₹ 3.64[19] करोड़ की पहली किस्त मई 2019 में जारी की गई थी। अनुमोदित परियोजना के अनुसार, निष्पादन योजना तैयार करने और निधियों का उपयोग करने के बजाय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परियोजना संचालन समिति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा निधियों का उपयोग ₹ 1.60 करोड़ के 172 कम्प्यूटरों और अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के लिए किया गया। इनमें से, ₹ 46.41 लाख मूल्य के केवल 60 कंप्यूटर ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र को उपलब्ध कराए गए, जबकि ₹ 1.14 करोड़ मूल्य के शेष कंप्यूटर और सहायक उपकरण प्रशासनिक[20] उद्देश्यों के लिए विभिन्न विभागों को हस्तांतरित कर दिए गए। अतः, यह व्यय अनुसंधान सहयोग केंद्र की स्थापना के अनुरूप नहीं था और परियोजना अपूर्ण रह गई।

नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि व्यय, अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं/विभागों के लिए 400 कंप्यूटरों की खरीद का

---

19 ₹ 0.30 करोड़ प्रशिक्षण के लिए तथा ₹ 3.34 करोड़ केंद्र की स्थापना के लिए।

20 विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शाखा, परीक्षा प्रकोष्ठ, लेखा शाखा, महाविद्यालय शाखाएं इत्यादि।

प्रावधान था। पहले चरण में 172 कंप्यूटरों की खरीद की गई। जिनमें से, 112 को विभिन्न शाखाओं/विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा 60 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र के लिए रखा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निधियों का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र की स्थापना के उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, जिसके अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित अनुसंधान करने और नए पाठ्यक्रम चलाने का लक्ष्य रखा गया था; इसके बजाय, इन निधियों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों हेतु कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए किया गया।

(ii) उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर) के लिए उपकरणों की खरीद में विलंब

₹ 13.10 करोड़ की लागत की एक परियोजना के तहत उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर) ***(परिशिष्ट 4.4)*** के लिए 14 शोध उपकरणों की खरीद की परिकल्पना की गई थी। इसके विरुद्ध, मई 2019 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ₹ 3.95 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पहली किस्त के जारी होने के तीन महीने बाद, तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के लिए दस-सदस्यीय तकनीकी समिति (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पांच सदस्य तथा दिल्ली, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के अन्य विश्वविद्यालयों से पांच सदस्य) का गठन अगस्त 2019 में किया गया था। समिति ने छः महीने के अंतराल के बाद विभिन्न उपकरणों की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2020)। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक पांच सदस्यीय परियोजना एक्शन ग्रुप ने खुली निविदाओं के माध्यम से उपकरणों की खरीद करने का निर्णय लिया (मार्च 2020), हालांकि, इसके बावजूद कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

परियोजना एक्शन ग्रुप की बैठक पुनः मार्च 2023 में आयोजित की गई, अर्थात् तीन वर्ष के अंतराल के बाद और बैठक में फरवरी 2020 में निर्धारित विशिष्टताओं के आधार पर रमन स्पेक्ट्रोमीटर (₹ 2.15 करोड़) और एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (₹ 1.80 करोड़) की खरीद के लिए पूर्व स्वीकृत ₹ 3.95 करोड़ का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। अंततः, इसके लिए निविदाएं मई 2024 में आमंत्रित की गई। ₹ 2.29 करोड़ में केवल रमन स्पेक्ट्रोमीटर ही खरीदा जा सका, जिसकी आपूर्ति अगस्त 2024 में हुई और इसे अक्तूबर 2024 में स्थापित किया गया। एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण जनवरी 2025 तक इसकी खरीद नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, विलंब, अनिर्णायकता और कार्य में ढिलाई के कारण निधियों के जारी होने के पांच वर्ष बाद भी केवल एक ही उपकरण खरीदा जा सका, जिसके परिणामस्वरूप छात्र एवं फैकल्टी महत्वपूर्ण अवसंरचना के विस्तार की सुविधाओं से वंचित रह गए।

नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने यह उत्तर दिया कि मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रतिबंधों तथा सितंबर 2021 में एकल नोडल एजेंसी के कार्यान्वयन के कारण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निधियों की निकासी से खरीद प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके अलावा, एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बावजूद कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मई 2019 में निधियों के जारी होने और अगस्त 2019 में समिति के गठन के बावजूद, उपकरणों के विनिर्देशों को छः महीने की देरी से मार्च 2020 में अंतिम रूप दिया गया था, और उसके पश्चात खरीद की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रक्रिया अवरोधन की स्पष्टता भी तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि जून 2020 में प्रतिबंध हटा दिए गए थे, परंतु परियोजना एक्शन ग्रुप की अगले तीन वर्षों तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, परियोजना अपूर्ण रही और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्वीकृत अनुदान के ₹ 10.81 करोड़ प्राप्त नहीं हुए।

(iii) भवन के निर्माण के पूर्ण होने में विलंब

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, पांच अनुसंधान केंद्रों[21] के लिए एक सात-मंजिला केंद्रीय अनुसंधान सुविधा भवन का निर्माण किया जाना था। कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जनवरी 2019 में भवन निर्माण हेतु ₹ 21.35 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था, जिसे अगस्त 2019 में संशोधित कर ₹ 26.55 करोड़ कर दिया गया। इसके विरुद्ध, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 12 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई जानी थी, जिसमें से ₹ पांच करोड़ की पहली किस्त मई 2019 में जारी की गई थी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अगस्त 2019 में उक्त कार्य मेसर्स बी. आर. कोहली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (एल1 बोलीदाता) को ₹ 24.46 करोड़ की अनुबंध लागत पर आवंटित किया था, जिसे 18 महीने के भीतर अर्थात् फरवरी 2021 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। हालांकि, कोविड-19 प्रतिबंधों का संदर्भ देते हुए मार्च 2022 तक, और एकल नोडल एजेंसी प्रणाली लागू होने के बाद निधि की कमी के कारण मार्च 2023 तक बार-बार समय सीमा विस्तारित की गई। अंततः, ठेकेदार के अनुरोध (नवंबर 2023) पर इस समय सीमा को अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ठेकेदार को अगस्त 2024 तक अनुचित समय वृद्धि प्रदान की गई थी, जबकि फरवरी 2024 तक केवल 15 प्रतिशत कार्य ही निष्पादित किया गया था और कोविड-19 की अवधि के लिए पहले ही समय वृद्धि दी जा चुकी थी। यद्यपि फरवरी 2024 में अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जुर्माने की वसूली किए बिना ही जुलाई 2024 में ठेकेदार को ₹ 41.35 लाख का भुगतान कर दिया।

अगस्त 2024 तक, ₹ 3.97 करोड़ के कुल व्यय में से, केवल 16.23 प्रतिशत कार्य का निष्पादन किया गया। अतः ₹ 3.97 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि अपूर्ण भवन का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लंबित निर्णयों एवं कार्य में ढिलाई के कारणवश, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त का उपयोग करने में विफल रहा,

[21] (i) उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर), (ii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र (सीआईटीए), (iii) भूकंप अध्ययन उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआरईएस), (iv) पर्यावरण विज्ञान में अनुप्रयुक्त जीवविज्ञान केंद्र (सीएबीएएस) तथा (v) सरस्वती नदी अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (सीईआरएसआर)।

क्योंकि केवल ₹ 19.62 करोड़ ही व्यय किए जा सके। विश्वविद्यालय ने (जुलाई 2024 में) बताया कि इसका प्राथमिक कारण कोविड-19 की स्थिति और नवंबर 2021 में एकल नोडल एजेंसी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अव्ययित निधि की वापसी थी। यह निधि विश्वविद्यालय को अक्तूबर 2022 में पुनः जारी की गई थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोविड-19 की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य की प्रगति और निधि के उपयोग में निरंतर सुस्ती बनी रही। इसके अतिरिक्त, एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों के जारी होने के 30 महीने बाद नवंबर 2021 में निधि की वापसी की गई थी और अक्तूबर 2022 में इसे पुनः जारी कर दिया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णयों में देरी और कार्य में ढिलाई के कारण राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत परियोजनाएं अपूर्ण रही। परिणामस्वरूप, राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हरियाणा ने ₹ 14.88 करोड़ (मार्च 2024) को अन्य 27 संस्थानों में डाइवर्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के छात्र और संकाय उन उन्नत शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित रह गए, जिनकी परिकल्पना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई थी।

मामला जुलाई 2025 में अपर मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

परिवहन विभाग

4.8 रियायती उपयोगकर्ता फीस का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

हरियाणा राज्य परिवहन के छः डिपो ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए लागू रियायती उपयोगकर्ता फीस की दरों का लाभ नहीं उठाया, जो पंजीकृत जिलों की सीमाओं के भीतर स्थित थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता फीस पर ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 9 (3ए) के प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) है, जो किसी विशेष जिले के पंजीकरण प्रमाण पत्र के पते पर पंजीकृत है और ऐसे वाहन का उपयोग उस जिले के भीतर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन, स्थाई पुल, सुरंग या बाईपास पर आवागमन के लिए करता है, तो उस जिले में स्थित सभी फीस प्लाजा पर निर्धारित दर की 50 प्रतिशत दर से उपयोगकर्ता फीस वसूल की जाएगी।

हरियाणा राज्य परिवहन के छः[22] डिपो के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2023 - जनवरी 2025) से यह स्पष्ट हुआ कि इन डिपो ने नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई उपयोगकर्ता फीस की रियायती दरों का लाभ नहीं उठाया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2018 से नवंबर 2024 की अवधि के दौरान, इन डिपो द्वारा बसों के पंजीकृत जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शनों पर बसें चलाने के लिए उपयोगकर्ता फीस के भुगतान पर ₹ 4.65 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.5)*** का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

[22] (i) झज्जर, (ii) जींद, (iii) हिसार, (iv) रोहतक, (v) सोनीपत तथा (vi) यमुनानगर।

इस मामले को संज्ञान में लाए जाने पर, झज्जर, जींद और यमुनानगर डिपो के महाप्रबंधकों ने बताया (मई एवं अगस्त 2024) कि इस विषय को निदेशालय कार्यालय के साथ-साथ संबंधित टोल प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है। महाप्रबंधक हिसार (अक्तूबर 2025) ने सूचित किया कि बाड़ोपट्टी और चौधरीवास टोल प्लाजा पर अगस्त 2025 से छूट प्रदान कर दी गई थी। शेष टोल प्लाजा के लिए मामला प्रक्रियाधीन है। महाप्रबंधक सोनीपत (सितंबर 2025) ने बताया कि भागां टोल प्लाजा पर जुलाई 2024 से छूट दी गई थी और झरोटी टोल प्लाजा का मामला प्रक्रियाधीन है। महाप्रबंधक रोहतक (सितंबर 2025) ने सूचित किया कि टोल प्राधिकरण द्वारा छूट प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, संबंधित डिपो द्वारा उपयोगकर्ता फीस की रियायती दरों का लाभ लेने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक (दिसंबर 2025) के दौरान, हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया और बताया कि हिसार तथा सोनीपत जिलों के तीन टोल प्लाजा पर रियायती उपयोगकर्ता फीस लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि शेष टोल प्लाजा पर रियायती सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया जाएगा। इसके बाद, निदेशक, राज्य परिवहन ने सूचित किया (फरवरी 2026) कि राज्य में स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 39 टोल प्लाजा में से केवल चार टोल प्लाजा पर ही रियायती उपयोगकर्ता फीस लागू की जा रही थी। आगे यह बताया गया था कि सभी 39 टोल प्लाजा पर रियायती उपयोगकर्ता फीस को समान रूप से लागू करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया था (जनवरी 2026)।

विकास एवं पंचायत विभाग तथा खजाना एवं लेखा विभाग (वित्त विभाग)

4.9 ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन

लेखापरीक्षा में फर्जी स्वीकृति पत्र तथा आधिकारिक लॉगिन सूचना के दुरुपयोग के माध्यम से अनधिकृत बजट आवंटन और निकासी द्वारा ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन पाया गया। कार्य आदेश या सहायक दस्तावेजों के बिना ही भुगतान कर दिए गए, जो कि निदेशालय कार्यालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत), जिला विकास पंचायत अधिकारी, खंड विकास पंचायत अधिकारी और खजाना स्तरों पर नियंत्रण की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

पंजाब वित्तीय नियमावली 1996 (जो हरियाणा पर भी लागू है) के नियम 2.10 (ए) में यह प्रावधान है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने वाले या उसकी स्वीकृति देने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का अनुपालन करना चाहिए। प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक चरण पर कड़ाई से मितव्ययिता बरतते हुए वित्तीय अनुशासन लागू करे। प्रथम दृष्ट्या, व्यय अवसर की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने बजट आवंटन और पुनर्विनियोजन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए फरवरी 2010 से ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली लागू की थी। ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली में दी गई बजट आवंटन प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक विभाग में वित्त विभाग के वरिष्ठतम लेखा कर्मियों को बजट नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाना था। बजट आवंटन के दौरान, प्रणाली ने विभाग के लिए स्वीकृत मुख्य शीर्ष-वार बजट प्रदर्शित किया। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के जिला-वार विवरण वाली एक डेटाशीट को प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए मुख्य शीर्ष-वार राशि भरा जाना अपेक्षित था। इस तंत्र ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर आवंटन के सत्यापन को सक्षम बनाया और यह सुनिश्चित किया कि आगे किया गया आवंटन, विभाग को स्वीकृत कुल बजट से अधिक न हो।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में पलवल खजाना से संबंधित अगस्त 2014 से अक्तूबर 2024 की अवधि के खजाना वाउचरों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर (जिला पलवल) द्वारा ₹ 16.26 करोड़[23] के भुगतान (871 वाउचरों[24] के माध्यम से) किए गए थे। अस्पष्ट एवं बार-बार जारी की गई स्वीकृतियों के आधार पर मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस और श्री दीपक कुमार के नाम पर भुगतान किए गए थे। इन वाउचरों के साथ स्वीकृति आदेशों के अतिरिक्त कोई भी समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए।

इन भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए, एक लेखापरीक्षा पार्टी ने (जनवरी 2025) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर और उप-खजाना, होडल के कार्यालयों का दौरा किया, जहां निम्नलिखित मामले पाए गए:

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय के लिए बजट आवंटन में पिछले वर्षों (2020-21 से 2022-23) और समकक्ष खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालयों (जैसे पलवल, हथीन, होडल, बड़ौली और पृथला) को किए गए आवंटन की तुलना में असामान्य वृद्धि देखी गई। यह तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से "अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता - राज्य वित्त आयोग" शीर्ष के तहत बढ़े हुए बजट आवंटन के कारण थी। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए बजट आवंटन और उससे संबंधित व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

---

23 विस्तृत शीर्ष '2515-51-789-87-51' के अंतर्गत - राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता।

24 अक्तूबर 2024 के लिए 297 वाउचरों के माध्यम से ₹ 6.53 करोड़, सितंबर 2024 के लिए 467 वाउचरों के माध्यम से ₹ 6.28 करोड़ तथा अगस्त 2024 के लिए 107 वाउचरों के माध्यम से ₹ 3.45 करोड़ का भुगतान किया गया।

(₹ करोड़ में)

अवधि		हसनपुर	होडल	हथीन	पृथला	पलवल	बडोली
2020-21	आवंटन	3.42	4.18	6.33	2.75	4.49	0.69
	व्यय	3.36	3.93	6.00	1.98	4.48	0.67
2021-22	आवंटन	8.28	4.29	5.75	2.26	4.28	1.00
	व्यय	8.27	4.27	5.67	2.21	4.23	1.00
2022-23	आवंटन	7.19	10.19	9.53	3.22	4.32	3.41
	व्यय	6.98	9.99	9.11	3.03	4.18	3.28
2023-24	आवंटन	25.62	6.69	10.03	4.07	5.33	4.16
	व्यय	25.61	6.68	9.99	3.86	5.30	4.10
2024-25 (24 जनवरी 2025 तक)	आवंटन	45.68	5.66	8.90	3.97	4.26	3.65
	व्यय	45.54	5.63	8.82	3.80	4.25	3.57

स्रोत: उप-खजाना कार्यालय होडल और संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बजट उपलब्धता रिपोर्ट।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल द्वारा जारी स्वीकृति/बजट आवंटन पत्रों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2023-24 के लिए केवल ₹ 4.83 करोड़ का आवंटन था, तथा 2024-25 (जनवरी 2025 तक) के लिए केवल ₹ 4.29 करोड़ का आवंटन था। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल ने आगे यह बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर से मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस और श्री दीपक कुमार को भुगतान करने के लिए निधियों के आवंटन हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय ने (जनवरी 2025) इसकी भी पुष्टि की कि उन्होंने महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग से कभी भी इस प्रकार के आवंटन की मांग नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, दोनों कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस या श्री दीपक कुमार को मैनपावर उपलब्ध कराने या सामग्री की आपूर्ति के लिए करार के निष्पादन या कार्य आदेश जारी करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले।

(ii) लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि उप-खजाना, होडल द्वारा मैनपावर सर्विस से संबंधित बिलों को मात्र एक एकल स्वीकृति पत्र के आधार पर पारित किया जा रहा था, जिस पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में पृष्ठांकन संख्याएं अंकित थी और उसका उपयोग खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर द्वारा प्रस्तुत कई बिलों के लिए बार-बार किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर ने स्वीकृति पत्र पर अंकित अपने हस्ताक्षरों को नकारा और पुष्टि की कि यह स्वीकृति उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी।

उप-खजाना, होडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2023-25 (जनवरी 2025 तक) के दौरान दीपक कुमार (यूसीपी संख्या 2D6DMP) के नाम पर ₹ 7.79 करोड़ और मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज (यूसीपी संख्या 3A6DN8) के नाम पर ₹ 49.67 करोड़ सहित कुल ₹ 57.46 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह भुगतान आकस्मिक बिलों/वेतन बिलों के रूप में संसाधित किए गए थे और उनमें व्यय का कोई उद्देश्य दर्ज नहीं किया गया था। भुगतानों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	2023-24	2024-25	कुल
दीपक कुमार (यूसीपी नंबर 2D6DMP)	2.60[25]	5.19[26]	7.79
दीपक मैन पावर सर्विसेज (यूसीपी नंबर 3A6DN8)	14.08[27]	35.59[28]	49.67
कुल	**16.68**	**40.78**	**57.46**

स्रोत: उप-खजाना कार्यालय होडल के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भुगतान विवरण रिपोर्ट।

इस प्रकार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय से ₹ 57.46 करोड़ की राशि की बिना किसी उचित स्वीकृति या आधिकारिक अनुमति के, उप-खजाना, होडल के माध्यम से निकासी की गई तथा दीपक कुमार एवं मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज के बैंक खातों में अंतरित की गई। इन निकासियों के परिणामस्वरूप, व्यय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर की उचित बजटीय आवश्यकताओं से कहीं अधिक हो गया और यह भुगतान, उपर्युक्त आदाताओं से कोई भी सेवा प्राप्त किए बिना या सामग्री खरीदे बिना किया गया था।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल ने यह बताया (जनवरी 2025) कि जांच के लिए मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा को संदर्भित कर दिया गया था और संबंधित बैंकों से दीपक कुमार एवं मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज के बैंक खातों को सील करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक, विकास एवं पंचायत द्वारा अपेक्षित स्वीकृति के बिना महानिदेशक कार्यालय की लेखा शाखा से निधियों के अनधिकृत आवंटन के लिए प्राथमिकी दर्ज (जनवरी 2025) कराई गई थी, जिसमें कथित तौर पर अवैध निधि अंतरण की सुविधा के लिए आधिकारिक कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग की बात कही गई है। तत्पश्चात, इन धोखाधड़ी से आवंटित निधियों को विशिष्ट निजी संस्थाओं, जैसे कि मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज, दीपक कुमार और अन्य आदाताओं को अंतरित करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय से फर्जी बिल सृजित किए गए थे।

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति के बिना बजट नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निधि आवंटित किए जाने के तरीके के बारे में पूछताछ किए जाने पर, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ने अवगत कराया (अक्तूबर 2025) कि बजट नियंत्रण प्राधिकारी ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई भी बजट जारी नहीं किया था।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य सरकार ने केवल फरवरी 2025 से ही ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कोड को उनके मोबाइल नंबरों के साथ मैप करके वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से टू फैक्टर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की है। तदनुसार, बजट नियंत्रण प्राधिकारी/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट का आवंटन उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही किया

[25] ₹ 2.42 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 0.18 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[26] ₹ 1.53 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 3.66 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[27] ₹ 0.26 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 13.82 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[28] ₹ 4.15 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 31.44 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

जा सकता है और आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही खजाना को बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर जांच और निगरानी की विफलता के कारण ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन हुआ। यह विफलता मुख्य रूप से कई स्तरों पर रही, अर्थात् निदेशालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत) की लेखा शाखा के स्तर पर, जहां कथित तौर पर आधिकारिक कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग के माध्यम से निधियों का अनधिकृत आवंटन किया गया; जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के स्तर पर, जहां से इन निधियों की वैधता का सत्यापन किए बिना उन्हें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर को अंतरित कर दिया गया; और खजाना के स्तर पर, जहां उचित स्वीकृति, सहायक दस्तावेजों या आदाताओं के इन्वॉइस के बिना ही भुगतानों को संसाधित कर दिया गया।

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 23 जुलाई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 11 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विभागों और स्वायत्त निकायों के विवरण

क्र.सं.	विभाग	क्र.सं.	स्वायत्त निकाय
1	स्कूल शिक्षा विभाग	1	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला
2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
3	उच्च शिक्षा विभाग	3	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकुला
4	महिला एवं बाल विकास	4	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, हरियाणा
5	खेल एवं युवा विभाग	5	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, पंचकुला
6	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	6	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
7	अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	7	हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण
8	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	8	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला
9	सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	9	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला
10	श्रम विभाग	10	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम
11	पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग	11	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद
12	वित्त विभाग	12	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
13	आबकारी एवं कराधान विभाग	13	हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
14	परिवहन विभाग	14	हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला
15	नागरिक उड्डयन	15	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
16	ग्रामीण विकास विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग	16	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
17	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	17	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग	18	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
19	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)	19	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
20	सहकारिता विभाग	20	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
21	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा बागवानी विभाग	21	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
22	पशुपालन और डेयरी विभाग	22	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
23	मत्स्य पालन विभाग	23	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
24	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	24	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
25	शहरी स्थानीय निकाय	25	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
26	नगर एवं ग्राम आयोजना	26	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
27	ऊर्जा विभाग	27	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
28	खनन और भूविज्ञान विभाग	28	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र
29	उद्योग एवं वाणिज्य	29	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
30	सभी के लिए आवास	30	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह
31	सामान्य प्रशासन	31	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
32	वित्तीय आयुक्त राजस्व	32	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत
33	जनसंपर्क और भाषा	33	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
34	गृह	34	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
35	नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.)	35	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
36	पर्यटन और विरासत	36	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
37	अभिलेखागार	37	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुना नगर
38	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	38	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
39	चुनाव आयोग	39	हरियाणा मानव अधिकार आयोग, चंडीगढ़
40	सतर्कता विभाग	40	एचपीपीए (हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण)
41	राज्यपाल	41	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
42	विधान सभा		
43	मुख्य निर्वाचन अधिकारी		
44	हरियाणा लोक सेवा आयोग		
45	हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग		
46	मुख्य सूचना आयोग		
47	सेवा का अधिकार अधिनियम		
48	लोकायुक्त		

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 4)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	388	2,037.16
2.	वसूली योग्य राशि	2,766	1,02,965.15
3.	नियमों का पालन न करना	5,299	33,474.79
4.	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,188	13,954.38
5.	निष्फल/बेकार व्यय	992	3,046.98
6.	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	2,238	7,941.96
7.	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,319	11,771.59
8.	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,468	1,146.74
9.	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	2,911	27,901.02
10.	विविध	6,082	44,140.54
	कुल	**26,651**	**2,48,380.31**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 5)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2025 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
4.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.1	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
			3.2	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
		2018-19	3.14.3.3	3,189.00
			3.14.3.4	713.00
			3.14.3.8	1,314.00
			3.14.3.11	96.00
			3.14.4.3	1,122.00
			3.14.4.5	72.00
			3.15	561.00
		2019-20	2.4	295.00
			2.5	161.00
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
6.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
7.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
		2019-20	2.6	154.00

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
8.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.6	10,182.00
9.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	3.6	125.00
11.	स्कूल शिक्षा	2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
12.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
13.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
14.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
15.	आवास	2018-19	3.9	41.00
16.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
17.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
			2.1.8.2	965.00
			2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.5 (ii)	14.89
			2.1.8.6	78.91
			2.1.8.7	474.00
			2.1.8.8	85.86
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
	कुल			**1,96,117.19**

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 5)

31 मार्च 2025 तक लोक लेखा समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर अंतिम कार्रवाई के लिए लंबित सिफारिशों की संख्या

क्र. सं.	लोक लेखा समिति		
	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का वर्ष	लंबित सिफारिशें
1.	16वीं	1979-80	1
2.	22वीं	1984-85	1
3.	23वीं	1985-86	1
4.	26वीं	1987-88	1
5.	32वीं	1990-91	1
6.	34वीं	1991-92	5
7.	36वीं	1992-93	3
8.	38वीं	1993-94	2
9.	40वीं	1994-95	3
10.	42वीं	1995-96	1
11.	44वीं	1996-97	6
12.	46वीं	1997-98	3
13.	50वीं	2000-01	15
14.	52वीं	2001-02	5
15.	54वीं	2002-03	7
16.	56वीं	2003-04	11
17.	58वीं	2005-06	13
18.	60वीं	2006-07	16
19.	61वीं	2007-08	4
20.	62वीं	2007-08	8
21.	63वीं	2008-09	11
22.	64वीं	2009-10	7
23.	65वीं	2010-11	12
24.	67वीं	2011-12	4
25.	68वीं	2012-13	11
26.	70वीं	2013-14	14
27.	71वीं	2014-15	2
28.	72वीं	2015-16	16
29.	73वीं	2016-17	37
30.	74वीं	2016-17	35
31.	75वीं	2017-18	32
32.	77वीं	2017-18	22
33.	79वीं	2018-19	32
34.	80वीं	2019-20	21
35.	81वीं	2020-21	35
36.	82वीं	2021-22	63
37.	83वीं	2022-23	23
38.	88वीं	2023-24	31
39.	89वीं	2023-24	89
40.	91वीं	2024-25	45
		कुल	**649**

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 5)

31 मार्च 2025 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की विभाग-वार लंबित सिफारिशें

क्र.सं.	विभाग का नाम	लंबित सिफारिशें
1.	न्याय प्रशासन	1
2.	कृषि एवं किसान कल्याण	30
3.	पशुपालन	3
4.	पुरातत्व एवं संग्रहालय	1
5.	वास्तुकला	1
6.	नागरिक उड्डयन	1
7.	सिविल सचिवालय, सामान्य प्रशासन	3
8.	आयुक्त,हिसार	7
9.	सहकारी	12
10.	विकास एवं पंचायतें	9
11.	जिला गुरूग्राम	8
12.	एचएसएसपीपी, प्राथमिक, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित शिक्षा	32
13.	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	23
14.	वाणिज्यिक कर, निषेध और उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क और कराधान	1
15.	लॉटरी, न्याय, वित्त, खजाना और लेखा सहित वित्त	19
16.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	28
17.	वन एवं वन्य जीवन	9
18.	सामान्य	13
19.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन, परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य	43
20.	गृह	11
21.	आवास	2
22.	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	8
23.	एमएसएमई, आपूर्ति एवं निपटान सहित उद्योग और वाणिज्य	10
24.	सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मामले	2
25.	सिंचाई	23
26.	श्रम एवं रोजगार	12
27.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	6
28.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	15
29.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2
30.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	3
31.	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	47
32.	नवीकरणीय ऊर्जा	2
33.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	22
34.	ग्रामीण विकास	19
35.	समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	33
36.	खेल एवं युवा मामले	6
37.	तकनीकी शिक्षा	4
38.	नगर एवं ग्राम आयोजना	94
39.	परिवहन	31
40.	शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास, उपनिवेशीकरण, स्थानीय स्वशासन	27
41.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	24
42.	महिला एवं बाल विकास	2
	कुल	**649**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 11)

ग्राम पंचायत द्वारा श्रम बजट की तैयारी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	चयनित ग्राम पंचायत	2019-20			2020-21		
		श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉकों द्वारा प्रस्तावित कार्य	श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य
1	धनो खेड़ी	-	-	6	02 अक्तूबर 2019	12	16
2	बियाना	10 अप्रैल 2019	9	0	17 अप्रैल 2020	20	19
3	खानपुर	22 मई 2019	4	11	02 अक्तूबर 2019	15	15
4	मुसेपुर	19 जून 2019	5	14	02 अक्तूबर 2019	10	10
5	सालवन	19 नवंबर 2018	25	24	26 नवंबर 2019	34	51
6	अरडाना	29 नवंबर 2018	22	17	25 नवंबर 2019	14	10
7	पढाना	26 नवंबर 2018	16	16	25 नवंबर 2019	7	10
8	कोलखेड़ा	21 नवंबर 2018	16	9	18 नवंबर 2019	10	8
9	तांई	13 अप्रैल 2019	34	34	02 अप्रैल 2020	42	118
10	दिहाना	20 अप्रैल 2019	18	17	09 अप्रैल 2020	12	24
11	बरोजी	05 फरवरी 2019	14	14	14 फरवरी 2020	5	14
12	बझेड़ा	08 फरवरी 2019	9	9	12 फरवरी 2020	8	7
13	सकरास	-	-	27	20 फरवरी 2020[1]	17	48
14	हसनपुर बिलोंडा	-	-	11	26 मई 2020[1]	15	21
15	बसई मेव	-	-	14	26 मई 2020[1]	5	20
16	लुहिंगा खुर्द	-	-	17	08 जून 2020[1]	15	21
17	काठगढ़	-	-	39	26 नवंबर 2019	4	52
18	भवानीपुर	-	-	19	-	-	12
19	सुल्तानपुर	-	-	17	-	-	11
20	मंगलोर	-	-	19	22 अगस्त 2019	4	15
21	लापरा	-	-	35	-	-	327
22	कैल	-	-	4	-	-	-
23	भोजपुर	-	-	5	-	-	34
24	रामपुर माजरा	-	-	5	-	-	43
25	भानी बादशाहपुर	23 दिसंबर 2018	24	19	26 दिसंबर 2019	28	23

[1] श्रम बजट का प्रस्ताव पहली बार प्रस्तुत करने की तिथि।

क्र. सं.	चयनित ग्राम पंचायत	2019-20			2020-21		
		श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉकों द्वारा प्रस्तावित कार्य	श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य
26	जेवरा	21 दिसंबर 2018	24	21	22 दिसंबर 2019	20	16
27	कुंभा खेड़ा	18 दिसंबर 2018	28	23	20 दिसंबर 2019	47	40
28	बधावड़	22 दिसंबर 2018	29	23	21 दिसंबर 2019	46	38
29	खेड़ी लोचब	30 अप्रैल 2018	17	17	21 नवंबर 2019	27	27
30	काप्रो	-	-	39	19 नवंबर 2019	25	25
31	मोथ रांगड़ान	02 नवंबर 2018	19	19	20 नवंबर 2019	38	38
32	राखी शाहपुर	12 नवंबर 2018	18	18	20 दिसंबर 2019	15	15
33	निहालवास	04 नवंबर 2018	24	24	15 नवंबर 2019	42	42
34	कोठल खुर्द	04 नवंबर 2018	23	23	15 नवंबर 2019	63	63
35	खुडाना	04 नवंबर 2018	10	10	15 नवंबर 2019	5	5
36	छाजियावास	04 नवंबर 2018	3	3	15 नवंबर 2019	5	5
37	धनौंदा	05 अक्तूबर 2018	2	1	02 अक्तूबर 2019	1	1
38	गहेरा	05 अक्तूबर 2018	2	1	02 अक्तूबर 2019	34	27
39	खरकड़ा बास	05 अक्तूबर 2018	15	6	-	-	-
40	पोटा	05 अक्तूबर 2018	15	7	02 अक्तूबर 2019	13	12
कुल			**425**	**637**		**658**	**1,283**
शून्य प्रस्ताव की तुलना में ब्लॉक द्वारा शामिल किए गए कार्यों की संख्या				**257**			**427**
प्रस्तावित कार्यों की तुलना में ब्लॉक द्वारा शामिल किए गए कार्यों की संख्या				**380**			**856**

क्र. सं.	चयनित ग्राम पंचायत	2021-22			2022-23			2023-24		
		श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य	श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य	श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य
1	धनो खेड़ी	02 अक्तूबर 2020	13	13	20 नवंबर 2021	31	30	14 दिसंबर 2022	19	24
2	बियाना	02 अक्तूबर 2020	15	15	02 अक्तूबर 2021	25	1	01 फरवरी 2023	5	6
3	खानपुर	02 अक्तूबर 2020	16	16	23 नवंबर 2021	7	7	14 दिसंबर 2022	9	15
4	मुसेपुर	19 नवंबर 2020	12	6	02 अक्तूबर 2021	7	5	-	-	5
5	सालवन	29 नवंबर 2020	30	19	30 सितंबर 2021	32	19	05 जनवरी 2023	27	43
6	अरडाना	06 नवंबर 2020	13	7	-	-	20	25 दिसंबर 2022	24	21
7	पढाना	13 दिसंबर 2020	22	14	01 अप्रैल 2022	9	10	30 दिसंबर 2022	16	15
8	कोलखेड़ा	13 नवंबर 2020	7	5	-	-	10	28 दिसंबर 2022	13	11
9	तांई	07 अप्रैल 2021	29	57	09 अप्रैल 2022	14	51	30 अप्रैल 2023	14	35
10	दिहाना	27 अप्रैल 2021	12	34	02 अप्रैल 2022	3	2	29 दिसंबर 2023	18	42
11	बरोजी	16 फरवरी 2021	5	18	09 नवंबर 2021	9	15	27 जुलाई 2023	9	10

क्र. सं.	चयनित ग्राम पंचायत	2021-22 श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	2021-22 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	2021-22 ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य	2022-23 श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	2022-23 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	2022-23 ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य	2023-24 श्रम बजट प्रस्तावों की तिथि	2023-24 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या	2023-24 ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित कार्य
12	बझेड़ा	08 फरवरी 2021	12	21	-	-	5	17 मई 2023	4	6
13	सकरास	25 मई 2021	16	104	23 जनवरी 2022	6	6	-	-	21
14	हसनपुर बिलौंडा	-	-	21	-	-	3	-	-	6
15	बसई मेव	01 मई 2021	6	30	-	-	3	-	-	11
16	लुहिंगा खुर्द	-	-	14	-	-	45	29 मई 2023	4	27
17	काठगढ़	-	-	2	-	-	5	-	-	23
18	भवानीपुर	-	-	3	-	-	-	-	-	23
19	सुल्तानपुर	-	-	5	-	-	-	-	-	13
20	मंगलोर	-	-	1	-	-	3	-	-	17
21	लापरा	-	-	11	-	-	-	-	-	25
22	कैल	-	-	1	-	-	-	-	-	36
23	भोजपुर	-	-	4	-	-	-	-	-	65
24	रामपुर माजरा	-	-	1	-	-	-	-	-	34
25	भानी बादशाहपुर	28 दिसंबर 2020	13	10	30 दिसंबर 2021	13	10	27 दिसंबर 2022	31	25
26	जेवरा	23 दिसंबर 2020	24	18	22 दिसंबर 2021	17	12	21 दिसंबर 2022	29	22
27	कुंभा खेड़ा	28 दिसंबर 2020	19	14	28 दिसंबर 2021	11	7	26 दिसंबर 2022	19	14
28	बधावड़	21 दिसंबर 2020	26	21	27 दिसंबर 2021	18	15	23 दिसंबर 2022	41	36
29	खेड़ी लोचब	02 दिसंबर 2020	14	14	06 जनवरी 2022	22	22	02 अक्तूबर 2022	23	23
30	काप्रो	16 नवंबर 2020	20	20	09 जनवरी 2022	22	22	02 अक्तूबर 2022	23	23
31	मोथ रांगड़ान	27 अक्तूबर 2020	21	21	12 दिसंबर 2021	22	22	02 अक्तूबर 2022	25	25
32	राखी शाहपुर	02 दिसंबर 2020	20	20	02 अक्तूबर 2021	23	23	02 अक्तूबर 2022	24	24
33	निहालवास	08 नवंबर 2020	121	121	06 नवंबर 2021	75	75	25 नवंबर 2022	7	7
34	कोठल खुर्द	16 नवंबर 2020	21	21	06 नवंबर 2021	12	12	25 नवंबर 2022	2	2
35	खुडाना	30 नवंबर 2020	1	1	06 नवंबर 2021	6	6	25 नवंबर 2022	2	2
36	छाजियावास	30 नवंबर 2020	1	1	06 नवंबर 2021	1	1	25 नवंबर 2022	2	2
37	धनौंदा	03 अक्तूबर 2020	2	1	04 नवंबर 2021	5	2	10 अक्तूबर 2022	5	5
38	गहेरा	03 अक्तूबर 2020	10	8	04 नवंबर 2021	7	7	10 अक्तूबर 2022	6	3
39	खरकड़ा बास	03 अक्तूबर 2020	3	1	-	-	-	10 अक्तूबर 2022	4	4
40	पोटा	03 अक्तूबर 2020	2	1	-	-	-	10 अक्तूबर 2022	5	3
			526	**715**		**397**	**476**		**410**	**754**
शून्य प्रस्ताव की तुलना में ब्लॉक द्वारा शामिल किए गए कार्यों की संख्या				**63**			**94**			**279**
प्रस्तावित कार्यों की तुलना में ब्लॉक द्वारा शामिल किए गए कार्यों की संख्या				**652**			**382**			**475**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.11; पृष्ठ 13)

2019-24 की अवधि के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	चयनित ग्राम पंचायत का नाम	आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवस	आयोजित किए गए रोजगार दिवसों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	धनो खेड़ी	60	25	35	58
2	बियाना	60	27	33	55
3	खानपुर	60	21	39	65
4	मुसेपुर	60	23	37	62
5	अरडाना	60	16	44	73
6	कोलखेड़ा	60	12	48	80
7	पढाना	60	16	44	73
8	सालवन	60	20	40	67
9	काठगढ़	60	22	38	63
10	भवानीपुर	60	12	48	80
11	सुल्तानपुर	60	18	42	70
12	मंगलोर	60	18	42	70
13	भोजपुर	60	49	11	**18**
14	कैल	60	47	13	22
15	लापरा	60	45	15	25
16	रामपुर माजरा	60	48	12	20
17	बझेड़ा	60	20	40	67
18	बरोजी	60	20	40	67
19	दिहाना	60	22	38	63
20	तांई	60	21	39	65
21	बसई मेव	60[2]	19	29	60
22	हसनपुर बिलोंडा	60[2]	14	46	77
23	लुहिंगा खुर्द	60[2]	16	44	73
24	सकरास	60[2]	15	45	75
25	भानी बादशाहपुर	60	17	43	72
26	जेवरा	60[3]	18	42	70
27	कुंभा खेड़ा	60	25	35	58
28	बधावड़	60[3]	10	50	**83**
29	खेड़ी लोचब	60	17	43	72
30	काप्रो	60[3]	18	42	70
31	मोथ रांगड़ान	60	21	39	65
32	राखी शाहपुर	60[3]	10	50	83
33	निहालवास	60	17	43	72
34	छाजियावास	60[3]	18	42	70
35	कोठल खुर्द	60	25	35	58
36	खुडाना	60[3]	10	50	**83**
37	धनौंदा	60	17	43	72
38	पोटा	60[3]	18	42	70
39	खरकड़ा बास	60	19	41	68
40	गहेरा	60[3]	10	50	**83**
	कुल	**2,400**	**836**	**1,564**	**65**

2 2022-23 में कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया था।

3 2020-21 में कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया था।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.12.1; पृष्ठ 15)

वर्ष 2019-24 के दौरान केंद्रीय हिस्से और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले संगत हिस्से को जारी करने की वास्तविक तिथि का विवरण

(राशि लाख में)

वर्ष	केंद्रीय (75 प्रतिशत)		राज्य (25 प्रतिशत)		कुल (100 प्रतिशत)	निर्देशों के अनुसार हिस्से को अंतरित करने के लिए निर्दिष्ट तिथियां	राज्य नोडल खाता (एसएनए) में वास्तविक जमा करने की तिथि	दिनों में विलंब
	हिस्सा	जारी करने की तिथि	हिस्सा	जारी करने की तिथि				
	2019-21 के लिए हिस्से को अंतरित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि 03 दिन							
2019-20	824.95	09 अप्रैल 2019	274.98	16 मई 2019	1,099.93	12 अप्रैल 2019	10 जून 2019	58
	935.02	08 जुलाई 2019	311.67	02 अगस्त 2019	1,246.69	11 जुलाई 2019	13 सितंबर 2019	63
	3,733.87	05 अगस्त 2019	1,082.28	30 अगस्त 2019	4,816.15	08 अगस्त 2019	13 सितंबर 2019	35
	1,215.88	25 अक्तूबर 2019	405.29	23 दिसंबर 2019	1,621.17	28 अक्तूबर 2019	24 जनवरी 2020	87
	302.90	05 फरवरी 2020	100.97	09 मार्च 2020	403.87[4]	08 फरवरी 2020	03 जून 2020[5]	115
	191.04	11 फरवरी 2020	63.68		254.72[4]	14 फरवरी 2020	03 जून 2020[5]	109
	2,350.87	23 मार्च 2020	783.62	31 मार्च 2020	2,444.25[4]	26 मार्च 2020	03 जून 2020[5]	68
					690.24[4]		05 अगस्त 2020[5]	131
कुल	**9,554.53**		**3,022.49**		**12,577.02**			
2020-21	3,102.84	07 अप्रैल 2020	1,034.28	20 अप्रैल 2020	4,137.12[4]	10 अप्रैल 2020	05 अगस्त 2020[5]	116
	4,462.72	11 नवंबर 2020	1,487.57	04 दिसंबर 2020	5,950.29	14 नवंबर 2020	23 दिसंबर 2020	38
	4,350.69	01 फरवरी 2021	1,450.23	17 फरवरी 2021	5,800.92	04 फरवरी 2021	25 फरवरी 2021	20
	4,350.69	10 मार्च 2021	1,450.23	26 मार्च 2021	5,800.92	13 मार्च 2021	31 मार्च 2021	18
कुल	**16,266.94**		**5,422.31**		**21,689.25**			

[4] ₹ 403.87 लाख + ₹ 254.72 लाख + ₹ 2,444.25 लाख + ₹ 690.24 लाख + ₹ 4,137.12 लाख = ₹ 7,930.20 लाख

[5] ₹ 3,102.84 लाख (3 जून 2020 को प्राप्त + ₹ 4,827.36 लाख (5 अगस्त 2020 को प्राप्त) = ₹ 7,930.20 लाख

वर्ष	केंद्रीय (75 प्रतिशत)		राज्य (25 प्रतिशत)		कुल (100 प्रतिशत)	निर्देशों के अनुसार हिस्से को अंतरित करने के लिए निर्दिष्ट तिथियां	राज्य नोडल खाता (एसएनए) में वास्तविक जमा करने की तिथि	दिनों में विलंब
	हिस्सा	जारी करने की तिथि	हिस्सा	जारी करने की तिथि				
	2021-24 के लिए हिस्से को अंतरित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि 15 दिन							
2021-22	8,527.14	21 मई 2021	2,842.38	03 जून 2021	11,369.52	06 जून 2021	22 जून 2021	1
	9,767.72	29 जून 2021	3,255.91	26 जुलाई 2021	13,023.63	14 जुलाई 2021	05 अगस्त 2021	6
	4,810.80	31 मार्च 2022	1,603.60	02 मई 2022	6,414.40	15 अप्रैल 2022	27 मई 2022	27
कुल	**23,105.66**		**7,701.89**		**30,807.55**			
2022-23	4,944.49	30 नवंबर 2022	1,648.16	13 दिसंबर 2022	6,592.65	14 दिसंबर 2022	30 दिसंबर 2022	16
	1,818.88	31 जनवरी 2023	606.29	08 फरवरी 2023	2,425.17	14 फरवरी 2023	22 फरवरी 2023	8
कुल	**6,763.37**		**2,254.45**		**9,017.82**			
2023-24	6,971.94	08 जून 2023	2,323.98	19 जून 2023	9,295.92	23 जून 2023	07 जुलाई 2023	14
	4,462.50	08 जनवरी 2024	1,487.50	29 जनवरी 2024	5,950.00	23 जनवरी 2024	06 फरवरी 2024	14
कुल	**11,434.44**		**3,811.48**		**15,245.92**	**औसत विलम्ब 50 दिन (944/19)**		**944**
कुल योग	**67,124.94**		**22,212.62**		**91,781.81**			

स्रोत: निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.14.1; पृष्ठ 17)

दोनों कार्डों पर एक साथ कार्य करने वाले डबल जॉब कार्ड धारक का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	एक ही परिवार में जॉब कार्ड संख्या और उन्हें जारी करने की तिथि	वर्ष-वार कार्य और वर्ष के दौरान कार्य दिवस	कार्य के मस्टर रोल की संख्या	दोनों जॉब कार्डों (जे.सी.) पर एक साथ किए गए कार्य दिवस	जमा वेतन (जॉब कार्ड-1) (₹)	दूसरे जॉब कार्ड (जे.सी.-2) पर भुगतान की गई मजदूरी
1	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009016001/ 16049/ 01 नवंबर 2018	2020-21-85 दिन	160, 287, 288, 651, 652, 1366	80 दिन	26,265	24,720
		जेसी-2/एचआर-19-009-016001/ 233/05 नवंबर 2020	2020-21-80 दिन	918, 1160, 1161, 1436, 1550			
2	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009-016-001/ 118/05 नवंबर 2020	2020-21-67 दिन	915, 1264, 1265, 1550, 1640	63 दिन	20,703	19,467
		जेसी-2/एचआर-19-009-016-001/ 161/05 नवंबर 2020	2020-21-63 दिन	1158, 1324, 1325, 1570			
3	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009-016-001/ 16104/01 सितंबर 2019	2020-21-32 दिन	1366, 1367	32 दिन	9,888	26,265
		जेसी-2/एचआर-19-009-016-001/ 160359/1 फरवरी 2020	2020-21-85 दिन	160, 287, 288, 651, 652, 1366			
4	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009-016-001/ 16029/01 नवंबर 2018	2020-21-85 दिन	160, 287, 288, 651, 652, 1366	80 दिन	26,265	24,720
		जेसी-2/एचआर-19-009-016-001/ 305/20 अक्तूबर 2020	2020-21-80 दिन	919, 1163, 1164, 1464, 1465			
5	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009-016-001/ 16050/01 नवंबर 2018	2020-21-85 दिन	160, 287, 288, 651, 652, 1366	80 दिन	26,265	24,720
		जेसी-2/एचआर-19-009-016-001/ 232/05 नवंबर 2020	2020-21-80 दिन	918, 1160, 1161, 1436, 1550			
6	बसई मेव	जेसी-1/एचआर-19-009-016-001/ 103/05 नवंबर 2020	2020-21-63 दिन	1158, 1324, 1325, 1570	63 दिन	19,467	24,411
		जेसी-2/एचआर-19-009-016-001/ 157/05 नवंबर 2020	2020-21-79 दिन	917, 1158, 1324, 1325, 1570			
7	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-002/ 128003/10 जून 2020	2020-21-16 दिन	979	16 दिन	4,944	9,888
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-002/ 128037/9 दिसंबर 2020	2020-21-32 दिन	1184, 1185, 1433			
8	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-008/ 19012/01 जुलाई 2018	2020-21-46 दिन	8, 49, 912	46 दिन	14,214	24,720
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-008/ 127901/10 जून 2020	2020-21-80 दिन	192, 193, 841, 1026, 1357			
9	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-008/ 19068/01 जुलाई 2018	2020-21-**30** दिन	8,49	15 दिन	9,270	4,635
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-008/ 120557/1 फरवरी 2019	2020-21-15 दिन	7			
10	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-008/ 120534/01 फरवरी 2019	2020-21-30 दिन	7, 149	30 दिन	9,270	14,832
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-008/ 323/10 अक्तूबर 2020	2020-21-48 दिन	913, 1138, 1357			

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	एक ही परिवार में जॉब कार्ड संख्या और उन्हें जारी करने की तिथि	वर्ष-वार कार्य और वर्ष के दौरान कार्य दिवस	कार्य के मस्टर रोल की संख्या	दोनों जॉब कार्डों (जे.सी.) पर एक साथ किए गए कार्य दिवस	जमा वेतन (जॉब कार्ड-1) (₹)	दूसरे जॉब कार्ड (जे.सी.-2) पर भुगतान की गई मजदूरी
11	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-008/ 105281/01 अप्रैल 2017	19-20-43 दिन एवं 20-21-92 दिन	17, 310, 311 16, 151, 924, 925, 1216, 1357	29 दिन (2019-20)	(2019-20- 43 दिन) 12,212	2019-20 (तीसरी 29 दिन) 8,236
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-008/ 20022/01 नवंबर 2018	19-20-88 दिन	38, 39, 69, 91, 271	80 दिन (2020-21)	(2020-21 - 92 दिन) 28,428	2019-20 (दूसरी 88 दिन) 24,992
		जेसी-3/एचआर-19-009-020-008/ 127768/1 जनवरी 2020	19-20-29 दिन एवं 20-21-80 दिन	310, 311 18, 19, 755, 924, 925			2020-21 (80 दिन) 24,720
12	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-008/ 19015/01 जुलाई 2018	2020-21-46 दिन	8, 49, 912	46 दिन	14,214	24,720
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-008/ 127887/10 जून 2020	2020-21-80 दिन	192, 193, 598, 1358, 1359			
13	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-002/ 127971/10 जून 2020	2020-21-16 दिन	979	16 दिन	4,944	9,888
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-002/ 128027/9 दिसंबर 2020	2020-21-32 दिन	1184, 1185, 1433			
14	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-002/ 128030/9 दिसंबर 2020	2020-21-16 दिन	1433	16 दिन	4,944	9,888
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-002/ 128031/9 दिसंबर 2020	2020-21-32 दिन	1184, 1185, 1433			
15	सकरास	जेसी-1/एचआर-19-009-020-002/ 127989/10 जून 2020	2020-21-16 दिन	979	16 दिन	4,944	9,888
		जेसी-2/एचआर-19-009-020-002/128034/9 दिसंबर 2020	2020-21-32 दिन	1184, 1185, 1433			
16	हसनपुर बिलोंडा	जेसी-1/एचआर-19-009-009-014/003/ 122951/1 फरवरी 2020	2020-21-80 दिन	216, 217, 671, 672, 1036	32 दिन	24,720	9,888
		जेसी-2/एचआर-19-009-009014/003/ 123023/10 जून 2020	2020-21-**32** दिन	671 एवं 938			
17	लुहिंगा खुर्द	जेसी-1/एचआर-19-009-028-001/160493/ 10 जुलाई 2020	2020-21-48 दिन	317, 687, 1090	48 दिन	14,832	14,832
		जेसी-2/एचआर-19-009-028-001/ 160587/10 जुलाई 2020	2020-21-48 दिन	317, 687, 1090			
18	लुहिंगा खुर्द	जेसी-1/एचआर-19-009-028-002/ 160369/10 जून 2020	2020-21-100 दिन	188, 189, 381, 382, 632, 633, 797	52 दिन	30,900	16,068
		जेसी-2/एचआर-19-009-028-001/ 128734/10 जुलाई 2020	2020-21-52 दिन	317, 687, 1090, 1634			
		कुल				**3,06,689**	**3,51,498**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.15; पृष्ठ 20)

वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए चयनित जिलों में अनुमानित मानव दिवसों और सृजित मानव दिवसों का विवरण

नमूना-जांच किए गए जिले का नाम	जिले द्वारा श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों की संख्या	सृजित मानव दिवसों की संख्या	अनुमानित मानव दिवसों की तुलना में मानव दिवसों में कमी	श्रम बजट के अनुमान की तुलना में मानव दिवसों के कम सृजन की प्रतिशतता
1	2	3	4(2-3)	5(4/2*100)
करनाल	53,54,274	49,79,068	3,75,206	07
मेवात	1,13,25,515	92,17,759	21,07,756	19
यमुना नगर	16,61,090	14,55,974	2,05,116	12
हिसार	79,00,641	80,54,190	(-) 1,53,549	(-) 02
महेंद्रगढ़	16,05,134	13,55,853	2,49,281	16

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.15; पृष्ठ 20)

अनुमानित और सृजित मानव दिवसों का ब्लॉक-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

ब्लॉक का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस
बिलासपुर	38,000	37,290	40,460	55,408	45,000	52,781	34,440	45,979
जगाधरी	30,000	34,355	40,000	74,036	41,000	50,152	33,500	34,863
नूंह	98,850	1,83,263	1,03,000	4,42,962	1,08,700	5,01,520	2,75,473	81,766
फिरोजपुर झिरका	1,20,640	2,82,889	4,05,000	6,19,586	4,32,000	1,75,621	3,10,800	3,134
इंद्री	1,50,000	2,18,404	1,50,000	2,71,453	2,07,167	2,39,227	1,69,475	2,47,838
असंध	1,50,000	1,17,639	92,500	1,39,313	1,02,600	1,12,065	90,440	86,357
कुल	**5,87,490**	**8,73,840**	**8,30,960**	**16,02,758**	**9,36,467**	**11,31,366**	**9,14,128**	**4,99,937**
	2023-24		कुल					
	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	अनुमानित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	कमी	प्रतिशतता		
बिलासपुर	41,000	51,657	1,98,900	2,43,115	(-) 44,215	(-) 22.23		
जगाधरी	27,000	40,090	1,71,500	2,33,496	(-) 61,996	(-) 36.15		
नूंह	1,82,100	70,345	7,68,123	12,79,856	(-) 5,11,733	(-) 66.62		
फिरोजपुर झिरका	1,36,200	31,044	14,04,640	11,12,274	2,92,366	20.81		
इंद्री	1,17,100	1,02,421	7,93,742	10,79,343	(-) 2,85,601	(-) 35.98		
असंध	75,000	81,392	5,10,540	5,36,766	(-) 26,226	(-) 5.14		
कुल	**5,78,400**	**3,76,949**	**38,47,445**	**44,84,850**	**(-) 6,37,505**	**(-) 16.57**		

2019-24 की अवधि के लिए चयनित ब्लॉकों में अनुमानित मानव दिवसों और सृजित मानव दिवसों का ब्यौरा

ब्लॉक	ब्लॉक द्वारा श्रम बजट में अनुमानित मानव दिवसों की संख्या	सृजित मानव दिवसों की संख्या	अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में मानव दिवसों में कमी	श्रम बजट के अनुमान की तुलना में मानव दिवसों के कम सृजन की प्रतिशतता
1	2	3	4(2-3)	5
बिलासपुर	1,98,900	2,43,115	(-) 44,215	(-) 22.23
जगाधरी	1,71,500	2,33,496	(-) 61,996	(-) 36.15
नूंह	7,68,123	12,79,856	(-) 5,11,733	(-) 66.62
फिरोजपुर झिरका	14,04,640	11,12,274	2,92,366	20.81
इंद्री	7,93,742	10,79,343	(-) 2,85,601	(-) 35.98
असंध	5,10,540	5,36,766	(-) 26,226	(-) 5.14

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.16; पृष्ठ 21)

चयनित जिलों की उन ग्राम पंचायतों का विवरण जिनमें एक भी मानव दिवस का सृजन नहीं किया गया

जिले का नाम	वर्ष	जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या	शून्य मानव दिवस वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रतिशतता
हिसार	2019-20	310	45	14.52
	2020-21	310	8	2.58
	2021-22	309	17	5.50
	2022-23	309	29	9.39
	2023-24	309	19	6.15
करनाल	2019-20	395	73	18.48
	2020-21	394	10	2.54
	2021-22	394	20	5.08
	2022-23	394	35	8.88
	2023-24	394	44	11.17
महेंद्रगढ़	2019-20	351	164	46.72
	2020-21	351	38	10.83
	2021-22	345	72	20.87
	2022-23	345	139	40.29
	2023-24	345	58	16.81
मेवात	2019-20	327	69	21.10
	2020-21	327	33	10.09
	2021-22	327	22	6.73
	2022-23	327	204	**62.39**
	2023-24	327	177	54.13
यमुना नगर	2019-20	490	134	27.35
	2020-21	490	9	**1.84**
	2021-22	490	28	5.71
	2022-23	490	52	10.61
	2023-24	490	68	13.88

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.17.1; पृष्ठ 22)

श्रमिकों को मजदूरी के कम भुगतान/भुगतान न किए जाने को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	मस्टर रोल संख्या	कार्य की अवधि		जॉब कार्ड नंबर	उपस्थिति के अनुसार		प्रबंधन सूचना प्रणाली में ली गई कम उपस्थिति	मजदूरी प्रतिदिन (₹ में)	भुगतान से इनकार (₹ में)
		से	तक		भौतिक मस्टर रोल	प्रबंधन सूचना प्रणाली मस्टर रोल			
1	ग्राम पंचायत- बझेड़ा 660	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308003	16	0	16	357	5,712
2	660	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308006	32	0	32	357	11,424
3	660	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308007	32	0	32	357	11,424
4	660	21 दिसंबर 23	05 जनवरी 2024	2308010	16	0	16	357	5,712
5	661	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308011	32	0	32	357	11,424
6	661	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308012	16	0	16	357	5,712
7	661	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	2308015	32	0	32	357	11,424
8	661	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	27	16	0	16	357	5,712
9	662	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	47	16	0	16	357	5,712
10	662	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	55	16	0	16	357	5,712
11	ग्राम पंचायत- हसनपुर बिलोंडा 517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122930	8	0	8	284	2,272
12	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122931	8	0	8	284	2,272
13	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122932	8	0	8	284	2,272
14	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122933	8	0	8	284	2,272
15	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122935	8	0	8	284	2,272
16	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122937	8	0	8	284	2,272
17	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122938	8	0	8	284	2,272
18	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122939	8	0	8	284	2,272
19	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122940	8	0	8	284	2,272
20	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122944	8	0	8	284	2,272
21	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122945	8	0	8	284	2,272
22	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122946	8	0	8	284	2,272
23	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122948	8	0	8	284	2,272
24	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122949	8	0	8	284	2,272
25	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122950	8	0	8	284	2,272
26	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122951	8	0	8	284	2,272
27	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122952	8	0	8	284	2,272

क्र. सं.	मस्टर रोल संख्या	कार्य की अवधि		जॉब कार्ड नंबर	उपस्थिति के अनुसार		प्रबंधन सूचना प्रणाली में ली गई कम उपस्थिति	मजदूरी प्रतिदिन (₹ में)	भुगतान से इनकार (₹ में)
		से	तक		भौतिक मस्टर रोल	प्रबंधन सूचना प्रणाली मस्टर रोल			
28	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122953	8	0	8	284	2,272
29	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122955	8	0	8	284	2,272
30	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122957	8	0	8	284	2,272
31	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122958	8	0	8	284	2,272
32	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122959	8	0	8	284	2,272
33	517	14 मार्च 2020	21 मार्च 2020	122960	7	0	7	284	1,988
34	ग्राम पंचायत- भोजपुर 1764	02 दिसंबर 2020	17 दिसंबर 2020	27667	6	3	3	309	927
35	ग्राम पंचायत- कैल 453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	7699	12	0	12	357	4,284
36	453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	7820	12	0	12	357	4,284
37	453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	8697	12	0	12	357	4,284
38	453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	9455	12	0	12	357	4,284
39	453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	9529	12	0	12	148.7	1,784
40	453	21 दिसंबर 2023	05 जनवरी 2024	3293	12	0	12	0.5	6
41	ग्राम पंचायत- लापरा 651	11 जनवरी 2020	26 जनवरी 2020	11025	14	0	14	284	3,976
42	654	11 जनवरी 2020	26 जनवरी 2020	18868	14	0	14	284	3,976
43	1578	07 नवंबर 2020	20 नवंबर 2020	1056511	14	0	14	309	4,326
कुल					**527**	**3**	**524**		**1,64,071**

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.18; पृष्ठ 24)

चयनित ब्लॉकों में कार्यों के निष्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का विवरण

ब्लॉक का नाम	वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	कार्य अनुमोदित किंतु प्रगति पर नहीं	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्य पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
इंद्री	2019-20	233	238	190	661	30.87
असंध	2019-20	328	75	232	635	42.22
नूंह	2019-20	64	174	489	727	19.05
फिरोजपुर झिरका	2019-20	200	63	1,294	1,557	2.54
बिलासपुर	2019-20	107	121	222	450	2.14
जगाधरी	2019-20	226	208	190	624	0
बरवाला	2019-20	420	124	336	880	37.73
नारनौंद	2019-20	247	242	814	1,303	17.16
महेंद्रगढ़	2019-20	72	206	103	381	11.13
कनीना	2019-20	110	59	128	297	8.60
	उप-योग	**2,007**	**1,510**	**3,998**	**7,515**	**171.44**
इंद्री	2020-21	535	368	190	1,093	58.85
असंध	2020-21	119	264	235	618	24.51
नूंह	2020-21	304	421	531	1,256	49.67
फिरोजपुर झिरका	2020-21	467	91	1,393	1,951	133.22
बिलासपुर	2020-21	200	104	264	568	3.04
जगाधरी	2020-21	366	203	220	789	10.60
बरवाला	2020-21	68	361	733	1,162	46.39
नारनौंद	2020-21	261	109	907	1,277	14.66
महेंद्रगढ़	2020-21	227	140	203	570	9.86
कनीना	2020-21	88	51	163	302	8.69
	उप-योग	**2,635**	**2,112**	**4,839**	**9,586**	**359.49**
इंद्री	2021-22	424	133	199	756	55.35
असंध	2021-22	282	206	276	764	52.75
नूंह	2021-22	501	292	650	1,443	252.15
फिरोजपुर झिरका	2021-22	243	244	1,645	2,132	202.66
बिलासपुर	2021-22	115	132	270	517	33.62
जगाधरी	2021-22	230	103	229	562	11.55
बरवाला	2021-22	312	349	848	1,509	134.31
नारनौंद	2021-22	126	97	992	1,215	25.99
महेंद्रगढ़	2021-22	53	251	253	557	7.34
कनीना	2021-22	33	62	184	279	12.44
	उप-योग	**2,319**	**1,869**	**5,546**	**9,734**	**788.16**
इंद्री	2022-23	24	342	227	593	140.24
असंध	2022-23	101	327	291	719	35.18
नूंह	2022-23	139	314	727	1,180	325.62
फिरोजपुर झिरका	2022-23	20	231	2,083	2,334	202.47
बिलासपुर	2022-23	160	64	281	505	14.56
जगाधरी	2022-23	83	109	240	432	9.21
बरवाला	2022-23	81	460	921	1,462	457.67
नारनौंद	2022-23	96	149	1,128	1,373	51.89
महेंद्रगढ़	2022-23	189	191	316	696	13.38
कनीना	2022-23	28	81	217	326	10.09
	उप-योग	**921**	**2,268**	**6,431**	**9,620**	**1,260.31**

ब्लॉक का नाम	वर्ष	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्यों की संख्या (प्रतिशत)	कार्य अनुमोदित किंतु प्रगति पर नहीं	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	चालू/निलंबित कार्य पर किया गया व्यय (₹ लाख में)
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
इंद्री	2023-24	196	259	290	745	272.93
असंध	2023-24	170	293	386	849	189.33
नूंह	2023-24	46	497	813	1,356	765.69
फिरोजपुर झिरका	2023-24	1	296	2,167	2,464	64.15
बिलासपुर	2023-24	94	66	323	483	20.38
जगाधरी	2023-24	70	101	307	478	74.50
बरवाला	2023-24	199	717	1,188	2,104	874.07
नारनौंद	2023-24	67	524	1,326	1,917	492.58
महेंद्रगढ़	2023-24	92	235	467	794	29.03
कनीना	2023-24	45	134	363	542	16.94
उप-योग		**980**	**3,122**	**7,630**	**11,732**	**2,799.60**
कुल योग		**8,862**	**10,881**	**28,444**	**48,187**	**5,379.00**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.19.3; पृष्ठ 28)

मेवात जिले के अंतर्गत चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में चयनित 22 चालू कार्यों का विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	पंचायत का नाम	कार्य प्रारंभ का वित्तीय वर्ष	कार्य का कोड	कार्य का नाम	संस्वीकृत राशि (₹ में)		प्रारंभ के बाद से भुगतान की गई राशि (₹ में)		कुल मानव दिवस	कार्य प्रारंभ होने की तिथि
						मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगीना	अकलीमपुर	2021-2022	1219007029/आईएफ/54800	पशु शेड 15, ग्राम पंचायत जैतका	98,276.39	7,47,299.24	0	6,56,500.12	7	19 मार्च 2022
2		नूंह	2021-2022	1219007029/आईएफ/54805	पशु शेड 15, ग्राम पंचायत जैतका	98,276.39	7,47,299.24	0	6,67,513.88	0	19 मार्च 2022
3		नांगल	2021-2022	1219007033/एफपी/1000007624	गंदे नाले का निर्माण (फौजी के घर से गोहर वाली चौक तक)	1,06,576.50	8,36,980.70	0	8,14,894.62	72	18 मार्च 2022
4		मुबारकपुर	2021-2022	1219007033/एफपी/1000007626	गंदे नाले का निर्माण (अप्पे खान के घर से सीता राम के घर तक)	1,11,811.94	8,59,326.80	0	1,95,888.24	50	18 मार्च 2022
5			2021-2022	1219007033/एफपी/1000007628	गंदे नाले का निर्माण (स्कूल से तालाब तक)	1,11,478.02	8,61,095.04	0	7,73,750.36	50	18 मार्च 2022
6			2021-2022	1219007033/आरसी/1000036188	आईबीपी रास्ता (शमशान घाट से उम्मर से रुस्तम तक)	54,727.24	6,72,788.33	0	6,07,897.27	14	30 मार्च 2022
7	पिंगवां	झिमरावट	2021-2022	1219007002/आरसी/1000022697	ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए डब्ल्यूबीएम पीडब्ल्यूडी रोड से फकीरा बास तक मिटटी भराव	4,48,334.24	5,29,610.96	315	5,19,130.68	1	3 मार्च 2022
8	नूंह	रेहना	2022-2023	1219006014/आरसी/1000037913	जाहरू के घर से नूर मोहम्मद के घर तक रास्ते का निर्माण	1,20,368.94	8,78,783.22	1,655	5,00,016.00	5	17 अगस्त 2022
9			2022-2023	1219006014/आरसी/1000044110	बड़ी मस्जिद से यूसुफ के घर तक रास्ते का निर्माण	70,821.98	8,53,338.80	1,655	3,56,950.00	5	17 अगस्त 2022
10			2022-2023	1219006014/आरसी/1000044998	बीपीएल प्लाट से मिट्टी भरान और डब्ल्यूबीएम रास्ता	1,33,006.09	8,46,442.57	1,655	5,47,770.00	5	17 अगस्त 2022
11		शाहपुर	2022-2023	1219006001/आरसी/1000044119	हासम के खेत से बुल्ला के खेत तक मिटटी भरान और डब्ल्यूबीएम रास्ता	1,29,061.75	8,08,361.11	1,655	5,46,361.00	5	17 अगस्त 2022
12		नगली	2022-2023	1219006001/आरसी/1000044120	अख्तर के खेत से चंदेनी सीमा तक मिटटी भरान और डब्ल्यूबीएम रास्ता	1,30,495.68	8,17,285.62	1,324	5,25,918.00	4	17 अगस्त 2022
13	तावडू	गुढ़ी	2022-2023	1219005008/एफपी/1000008272	शौकत के घर से रघुबीर के घर तक गंदे पानी के नाले का निर्माण	1,63,789.12	7,95,117.99	0	7,80,537.12	304	1 अक्तूबर 2022
14			2022-2023	1219005008/एफपी/1000008273	नंबरदार ढाणी से पुराने कब्रिस्तान तक गंदे पानी के नाले का निर्माण	1,59,226.13	7,38,872.77	0	7,17,952.32	304	1 अक्तूबर 2022
15	तावडू	भांगो	2022-2023	1219005033/एफपी/1000008482	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (समसू से तालाब तक)	1,58,264.23	7,33,491.41	0	7,19,191.18	304	1 अक्तूबर 2022
16			2022-2023	1219005033/आरसी/1000044992	रास्ते का निर्माण (अख्तर के घर से फतेह के घर तक)	1,17,800.32	8,65,476.78	0	7,43,092.78	240	6 अक्तूबर 2022
17			2022-2023	1219005033/आरसी/1000045843	रास्ते का निर्माण (फतेह से सरजू के खेत तक)	1,15,630.48	8,20,065.74	0	7,71,737.04	240	6 अक्तूबर 2022
18		शिकारपुर	2022-2023	1219005016/एफपी/1000008481	नाला/सीवर लाइन का निर्माण (मस्जिद से खतीजा के घर तक)	1,69,682.07	8,24,732.36	0	7,68,960.00	288	1 अक्तूबर 2022
19	तावडू		2022-2023	1219005016/आरसी/1000045481	रास्ते का निर्माण (मौलाना से कब्रिस्तान तक)	1,18,306.44	8,33,495.39	0	7,43,971.00	240	6 अक्तूबर 2022
20		चीला	2022-2023	1219005025/आईएफ/79468	जैतूनी के लिए पशु शेड का निर्माण	6,591.45	49,923.08	0	29,110.00	16	1 जून 2022
21			2022-2023	1219005025/आईएफ/79673	सिफ़ायत खान का पशु शेड	6,591.45	49,923.08	0	27,297.26	15	1 जून 2022
22			2022-2023	1219005025/आईएफ/79674	मोहम्मद किफायत का पशु शेड	6,591.45	49,923.08	0	27,297.26	15	1 जून 2022

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 43)

हरियाणा में शहर-वार जनसंख्या, उत्पादित सीवेज और स्थापित क्षमता को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	जिला का नाम	शहरी क्षेत्र का नाम	जनसंख्या (लाख में)	उत्पादित घरेलू सीवेज (एमएलडी)	एसटीपी की संख्या	स्थापित क्षमता (एमएलडी)
1	अंबाला	अंबाला शहर	3.51	70.41	14	51.25
		अंबाला छावनी	2.36			
		बराड़ा	0.23			
		नारायणगढ़	0.42			
2	भिवानी	भिवानी	2.30	32.07	9	75.00
		बवानी खेड़ा	0.25			
		सिवानी	0.25			
		लोहारू	0.17			
3	चरखी दादरी	चरखी दादरी	0.56	10.00	2	10.00
4	फरीदाबाद	फरीदाबाद	17.70	282.00	5	97.50
5	फतेहाबाद	फतेहाबाद	1.01	25.30	7	52.50
		टोहाना	0.81			
		रतिया	0.47			
		भूना	0.30			
		जाखल	0.16			
6	गुरुग्राम	गुरुग्राम	19.25	563.18	16	524.00
		मानेसर	5.75			
		फारुखनगर	0.17			
		पटौदी	0.45			
		हेली मंडी				
		सोहाना	0.60			
7	हिसार	आदमपुर	0.37	117.50	11	117.50
		बरवाला	0.78			
		उकलाना				
		हांसी	1.25			
		नारनौंद				
		हिसार	4.14			
8	झज्जर	बहादुरगढ़	1.70	24.50	6	77.50
		झज्जर	0.48			
		बेरी	0.15			
9	जींद	जींद	2.27	44.73	11	63.75
		नरवाना	0.68			
		जुलाना	0.26			
		उचाना	0.26			
		सफीदों	0.39			
10	कैथल	कैथल	1.44	44.00	9	62.50
		पुंडरी	0.20			
		चीका	0.39			
		कलायत	0.18			
		राजौंद	0.17			
		सिवान	0.24			
11	करनाल	करनाल	4.54	80.24	9	99.50
		असंध	0.27			
		घरौंडा	0.37			
		निसिंग	0.17			
		नीलोखेड़ी	0.18			
		तरावड़ी	0.26			
		इंद्री	0.17			

क्र. सं.	जिला का नाम	शहरी क्षेत्र का नाम	जनसंख्या (लाख में)	उत्पादित घरेलू सीवेज (एमएलडी)	एसटीपी की संख्या	स्थापित क्षमता (एमएलडी)
12	कुरुक्षेत्र	थानेसर	2.50	66.50	5	66.50
		पेहोवा	0.39			
		शाहबाद	0.46			
		लाडवा	0.32			
		इस्माइलाबाद	0.16			
13	महेंद्रगढ़	नारनौल	1.06	14.50	5	25.00
		महेंद्रगढ़	0.29			
		अटेली मंडी	0.09			
		कनीना	0.16			
		नांगल चौधरी	0.18			
14	नूंह	नूंह	0.16	10.81	4	17.60
		फिरोजपुर झिरका	0.25			
		पुन्हाना	0.34			
		तावड़ू	0.23			
15	पलवल	पलवल	1.87	27.80	6	44.00
		होडल	0.71			
		हथीन	0.21			
16	पंचकुला	पंचकुला	3.17	165.00	15	97.25
		पिंजौर और कालका	1.49			
17	पानीपत	पानीपत	9.00	101.84	10	168.80
		समालखा	0.43			
18	रेवाड़ी	रेवाड़ी	1.85	26.00	6	48.00
		बावल (आईएमटी+एमसी)	0.42			
		धारूहेड़ा	0.30			
19	रोहतक	रोहतक	5.12	87.00	11	143.00
		मेहम	0.22			
		सांपला	0.25			
		कलानौर	0.31			
20	सिरसा	डबवाली	0.66	57.50	8	94.50
		ऐलनाबाद	0.46			
		कलांवाली	0.28			
		रानिया	0.25			
		सिरसा	2.28			
21	सोनीपत	सोनीपत	4.27	78.42	7	85.30
		खरखौदा	0.32			
		गोहाना	0.65			
		गन्नौर	0.35			
		कुंडली	0.37			
22	यमुना नगर	यमुना नगर जगाधरी	4.81	144.48	8	98.00
		साढौरा	0.11			
		रादौर	0.14			
कुल			**124.92**	**2,073.78**	**184**	**2,118.95**

स्रोत: **जिला प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई जिला पर्यावरण योजनाएं (2023) और इकाइयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5 एवं 3.6.2; पृष्ठ 45 एवं 66)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमों का अनुपालन न करने वाले सीवेज उपचार संयंत्रों पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे की गणना

चयनित जिला	क्र. सं.	सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का नाम	एसटीपी की क्षमता एमएलडी में	अनुपालन न करने की अवधि		उल्लंघन की अवधि दिनों में (संख्या)	पर्यावरणीय मुआवजा[1] (₹ में)	प्रदूषण सूचकांक (पीआई) 80 लाल श्रेणी में है	प्रत्येक मामले में ₹ 250 (आर)	एसटीपी के संचालन का पैमाना (एस)	स्थान कारक (एलएफ)
				से	तक						
पानीपत	1	5 एमएलडी समालखा	5.00	25 अप्रैल 2022	27 मई 2024	763	1,52,60,000	80	250	1	1.00
सोनीपत	2	4.5 एमएलडी खरखौदा	4.50	28 अप्रैल 2022	29 नवंबर 2023	580	1,16,00,000	80	250	1	1.00
	3	7 एमएलडी गन्नौर	7.00	28 फरवरी 2022	26 दिसंबर 2023	666	1,33,20,000	80	250	1	1.00
	4	3 एमएलडी गोहाना	3.00	28 फरवरी 2022	27 अक्तूबरा 2024	972	1,94,40,000	80	250	1	1.00
	5	8.3 एमएलडी गोहाना	8.30	28 फरवरी 2022	30 नवंबर 2023	640	1,28,00,000	80	250	1	1.00
गुरुग्राम	6	100 एमएलडी धनवापुर	100.00	10 नवंबर 2021	30 मई 2024	932	2,33,00,000	80	250	1	1.25
	7	6 एमएलडी सोहना	6.00	25 जनवरी 2021	30 मई 2024	1,221	2,44,20,000	80	250	1	1.00
	8	4.5 एमएलडी पटौदी	4.50	11 जुलाई 2022	01 अगस्त 2024	752	1,50,40,000	80	250	1	1.00
फरीदाबाद	9	45 एमएलडी बादशाहपुर	45.00	08 जनवरी 2021	04 जुलाई 2024	1,273	3,18,25,000	80	250	1	1.25
अंबाला	10	3 एमएलडी नयागांव	3.00	31 मार्च 2022	19 अप्रैल 2024	750	1,50,00,000	80	250	1	1.00
	11	3.5 एमएलडी नयागांव	3.50	31 मार्च 2022	19 अप्रैल 2024	750	1,50,00,000	80	250	1	1.00
	12	5 एमएलडी बलदेव नगर	5.00	28 जनवरी 2022	08 नवंबर 2024	1,015	2,03,00,000	80	250	1	1.00
	13	3.25 एमएलडी बलदेव नगर	3.25	28 जनवरी 2022	08 नवंबर 2024	1,015	2,03,00,000	80	250	1	1.00
	14	5 एमएलडी मोती नगर I	5.00	19 अक्तूबर 2021	30 जून 2023	619	1,23,80,000	80	250	1	1.00
	15	5 एमएलडी मोती नगर II	5.00	29 जनवरी 2022	27 अप्रैल 2023	453	90,60,000	80	250	1	1.00
	16	6 एमएलडी मॉडल टाउन	6.00	31 मार्च 2022	27 जून 2023	453	90,60,000	80	250	1	1.00

[1] पर्यावरणीय मुआवजे के आकलन के लिए एचएसपीसीबी की पद्धति के अनुसार, पर्यावरणीय मुआवजा = पीआई x एन x आर x एस x एलएफ, जहां पीआई = प्रदूषण सूचकांक जो 'लाल' श्रेणी में एसटीपी/सीईटीपी के मामले में 80 है,

एन = उल्लंघन के दिनों की संख्या, आर = रुपये में एक कारक (अर्थात ₹ 250 / कार्यप्रणाली के अनुसार),

एस = संचालन के पैमाने के लिए कारक (अर्थात लघु/सूक्ष्म के लिए 0.5, मध्यम के लिए 1 और बड़े के लिए 1.5),

एलएफ + स्थान कारक (एक मिलियन तक की आबादी के लिए 1, 1 से 5 मिलियन के बीच की आबादी के लिए 1.25)

चयनित जिला	क्र. सं.	सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का नाम	एसटीपी की क्षमता एमएलडी में	अनुपालन न करने की अवधि		उल्लंघन की अवधि दिनों में (संख्या)	पर्यावरणीय मुआवजा[1] (₹ में)	प्रदूषण सूचकांक (पीआई) 80 लाल श्रेणी में है	प्रत्येक मामले में ₹ 250 (आर)	एसटीपी के संचालन का पैमाना (एस)	स्थान कारक (एलएफ)
				से	तक						
	17	3.25 एमएलडी नसीरपुर	3.25	31 मार्च 2022	22 अप्रैल 2024	753	1,50,60,000	80	250	1	1.00
	18	3.25 एमएलडी देवी नगर	3.25	28 जनवरी 2022	19 जुलाई 2024	903	1,80,60,000	80	250	1	1.00
	19	3 एमएलडी नारायणगढ़	3.00	25 मई 2022	11 अक्तूबरा 2024	870	1,74,00,000	80	250	1	1.00
पंचकुला	20	4.5 एमएलडी कालका	4.50	09 फरवरी 2022	19 दिसंबर 2023	678	1,35,60,000	80	250	1	1.00
	21	0.25 एमएलडी कालका	0.25	15 नवंबर 2022	17 मई 2024	549	1,09,80,000	80	250	1	1.00
हिसार	22	4 एमएलडी कैमरी रोड	4.00	07 जून 2021	02 सितंबर 2024	1,183	2,36,60,000	80	250	1	1.00
	23	6.5 एमएलडी उकलाना	6.50	29 जनवरी 2021	01 मार्च 2022	396	79,20,000	80	250	1	1.00
	24	6 एमएलडी बरवाला	6.00	07 सितंबर 2021	02 सितंबर 2024	1,091	2,18,20,000	80	250	1	1.00
	25	5 एमएलडी हांसी	5.00	29 जनवरी 2021	02 सितंबर 2024	1,312	2,62,40,000	80	250	1	1.00
	26	6.5 एमएलडी हांसी	6.50	29 जनवरी 2021	02 सितंबर 2024	1,312	2,62,40,000	80	250	1	1.00
			256.30	**कुल**			**44,90,45,000**				
	1	सीईटीपी मुरथल सोनीपत		28 जुलाई 2022	30 नवंबर 2023	490	98,00,000	80	250	1	1.00
	2	सीईटीपी बरही सोनीपत		28 अप्रैल 2022	29 मार्च 2024	701	1,40,20,000	80	250	1	1.00
				कुल योग			**46,30,65,000**				

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) का निगरानी डेटा।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 एवं 3.5.6; पृष्ठ क्रमश: 46, 49, 54, 58, 61 एवं 63)

चयनित जिलों में अपशिष्ट जल उपचार का सीवेज उपचार संयंत्र-वार परिणाम

क्र. सं.	एसटीपी का नाम	नमूना संग्रह तिथि	बीओडी मिलीग्राम/ लीटर (10)	फिकल कोलीफॉर्म एमपीएन/ 100 मिलीग्राम (100)
क	**फरीदाबाद**			
1	(फरीदाबाद-एसटीपी-001) 45 एमएलडी एसटीपी, बादशाहपुर, फरीदाबाद	16 मई 2024	112	2,700
2	(फरीदाबाद-एसटीपी-003) 10 एमएलडी एसटीपी, फरीदाबाद	01 मई 2024	4	79
3	(फरीदाबाद-एसटीपी-004) 30 एमएलडी एसटीपी, फरीदाबाद	30 अप्रैल 2024	7	33
4	(फरीदाबाद-एसटीपी-004) 5 एमएलडी एसटीपी, फरीदाबाद	परीक्षण (ट्रायल रन) के अधीन। अनुपालन करने वालों के रूप में माना गया।		
5	(फरीदाबाद-एसटीपी-002) 7.5 एमएलडी एसटीपी, बल्लभगढ़			
	कुल एसटीपी = 5; अनुपालन न करने वाले एसटीपी: 1			
ख	**गुरुग्राम**			
1	(गुरुग्राम-एसटीपी-001) 68 एमएलडी एसटीपी, धनवापुर, गुरुग्राम	30 मार्च 2024	9	84
2	(गुरुग्राम-एसटीपी-002) 100 एमएलडी एसटीपी, धनवापुर, गुरुग्राम	30 मार्च 2024	52	330
3	(गुरुग्राम-एसटीपी-003) 50 एमएलडी एसटीपी, धनवापुर, गुरुग्राम	30 मार्च 2024	13	94
4	(गुरुग्राम-एसटीपी-004) 6 एमएलडी एसटीपी, सोहना, गुरुग्राम	30 अप्रैल 2024	18	930
5	(गुरुग्राम-एसटीपी-005) 1 एमएलडी एसटीपी, सराय अलवर्दी, गुरुग्राम	जनवरी 2024 में चालू किया गया, डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुपालन करने वालों के रूप में माना गया।		
6	(गुरुग्राम-एसटीपी-006) 1 एमएलडी एसटीपी, गडोली कलां, गुरुग्राम			
7	(गुरुग्राम-एसटीपी-007) 1 एमएलडी एसटीपी, बलियावास, गुरुग्राम			
8	(गुरुग्राम-एसटीपी-008) 1 एमएलडी एसटीपी, दरबारीपुर, गुरुग्राम			
9	(गुरुग्राम-एसटीपी-009) 2 एमएलडी एसटीपी, मोहम्मदपुर झरशा, गुरुग्राम			
10	(गुरुग्राम-एसटीपी-010) 1 एमएलडी एसटीपी, बंदवाड़ी, गुरुग्राम			
11	(गुरुग्राम-एसटीपी-011) 20 एमएलडी एसटीपी, जहाजगढ़, गुरुग्राम			
12	(GRS-एसटीपी-005) 50 एमएलडी एसटीपी, बेहरामपुर, गुरुग्राम	07 जून 2024	6	70
13	(GRS-एसटीपी-006) 120 एमएलडी एसटीपी, बेहरामपुर, गुरुग्राम	07 जून 2024	7	84
14	(GRS-एसटीपी-007) 4.5 एमएलडी एसटीपी, पटौदी, गुरुग्राम	05 जून 2024	24	390
15	(GRS-एसटीपी-008) 3 एमएलडी एसटीपी, फर्रुखनगर, गुरुग्राम	04 जुलाई 2024	8	84
16	(GRS-एसटीपी-009) 5.5 एमएलडी एसटीपी, हेली मंडी, गुरुग्राम	04 जुलाई 2024	6	63
	कुल एसटीपी = 16; अनुपालन न करने वाले एसटीपी: 4			
ग	**सोनीपत**			
1	(सोनीपत-एसटीपी-001) 30 एमएलडी एसटीपी, रथदाना रोड़, सोनीपत	29 मार्च 2024	7	70
2	(सोनीपत-एसटीपी-002) 25 एमएलडी एसटीपी, ककराई रोड़, सोनीपत	29 अप्रैल 2024	5	63
3	(सोनीपत-एसटीपी-003) 7.5 एमएलडी सोनीपत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी फेस-I, जिला सोनीपत	22 मार्च 2024	8	52
4	(सोनीपत-एसटीपी-004) 4.5 एमएलडी एसटीपी, खरखौदा, सोनीपत	29 मार्च 2024	5	63
5	(सोनीपत-एसटीपी-005) 7 एमएलडी एसटीपी, गन्नौर, सोनीपत	29 मार्च 2024	5	84
6	(सोनीपत-एसटीपी-006) 3 एमएलडी एसटीपी, गोहाना, सोनीपत	29 मार्च 2024	78	580
7	(सोनीपत-एसटीपी-007) 8.3 एमएलडी एसटीपी, गोहाना, सोनीपत	29 मार्च 2024	6	70
	कुल एसटीपी = 7, अनुपालन न करने वाले एसटीपी: 1			
घ	**पानीपत**			
1	(पानीपत-एसटीपी-001) 35 एमएलडी एसटीपी, सिवाह, पानीपत	26 मार्च 2024	7	60
2	(पानीपत-एसटीपी-002) 10 एमएलडी एसटीपी, जाटल रोड़, पानीपत	26 मार्च 2024	6	50
3	(पानीपत-एसटीपी-003) 5 एमएलडी एसटीपी, समालखा, पानीपत	26 मार्च 2024	160	34,800
4	(पानीपत-एसटीपी-004) 25 एमएलडी एसटीपी, सिवाह, पानीपत	26 मार्च 2024	8.2	70
5	(पानीपत-एसटीपी-005) 20 एमएलडी एसटीपी, जाटल रोड़, पानीपत	26 मार्च 2024	8.4	90

क्र. सं.	एसटीपी का नाम	नमूना संग्रह तिथि	बीओडी मिलीग्राम/ लीटर (10)	फिकल कोलीफॉर्म एमपीएन/ 100 मिलीग्राम (100)
6	(पानीपत-एसटीपी-006) 30 एमएलडी, एसटीपी, सैक्टर-19, पानीपत	26 मार्च 2024	8.8	80
7	(पानीपत-एसटीपी-007) 0.8 एमएलडी एसटीपी, सैक्टर-6, पानीपत	26 मार्च 2024	7.2	70
8	(पानीपत-एसटीपी-008) 15 एमएलडी एसटीपी, देव कॉलोनी, पानीपत	26 मार्च 2024	6	60
9	(पानीपत-एसटीपी-009) 25 एमएलडी एसटीपी, बरसात रोड़, पानीपत	26 मार्च 2024	6.6	50
10	(पानीपत-एसटीपी-010) 3 एमएलडी एसटीपी, सिवाह, पानीपत	(जून 2024 में चालू किया गया)		
	कुल एसटीपी = 10, अनुपालन न करना 1			
ड.	**यमुना नगर**			
1	(यमुना नगर-एसटीपी-001) 25 एमएलडी एसटीपी, रादौर रोड़, यमुना नगर	15 मार्च 2024	5.6	10
2	(यमुना नगर-एसटीपी-002) 20 एमएलडी एसटीपी, रादौर रोड़, यमुना नगर	15 मार्च 2024	6.8	60
3	(यमुना नगर-एसटीपी-003) 3 एमएलडी एसटीपी, छछरौली, यमुना नगर	15 मार्च 2024	6.8	60
4	(यमुना नगर-एसटीपी-004) 24 एमएलडी एसटीपी, परवालो, यमुना नगर	15 मार्च 2024	8.8	90
5	(यमुना नगर-एसटीपी-005) 3.5 एमएलडी एसटीपी, रादौर, यमुना नगर	15 मार्च 2024	7	80
6	(यमुना नगर-एसटीपी-006) 10 एमएलडी एसटीपी, बद्दीमाजरा, यमुना नगर	15 मार्च 2024	5.8	60
7	(यमुना नगर-एसटीपी-007) 10 एमएलडी एसटीपी, बद्दीमाजरा, इकाई-II, यमुना नगर	15 मार्च 2024	8	80
8	(यमुना नगर-एसटीपी-008) 2.5 एमएलडी, सरस्वती नगर (मुस्तफाबाद), यमुनानगर	(जून 2024 में चालू किया गया)		
	कुल एसटीपी = 8, अनुपालन न करने वाले एसटीपी: शून्य			
च	**अंबाला**			
1	(अंबाला-एसटीपी-001) 3.00 एमएलडी एसटीपी, नया गांव, इकाई I, अंबाला शहर	06 मई 2024	5	60
2	(अंबाला-एसटीपी-002) 3.25 एमएलडी एसटीपी, नया गांव, इकाई II, अंबाला शहर	06 मई 2024	5	60
3	(अंबाला-एसटीपी-003) 2 एमएलडी एसटीपी, सैक्टर 7, अर्बन इस्टेट, अंबाला शहर	18 जून 2024	5.8	
4	(अंबाला-एसटीपी-004) 5 एमएलडी बलदेव नगर, इकाई I, अंबाला शहर	08 जुलाई 2024	6	
5	(अंबाला-एसटीपी-005) 3.25 बलदेव नगर, इकाई II, अंबाला शहर	06 मई 2024	11.2	800
6	(अंबाला-एसटीपी-006) 5 एमएलडी मोती नगर, इकाई I, अंबाला शहर	06 मई 2024	6.6	70
7	(अंबाला-एसटीपी-007) 5 एमएलडी एसटीपी, मोती नगर, इकाई II, अंबाला शहर	06 मई 2024	6.6	70
8	(अंबाला-एसटीपी-008) 6 एमएलडी एसटीपी, मॉडल टाउन, अंबाला शहर	06 मई 2024	6	**50**
9	(अंबाला-एसटीपी-009) 3.25 नसीरपुर, अंबाला शहर	06 मई 2024	8	**90**
10	(अंबाला-एसटीपी-010) 0.25 एमएलडी सादोपुर, अंबाला	06 मई 2024	12	600
11	(अंबाला-एसटीपी-011) 3.25 एमएलडी देवी नगर, अंबाला शहर	06 मई 2024	12	800
12	(अंबाला-एसटीपी-012) 3 एमएलडी एसटीपी, नारायणगढ़, अंबाला	06 मई 2024	16	1,200
13	(अंबाला-एसटीपी-014) 5 एमएलडी एसटीपी, अंबाला	06 मई 2024	4.8	50
14	(अंबाला-एसटीपी-013) 4 एमएलडी एसटीपी, बराड़ा, अंबाला	03 मई 2024	6	50
	कुल एसटीपी = 14, अनुपालन न करने वाले एसटीपी: 4			
छ	**पंचकुला**			
1	(पंचकुला-एसटीपी-001) 18 एमएलडी एसटीपी, पंचकुला	3 मई 2024	4.6	40
2	(पंचकुला-एसटीपी-002) 39 एमएलडी एसटीपी, पंचकुला	3 मई 2024	7.6	80
3	(पंचकुला-एसटीपी-003) 15 एमएलडी एसटीपी, सैक्टर-28, पंचकुला	3 मई 2024	6	50
4	(पंचकुला-एसटीपी-004) 4.5 एमएलडी कालका, पंचकुला	7 मई 2024	6	70
5	(पंचकुला-एसटीपी-005) 0.25 एमएलडी कालका, पंचकुला	17 मई 2024	7	80
6	(पंचकुला-एसटीपी-006) 5 एमएलडी एसटीपी, नालागढ़ रोड़, मानकपुर, पिंजौर, पंचकुला	17 मई 2024	7	80
7	(पंचकुला-एसटीपी-007) 9 एमएलडी एसटीपी, गैरीसन इंजीनियर, चंडीमंदिर, पंचकुला	17 मई 2024	5.4	60
8	(पंचकुला-एसटीपी-008) 0.75 एमएलडी एसटीपी, खतोली, पंचकुला	06 मई 2024	7	60
9	(पंचकुला-एसटीपी-009) 0.75 एमएलडी एसटीपी, बिल्ला, पंचकुला	06 मई 2024	4.8	40
10	(पंचकुला-एसटीपी-010) 0.75 एमएलडी एसटीपी, सुखदर्शनपुर, पंचकुला	06 मई 2024	5	50
11	(पंचकुला-एसटीपी-011) 0.5 एमएलडी एसटीपी, नंगल और अलीपुर, पंचकुला	06 मई 2024	4	40
12	(पंचकुला-एसटीपी-012) 0.75 एमएलडी एसटीपी, कोट, पंचकुला	06 मई 2024	6	70
13	(पंचकुला-एसटीपी-013) 0.5 एमएलडी एसटीपी, खगेसड़ा और तोका, पंचकुला	06 मई 2024	7.8	80
14	(पंचकुला-एसटीपी-014) 1.5 एमएलडी एसटीपी, सकेतड़ी, पंचकुला	06 मई 2024	6	70

क्र. सं.	एसटीपी का नाम	नमूना संग्रह तिथि	बीओडी मिलीग्राम/ लीटर (10)	फिकल कोलीफॉर्म एमपीएन/ 100 मिलीग्राम (100)
15	(पंचकुला-एसटीपी-015) 1 एमएलडी एसटीपी, रामगढ़, पंचकुला	03 मई 2024	6	70
	कुल एसटीपी = 15, अनुपालन न करने वाले एसटीपी: शून्य			
ज	**हिसार**			
1	(हिसार-एसटीपी-001) 15 एमएलडी एसटीपी, आज़ाद नगर, राजगढ़ रोड़, हिसार	03 मई 2024	8	90
2	(हिसार-एसटीपी-002) 40 एमएलडी एसटीपी, ऋषि नगर, हिसार	2 मई 2024	8	80
3	(हिसार-एसटीपी-003) 4 एमएलडी एसटीपी, नारनौंद, हिसार	2 मई 2024	7.8	80
4	(हिसार-एसटीपी-004) 15 एमएलडी एसटीपी, डाबरा तोशाम रोड़, हिसार	03 मई 2024	5.8	60
5	(हिसार-एसटीपी-005) 4 एमएलडी एसटीपी, कैमरी रोड़, हिसार	2 मई 2024	195	22,100
6	(हिसार-एसटीपी-011) 8 एमएलडी एसटीपी, गांव सतरोड, डाबरा रोड़, हिसार	03 मई 2024	6	70
7	(हिसार-एसटीपी-006) 6.5 एमएलडी एसटीपी, उकलाना, हिसार	03 मई 2024	8	90
8	(हिसार-एसटीपी-007) 6.5 एमएलडी एसटीपी, हांसी, हिसार	2 मई 2024	6.6	60
9	(हिसार-एसटीपी-008) 6 एमएलडी एसटीपी, ढाणी ग्राम, बरवाला, हिसार	02 मई 2024	27	2,400
10	(हिसार-एसटीपी-009) 5 एमएलडी एसटीपी, ढाणी कुशाल, भिवानी रोड़, हांसी, हिसार	02 मई 2024	24	3,300
11	(हिसार-एसटीपी-010) 7.5 एमएलडी एसटीपी, लालपुरा, जींद रोड़, हांसी, हिसार	02 मई 2024	18	2,100

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) का निगरानी डेटा।

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6.1; पृष्ठ 65)

चयनित जिलों में लगाए गए और वसूल किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का विवरण

क्र. सं.	जिला/आरओ कार्यालय का नाम	लगाया गया पर्यावरणीय मुआवजा		वसूल किया गया पर्यावरणीय मुआवजा		वसूल नहीं किया गया पर्यावरणीय मुआवजा (₹ करोड़ में)	वसूल नहीं किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का प्रतिशत
		इकाइयों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	इकाइयों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		
1	अंबाला	24	1.82	23	1.72	0.10	5.49
2	बल्लभगढ़	92	16.16	49	2.99	13.17	81.50
3	फरीदाबाद	90	13.73	29	6.69	7.04	51.27
4	गुरुग्राम उत्तर	184	177.75	40	13.30	164.45	92.52
5	गुरुग्राम दक्षिण	46	18.91	31	5.83	13.08	69.17
6	हिसार	33	10.29	19	2.81	7.48	72.69
7	पंचकुला	53	4.10	47	3.27	0.83	20.24
8	पानीपत	45	3.58	37	2.72	0.86	24.02
9	सोनीपत	52	7.84	32	1.66	6.18	78.83
10	यमुना नगर	31	10.58	27	9.51	1.07	10.11
कुल		**650**	**264.76**	**334**	**50.50**	**214.26**	**80.93**

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6.2; पृष्ठ 66)

उपचार क्षमता के अभाव में अनुपचारित सीवेज के निकास हेतु पर्यावरणीय मुआवजे की गणना दर्शाने वाली विवरणी

	विवरण	पंचकुला	अंबाला	यमुना नगर	हिसार	पानीपत	सोनीपत	गुरुग्राम	फरीदाबाद
ए.	जनसंख्या (लाख में)	4.66	6.52	5.05	6.54	9.43	5.95	26.22	17.70
बी.	शहर का वर्ग*	क्लास-I सिटी	क्लास-I सिटी	क्लास-I सिटी	क्लास-I सिटी	क्लास-I सिटी	क्लास-I सिटी	मिलियन सिटी	मिलियन सिटी
सी.	सीवेज जनरेशन (एमएलडी)*	165.00	70.41	144.48	117.50	101.84	78.42	563.18	282.00
डी.	स्थापित उपचार क्षमता (एमएलडी)*	97.25	51.25	98.00	117.50	168.80	85.30	524.00	97.50
ई.	स्थापित क्षमता का अंतर (सी-डी)	67.75	19.16	46.48	0	0	0	39.18	184.50
एफ.	एसटीपी* में प्राप्त वास्तविक डिस्चार्ज	91.25	37.08	78.48	97.25	75.00	60.50	501.80	92.00
जी.	क्षमता उपयोग[2] अंतर (एमएलडी में) (सी-एफ)	73.75	33.33	66.00	20.25	26.84	17.92	61.38	190.00
एच.	**गणना की गई ईसी (एसटीपी का पूंजीगत लागत घटक) - ₹ लाख में (ई x ₹ 17.5 लाख प्रति एमएलडी)**	**1,185.62**	**335.30**	**813.40**	**0**	**0**	**0**	**685.65**	**3,228.75**
आई.	परिवहन प्रणाली का अंतर (क्षमता उपयोग अंतराल के बराबर)	73.75	33.33	66.00	20.25	26.84	17.92	61.38	190.00
जे.	**गणना की गई ईसी (परिवहन प्रणाली के लिए पूंजीगत लागत घटक) - ₹ लाख में (आई x ₹ 55.5 लाख प्रति एमएलडी)**	**4,093.12**	**1,849.81**	**3,663.00**	**1,123.87**	**1,489.62**	**994.56**	**3,406.59**	**10,545.00**
के.	**गणना की गई ईसी (कुल पूंजीगत लागत घटक)- ₹ लाख में (एच+जे)**	**5,278.75**	**2,185.11**	**4,476.40**	**1,123.87**	**1,489.62**	**994.56**	**4,092.24**	**13,773.75**
एल.	ईसी का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य (कुल पूंजीगत लागत घटक) - (₹ लाख में)	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 100 अधिकतम 1,000	न्यूनतम 1000 अधिकतम 10,000	न्यूनतम 1000 अधिकतम 10,000
एम.	**लागू ईसी (कुल पूंजीगत लागत घटक) - ₹ लाख में**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**4,092.24**	**10,000.00**
एन.	गणना की गई ईसी (ओ एंड एम घटक प्रतिदिन) - ₹ लाख में (जी x ₹ 0.20 लाख प्रति एमएलडी)	14.75	6.67	13.20	4.05	5.37	3.58	12.28	38.00
ओ.	ईसी का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य (ओ एंड एम घटक लागत प्रतिदिन) -₹ लाख में	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 0.5 अधिकतम 5.0	न्यूनतम 1.00 अधिकतम 10.00	न्यूनतम 1.00 अधिकतम 10.00
पी.	लागू ओ एंड एम लागत घटक प्रतिदिन (₹ लाख में)	5.00	5.00	5.00	4.05	5.00	3.58	10.00	10.00

[2] क्षमता उपयोग = सीवेज उत्पादन - एसटीपी पर प्राप्त वास्तविक डिस्चार्ज।

	विवरण	पंचकुला	अंबाला	यमुना नगर	हिसार	पानीपत	सोनीपत	गुरुग्राम	फरीदाबाद
क्यू	**लागू ईसी (ओ एंड एम लागत घटक) - ₹ लाख में (पी x 1460 दिन - 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक)**	**7,300.00**	**7,300.00**	**7,300.00**	**5,913.00**	**7,300.00**	**5,226.80**	**14,600.00**	**14,600.00**
आर.	गणना की गई पर्यावरणीय बाह्यता (₹ प्रति दिन) (जी x ₹ 75 प्रति एमएलडी)	5,531	2,500	4,950	1,519	2,013	1,344	4,604	14,250
एस.	पर्यावरणीय बाह्यता का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य प्रतिदिन (₹ लाख में)	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10	न्यूनतम 0.05 अधिकतम 0.10
टी.	लागू पर्यावरणीय बाह्यता (₹ प्रतिदिन)	5,531	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
यू.	**लागू पर्यावरणीय बाह्यता (₹ लाख में) (टी/100000 x 1460 दिन अर्थात 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक)**	**81**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**	**146**
वी.	**कुल (₹ लाख में) (एम+क्यू+यू)**	**8,381**	**8,373**	**8,373**	**6,986**	**8,373**	**6,300**	**18,765**	**24,746**
डब्ल्यू	**कुल योग (₹ करोड़ में)**	**902.97**							

नोट *: प्रारूप विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (ड्राफ्ट एसएससीए) की तालिका 3.1 से लिया गया डेटा।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1; पृष्ठ 71)

(i) उन व्यक्तियों को किए गए भुगतान के विवरण जिनके नाम जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ)/मेवात के कर्मचारियों के समान थे जैसा कि चयनित महीनों के वाउचरों की समीक्षा के दौरान देखा गया

क्र. सं.	वाउचर नंबर और तिथि	भुगतान पाने वाले का नाम और यूनिक कोड	भुगतान विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	असली कर्मचारी का नाम और यूनिक कोड
1	000008/17 जून 2020	रफीक VBB0PU	छुट्टी नकदीकरण	4,23,540	मोहम्मद रफीक 0B61H1
2	000005/26 फरवरी 2020	रफीक VBB0PU	7वां वेतन आयोग बकाया	3,89,076	मोहम्मद रफीक 0B61H1
3	000014/28 फरवरी 2020	नरेंद्र HFB4NT	7वां वेतन आयोग बकाया	4,90,604	नरेंद्र CF1QY2
4	000015/28 फरवरी 2020	दीपक IMB0NG	7वां वेतन आयोग बकाया	4,82,262	दीपक यादव 2A56BT
		कुल		**17,85,482**	

(ii) तालिका (i) में पहचाने गए फर्जी व्यक्तियों को चयनित महीनों के अलावा अन्य अवधियों के दौरान किए गए भुगतान के विवरण

क्र. सं.	भुगतान पाने वाले का नाम	वाउचर नंबर और तिथि	टोकन नंबर	राशि	भुगतान विवरण
1	दीपक	000004/07 अगस्त 2019	2200082019000503	1,35,312	वेतन बकाया
2	UI no. IMB0NG	000007/01 जनवरी 2020	2200122019001332	2,64,136	7वां वेतन आयोग वेतन बकाया
3	रफीक UI no. VBB0PU	000017/29 अगस्त 2019	2200082019002199	1,54,718	7वां वेतन आयोग वेतन बकाया
		कुल		**5,54,166**	

(iii) 2015-2023 की अवधि के दौरान सत्यापित आदाता सूची और अयोग्य आदाता सूची से फर्जी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच के दौरान पाए गए फर्जी भुगतानों के विवरण

क्र. सं.	वाउचर नंबर और तिथि	भुगतान पाने वाले का नाम और यूनिक कोड	भुगतान विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	असली कर्मचारी का नाम और यूनिक कोड
1	000019/16 जनवरी 2020	नरेंद्र FDB39C	7वां वेतन आयोग बकाया	2,92,032	नरेंद्र CF1QY2
2	000007/13 दिसंबर 2019	नरेंद्र NLB29F	7वां वेतन आयोग बकाया	2,33,013	
3	000014/19 अक्तूबर 2019	अमर सिंह QGB1RR	7वां वेतन आयोग बकाया	2,23,614	अमर सिंह 1D1A2R
4	000018/29 अगस्त 2019	अशोक कुमार TKB02J	7वां वेतन आयोग बकाया	40,281	अशोक 0H61H4
5	000007/07 सितंबर 2019	आशु 3ABINX	7वां वेतन आयोग बकाया	2,02,941	आशु 0C61HI
6	000008/30.12.2019	सुरेश कुमार WCB2QG	7वां वेतन आयोग बकाया	3,74,472	सुरेश कुमार 1O61P6
7	000013/15.10.2019	सुरेश कुमार LEB1JX	7वां वेतन आयोग बकाया	3,45,180	
		कुल		**17,11,533**	

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 78)

स्कूल प्रबंधन समिति के खाते से स्कूल की चारदिवारी के व्यय के साथ-साथ सिविल कार्यों के व्यय में उपयोग किए गए बिलों का विवरण

क्र. सं.	बिल नंबर	बिल की तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	खरीदी गई सामग्री	राशि ₹ में
1.	507	01 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	45,360
2.	514	03 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	मिट्टी	48,026
3.	1180	04 जनवरी 2020	भारत बिल्डिंग मटेरियल	यमुना रेत	25,307
4.	520	07 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	45,360
5.	522	09 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	45,360
6.	524	12 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	45,360
7.	531	13 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	17,010
8.	526	13 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	ईंट	45,360
9.	543	15 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	डस्ट आदि	63,761
10.	548	16 जनवरी 2020	रविंदर बिल्डर्स	रेत	14,406
कुल					**3,95,310**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 87)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अनुमोदित परियोजनाओं के व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	जारी की गई निधि	व्यय
1.	उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर)	13.10	3.95	2.29
2.	सूचना प्रौद्योगिकी और स्वचालन केंद्र (प्रशिक्षण 0.30 + केंद्र 3.34)	10.25	3.64	1.61
3.	पर्यावरण विज्ञान में अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान केंद्र (सीएबीईएस)	6.15	3.23	0.00*
4.	भूकंप अध्ययन में उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआरईएस)	3.00	3.00	0.20
5.	सरस्वती नदी पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईआरएसआर)	2.00	0.02	0.00*
6.	इनक्यूबेशन सेंटर	1.75	1.75	0.71
7.	कौशल विकास केंद्र	1.00	0.30	0.08
8.	कॉर्पोरेट संसाधन केंद्र	1.00	0.30	0.11
9.	उद्यमिता केंद्र	0.75	0.30	0.07
10.	सतत शिक्षा केंद्र	0.50	0.30	0.13
11.	खेल केंद्र (खेल नर्सरी 0.25 + 8.00)	8.00	0.10	0.00*
12.	अनुसंधान केंद्रों के लिए मानव संसाधन (1.00 + 2.00)	3.00	3.00	2.37
13.	संकाय विनिमय कार्यक्रम	4.50	0.02	0.00*
14.	प्रत्यायन और सहयोग	1.00	0.00	0.00*
15.	ई-गवर्नेंस	7.00	7.00	3.31
16.	मौजूदा शिक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन	10.00	5.00	1.20
17.	केंद्रीय अनुसंधान और नवाचार हब का निर्माण (2.50 + 9.50)	12.50	5.00	3.97
18.	ई-संसाधन और पुस्तकालय	8.25	2.70	2.52
19.	कैंपस विकास	6.25	2.05	1.05
	कुल	**100**	**41.66**	**19.62**

*** शून्य या ₹ 0.50 लाख से कम व्यय**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.7 (ii); पृष्ठ 88)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 'उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर)' परियोजना के तहत अपेक्षित अनुसंधान उपकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख उपकरण का नाम	विस्तृत परियोजन रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत
1.	सभी सुविधाओं के साथ एफईएसईएम (फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप)	2.55
2.	रमन स्पेक्ट्रोमीटर	1.70
3.	सभी सुविधाओं के साथ थिन फिल्म डिपोजिशन सिस्टम	1.10
4.	सभी सुविधाओं और घटकों सहित एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर	2.80
5.	वाइब्रेटिंग सैंपल मैग्नेटोमीटर	1.00
6.	एचआरएमएस सुविधा के साथ लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर	1.40
7.	लेजर पार्टिकल साइज एनालाइजर	0.45
8.	बीम ट्रांसपोर्ट के साथ टारगेट चैंबर और डिटेक्टर	3.00
9.	सी, एच, एन और ओ एनालाइजर	0.45
10.	टीजीए, डीटीए और डीएससी संयुक्त सुविधा	0.40
11.	फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर	0.20
12.	माइक्रोवेव सिंथेसाइजर	0.30
13.	डेंसिटी एण्ड साउंड एनालाइजर	0.25
14.	सामग्री डिजाइन, गुण और संरचनात्मक विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर	0.50
	कुल	**16.10**

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.8; पृष्ठ 90)

नमूना-जांच किए गए हरियाणा रोडवेज डिपो द्वारा रियायती दरों का लाभ न उठाने के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त टोल

(₹ लाख में)

डिपो का नाम	टोल का नाम	वह अवधि जिसके लिए डिपो द्वारा जानकारी प्रदान की गई है	भुगतान किया गया टोल	भुगतान किया जाने वाला टोल	अधिक भुगतान
झज्जर	छारा	जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	11.97	7.70	4.27
झज्जर	डीघल	जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	62.36	41.58	20.78
झज्जर	रोहद	जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	110.04	71.99	38.05
जींद	खटकड़	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	43.38	21.69	21.69
जींद	नरवाना	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	8.33	4.09	4.24
जींद	लुडाना	अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक (मई 2022 को छोड़कर)	3.48	1.67	1.81
हिसार	बदोपट्टी	जून 2023 से नवंबर 2024	196.36	129.21	67.15
हिसार	चौधरीवास	जून 2023 से नवंबर 2024	33.63	22.39	11.24
हिसार	मेयर	जून 2023 से नवंबर 2024	145.23	95.93	49.30
हिसार	लंडारी	जून 2023 से नवंबर 2024	131.56	88.01	43.55
रोहतक	मदीना	मई 2023 से मार्च 2024	33.06	16.53	16.53
रोहतक	मकड़ौली	मई 2023 से मार्च 2024	48.49	24.25	24.24
सोनीपत	भागां	अप्रैल 2018 से मई 2024 (मार्च 2021 से नवंबर 2021 को छोड़कर)	241.71	168.46	73.25
सोनीपत	झरोटी	मई 2023 से नवंबर 2024	21.27	14.35	6.92
यमुना नगर	मिल्क माजरा	दिसंबर 2021 से जुलाई 2024	235.19	153.54	81.65
		कुल	**1,326.06**	**861.39**	**464.67**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi